लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

अंक ७, १९५४

(१४ से २४ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

अष्टम सूत्र १९५४

(खण्ड ७ म अंक २१ से अंक २९ तक है)

लोक-सभा सचिवालय ,

नई दिल्ली ।

603 LSD

विषय-सूची

खंड ७—अंक २१–२९ (१४ से २४ दिसम्बर, १९५४)

अंक २१—मंगलवार, १४ दिसम्बर, १९५४

	स्तम्भ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १११३, १११४, १११८, से ११२२, ११२४, ११२५, ११२७, ११२८, ११३०, ११३२ से ११३४, ११३६ ११३८, ११४५, ११४७ से ११५०, ११५२, ११५४, ११५७, ११६१, ११६२, ११६४ और ११६६ . .	१६९९—१७४०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १११५ से १११७, ११२३, ११२६, ११२९, ११३१, ११३५, ११३७, ११४०, ११४२ से ११४४, ११४६, ११५१, ११५३, ११५५, ११५६, ११५८ से ११६०, ११६३, ११६५, ११६८ और ११६९ .	१७४०—५२
अतारांकित प्रश्न संख्या ७१९ से ७४८ . .	१७५२–१७७६

अंक २२— बुधवार, १५ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११७१, ११७३, ११७६, ११७७ ११७९ से ११८२, ११८७, ११९०, ११९१, ११९३ ११९४, ११९६ से १२०१, १२०३, १२०४, १२०६, से १२०८, १२११, १२१३, १२१४, १२१६, १२१८, १२२१ से १२२३, १२२७ से १२३२ और १२३५ .	१७७७—१८२५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११७०, ११७२, ११७४, ११७५, ११७८, ११८३ से ११८६, ११८८, ११८९, ११९२, ११९५, १२०२, १२०५, १२०९, १२१०, १२१२, १२१५, १२१७, १२१९, १२२०, १२२४ से १२२६, १२३४, और १२३६ से १२४९ .	१८२५—४९
अतारांकित प्रश्न संख्या ७४९ से ७७० और ७७२ से ८०३	१८४९—८२

603 LSD

अंक २३—गुरुवार, १६ दिसम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५१ से १२५४, १२५६, १२५८, १२५९, १२६२ से १२६४, १२६९, १२७१, १२७३ से १२७५, १२७७, १२७९, १२८२ से १२८५, १२८७, १२८८, १२९०, १२९१ और १२९३ से १२९७ . १८८३—१९२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५०, १२५५, १२५७, १२६० १२६१, १२६५ से १२६८, १२७०, १२७२, १२७६, १२७८, १२८०, १२८१, १२८६, १२८९, १२९२, १२९८, और १३०५ से १३०७ . . १९२५—३८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०४ से ८१४ और ८१६ से ८१९ . १९३८—५०

अंक २४—शुक्रवार, १७ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०८ से १३१३, १३१५ से १३१८, १३२१ से १३२३, १३२५, १३२६, १३२८, १३२९, १३३२, १३३३, १३३५ से १३३८, १३४१ से १३४५ और १३४७ . १९५१—९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१४, १३१९, १३२०, १३२४, १३२७, १३३०, १३३१, १३३४, १३४०, १३४६ और १३४८ से १३६७ . . . . १९९७—२०१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२० से ८५०, और ८५२ . . २०१८—२०३८

अंक २५—सोमवार, २० दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६८ से १३७२, १३७५ से १३७८, १३८०, १३८१, १३८३ से १३८५, १३८७ से १३९०, १३९२, १३९४, १३९५, १३९७ और १३९९ से १४०९ २०३९—८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . २०८५—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७३, १३७४, १३७९, १३८२, १३८६, १३९१, १३९३, १३९६, १३९८, १४१० से १४२०, १४२२ और १४२३ . . . २०८७—९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५३ से ८८१ . . . २०९९—२११८

अंक २६—मंगलवार, २१ दिसम्बर, १९५४ — स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४२४ से १४३८, १४४०, १४४१, १४४३ से १४४६, १४४८, १४४९, १४५१ से १४५५ — २११९—६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३९, १४४२, १४४७, १४५०, १४५६, १४५९ से १४६९, १४७१ से १४७५ — २१६४—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८२ से ८९१ . . — २१७६—८०

अंक २७—बुधवार, २२ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४७६ से १४८३, १४८८ से १४९०, १४९२ से १४९४, १४९६, १४९७, १४९९, १५००, १५०२ और १५०४ से १५०७ . . . — २१८१—२२२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८४ से १४८७, १४९१, १४९५, १४९८, १५०१, १५०३, १५०८ से १५२२, १५२२—क, १५२३ से १५३३ और १५३५ से १५५७ . . — २२२९—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९२ से ९२५ . . — २२६३—८६

अंक २८—गुरुवार, २३ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५५८ से १५६१, १५६३ से १५६६, १५६९से १५७३, १५७५, १५७६, १५७८, १५७९, १५८१, १५८२ और १५८३ . — २२८७–२३२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्नसंख्या १५६२, १५६७, १५६८, १५७४, १५७७, १५८०, १५८२–क, १५८४ से १५९३, १५९३–क, १५९४ से १६०१, १६०३ से १६२१, १६२१-क, १६२२ से १६२४, १६२४–क, १६२५ से १६२९, १६३१ से १६३५ — २३२८–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२६ से ९७७ . . — २३६४–९६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६, ७, ९, १० और ८ . २३९७—२४१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३६ से १६७३, १६७३क और १६७४ से १६८६ . . . . २४१९—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७८ से ९९४ . . २४५२—६४

———

GIPND—NSH—603 LSD—1-1-55—240

लोक-सभा

मंगलवार, २१ दिसम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विदेशियों का आदेश, १९४८

*१४२४. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५४ में अब तक किन्हीं विदेशी राष्ट्रजनों को विदेशियों का आदेश, १९४८ के अधीन निवास अनुज्ञप्तियां लेने से छूट दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या क्या है और वह किन देशों के राष्ट्रजन हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख)। इस प्रकार की कोई छूट नहीं दी गयी है। परन्तु विदेशी कूटनीतिक और राजदूतालयों के पदाधिकारी और उनकी पत्नियां तथा बच्चे जिनके पास कूटनीतिक परिपत्र हैं और जो भारत में 'सरकारी काम से,

ठहरे हुये हैं, उनके लिये अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार निवास अनुज्ञप्तियां लेना आवश्यक नहीं है। विशेष रूप से भारत में आमंत्रित विदेशी महान् व्यक्तियों के मामलों में भी निवास अनुज्ञप्तियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। चूंकि ऐसे व्यक्ति सभी विनियमों से मुक्त होते हैं अतः उनके सम्बन्ध में कोई आंकड़े बताना सम्भव नहीं है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या ऐसे महान् व्यक्तियों और व्यक्तित्वों की परिभाषा बताने वाले कुछ निश्चित नियम हैं जिनको इस प्रकार की छूट दी जाती है, या यह बात प्राधिकारियों के स्वविवेक पर ही निर्भर रहती है ?

श्री दातार : एक तो, कुछ अन्तर्राष्ट्रीय प्रथायें हैं, दूसरे हमने सभी राज्य सरकारों को ऐसे मामलों की सभी परिस्थितियों को संभालने के लिये कुछ कार्यपालिका अनुदेश भेज दिये हैं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या उन पाकिस्तानियों को जो भारत में अनिश्चित काल तक रहने के इच्छुक थे, दिये गये दीर्घकालीन दृष्टांक बाद में निवास अनुज्ञप्तियों में बदल दिये गये ?

श्री दातार : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि एक और प्रश्न इसी बात से सीधा सम्बन्ध रखता है।

हीरे की खानें (रूसी विशेषज्ञों का दौरा)

*१४२५. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : **क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी विशेषज्ञ विन्ध्य प्रदेश के सिशस और पन्ना नामक स्थानों की हीरे की खानों को देखने के लिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इन खानों के आधुनिक प्रणाली पर संगठन के लिये उन्होंने सरकार को क्या सलाह दी है ;

(ग) सरकार उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ;

(घ) इस योजना को लागू करने के लिये कितनी पूंजी तथा अन्य सामग्री की आवश्यकता होगी ; और

(ङ) कार्य आरम्भ होने की कब तक सम्भावना है ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री श्री (के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) से (ङ) । इस काम के लिये रूसी विशेषज्ञों को पन्ना डायमंड माइनिंग सिंडीकेट लिमिटेड ने बुलाया था, सरकार ने नहीं। रूसी विशेषज्ञों की रिपोर्ट जो की पन्ना डायमंड माइनिंग सिंडीकेट लिमिटेड को दी गई थी, पटल पर रख दी गई है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ११]**। विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की जाए यह तो सिंडीकेट ही तै करेगा।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि रूसी विशेषज्ञों की राय के मुताबिक यहां से लगभग १२ करोड़ रुपये के हीरे प्रतिवर्ष निकलने की आशा है तो इस सम्बन्ध में कोई जांच सरकार ने कराई है कि यह राय सही है और कब तक यहां काम होना शुरू हो जाएगा ?

श्री के० डी० मालवीय : गवर्नमेंट ने देश के हितों का ध्यान रखते हुए पूरी पूरी हमदर्दी से सिंडीकेट के प्रार्थनाओं पर विचार किया है और जहां कहीं भी हो सका सहायता दी है। जब उन्होंने विशेषज्ञों से जांच करानी चाही तो हमने कोई ऐतराज़ नहीं किया। कर्ज़ के बारे में भी जांच पड़ताल हो रही है और सरकार इस पर भी विचार कर रही है। सरकार इस काम को आगे बढ़ाने में हर किस्म की सहायता देने पर विचार करने को तैयार है।

श्री एस० एल० द्विवेदी : जिस प्लांट और मशीनरी वगैरह और बिजली का सामान लगाने के लिए विशेषज्ञों ने जो राय दी है उसको मंगाने के लिए क्या किसी देश से बातचीत की जा रही है और विन्ध्य प्रदेश या माइनिंग सिंडीकेट को सरकार रुपया देगी ?

श्री के० डी० मालवीय : यह उद्योग तो प्राइवेट सैक्टर के हाथ में है और उसी का काम यह देखना कि कहां से यह सब सामान मंगाएं और कितना रुपया लगाएं इन सब चीज़ों का फैसला करना कम्पनी मालिकों के हाथ में है और सरकार इस में दखल नहीं दे सकती।

श्री एस० एन० दास : क्या रूसी विशेषज्ञों को मगांने से पहले इस सिंडीकेट सरकार से प्रामर्श किया था ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां । सरकार ने कहा था कि अगर रूस

विशेषज्ञों द्वारा जांच कराई जाए तो उसे कोई एतराज नहीं है ।

प्राध्यापकों का सम्मेलन

*१४२६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च १९५४ में इतिहास और अर्थ शास्त्र के प्राध्यापकों के दो सम्मेलन हुये; और

(ख) यदि हां, तो उन में क्या निश्चय किये गये ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड के वार्षिक अधिवेशन में सम्मेलनों की कार्यवाही रखी जायेगी और सरकार उन के सम्बंध में बोर्ड की सम्मति की प्रतीक्षा कर रही है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

डा० एम० एम० दास : यह दोनों सम्मेलन सम्पूर्ण देश में इन दोनों विषयों की शिक्षा के विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रमों में एकरूपता लाने के लिए आयोजित किये गये थे ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : कितने प्राध्यापकों ने इन सम्मेलनों में भाग लिया ?

डा० एम० एम० दास : इतिहास सम्मेलन में २५ प्राध्यापकों ने भाग लिया जिस में प्रत्येक विश्वविद्यालय का एक एक सदस्य था । अर्थशास्त्र सम्मेलन में भाग लेने वाले प्राध्यापकों की संख्या १९ थी ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इन सम्मेलनों पर क्या व्यय हुआ ?

डा० एम० एम० दास : इन प्राध्यापकों को दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता मिला ।

पंजाब का भौगोलिक सर्वेक्षण

*१४२७. **श्री डी० सी० शर्मा**। क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने भारत सरकार से उस राज्य के एक समुचित भौगोलिक सर्वेक्षण करने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषण मंत्रालय मे मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). जी नहीं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या भारत सरकार स्वयं भू-भौतिक सर्वेक्षण कर रही है; यदि हां, तो क्या पंजाब का भी भू-भौतिक सर्वेक्षण किया गया था ?

श्री के० डी० मालवीय : हमारा विचार होशियारपुर जिले के ज्वालामुखी क्षेत्र में भू-भौतिक सर्वेक्षण करने का है । ज्योंही प्रस्तावित योजना, जिस पर विचार हो रहा है, पर सरकार निश्चय कर लेगी, काम शुरू हो जायेगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या किसी समाचारपत्र में यह संवाद दिया गया था कि होशियारपुर जिले का ज्वालामुखी क्षेत्र पेट्रोलियम की दृष्टि से बड़ा समृद्ध है और क्या प्रस्तावित सर्वेक्षण में उक्त बात का ध्यान रखा गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस समय इस क्षेत्र की खानों और तेलों आदि की समृद्धि के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता पर उस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से चट्टानों के बनने से यह आभास होता है कि उन भूमि-खण्डों में तेल मिलने की संभावना है । यह

ज्वालामुखी क्षेत्र का सर्वेक्षण समाप्त होने के बाद ही शुरू किया जायेगा और इस में कुछ समय लग जायेगा ।

श्री पी० सी० बोस : क्या सरकार के पास कोई पक्का सबूत है कि उस क्षेत्र में खनिज विद्यमान हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं समझता था कि माननीय सदस्य तेल के सम्बन्ध में कुछ जानना चाहते हैं । तेल विद्यमान होने का कहीं कोई पक्का प्रमाण नहीं है ।

श्री डी० सी० शर्मा : भारत के भू-भौतिक सर्वेक्षण के लिए कौन कौन से कर्मचारी रखे गये हैं और वह लोग कब तक इस सर्वेक्षण को समाप्त कर लेंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : भू-भौतिक जांच के लिए आवश्यक काम चलाऊ कर्मचारी हमारे पास भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग के अधीन हैं और नयी योजना के अधीन हम कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रहे हैं और भारतीय भूतत्वीय परिमाप के दोनों पक्षों की शिक्षा लोगों को दे रहे हैं ।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना

*१४२८. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में १९५७ के बाद कोलम्बो योजना के विस्तार या उस के तथाकथित स्थायी योजना हो जाने के कारण वित्तीय और विकास सम्बन्धी कौन से मुख्य परिवर्तन किये गये हैं या किये जाने वाले हैं ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत): आप का ध्यान १-१२-१९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ६१० की ओर आकर्षित किया जाता है । जैसा उस में बताया गया है, द्वितीय पंच वर्षीय योजना की मोटी मोटी बातों का कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है । अतः कोलम्बो योजना के विस्तार के कारण द्वितीय पंच वर्षीय योजना में परिवर्तन करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : बताया गया है कि अभी अंतिम रूप में प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया है । क्या केन्द्र तथा राज्यों के व्ययों में कमी होने के उत्तरदायी कारणों, प्रशासन की ढ़िलाई और प्रक्रियात्मक विलम्ब पर भी विचार किया जा रहा है ?

श्री बी० आर० भगत : स्पष्ट है कि जिन बातों पर सक्रिय विचार किया जा रहा है उनमें यह कारण सम्मिलित हैं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में हमें बढ़ती हुई वित्तीय कमी को पूरा करना पड़ेगा और विदेशी सहायता भी लेनी पड़ेगी ।

श्री बी० आर० भगत : इन सभी बातों की परीक्षा की जा रही है ।

श्री एन० बी० चौधरी : इस बात को ध्यान में रख कर कि भारतीय योजना का कोलम्बो योजना के साथ कुछ सम्बन्ध है, क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अन्तिम निश्चय करते समय कोलम्बो योजना के भागी देशों से परामर्श करेगी ?

श्री बी० आर० भगत : जी नहीं ।

श्री एस० एन० दास : क्या द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों और विभिन्न मंत्रालयों से सुझावों और सिफारिशों के प्राप्त करने के लिए कोई समय-सीमा निश्चित की गयी है ?

श्री बी० आर० भगत : कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की गयी है, पर इसको सबसे अधिक प्राथमिकता दी जा रही है ।

कांडला भ्रष्टाचार मामला

*१४२९. **श्री डाभी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २० सितम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ११०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला-दीसा रेलवे सम्पर्क के सम्बन्ध में खोदाई के तथा कथित गलत नाप के विषय में जांच पूरी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जांच अभी बिल्कुल पूरी नहीं हो पायी है ; शीघ्र ही उसके पूरा होने की आशा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री डाभी : क्या यह सच है कि कुछ सम्बन्धित पदाधिकारियों ने साक्ष्यों को गायब करने का भी प्रयत्न किया ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यह प्रश्न उचित नहीं है। मामले की अभी जांच हो रही है।

श्री डाभी : क्या मैं यह प्रश्न नहीं पूछ सकता ?

अध्यक्ष महोदय : वह ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते जिनमें केवल अनुमान से आरोप लगाया गया हो।

श्री डाभी : यह किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है, पर फिर भी यह अनुमान से आरोप लगाना है। क्या उनको अन्य कोई प्रश्न करना है ?

डा० राम सुभग सिंह : क्या इस मामले में फंसे हुये लोग अपने स्थानों पर काम कर रहे हैं ?

श्री दातार : जांच लगभग पूरी हो चुकी है, पर कुछ विवरणों की कमी है। अतः उन पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही अन्तिम निश्चय किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : उनका तात्पर्य है कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाया गया है क्या वह अब भी नौकरी में हैं ?

श्री दातार : इस बारे में हमें कुछ पता नहीं है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इस मामले में फंसे हुए पदाधिकारियों की संख्या और हानि की अनुमानित राशि क्या है ?

श्री दातार : मैं बताता हूं कि अनुमानित हानि लगभग १४,००० रुपये है। फंसे हुये व्यक्तियों की संख्या ३ या ४ होगी ; मुझे इसका ठीक पता नहीं।

श्री डाभी : किन विवरणों की प्रतीक्षा की जा रही है ?

श्री दातार : जांच की कुछ मदों के ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है। इन मदों का पता लगाये बिना या इस सम्बन्ध में कुछ अन्य साक्ष्य इकट्ठा किये बिना जांच पूरी नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे मामलों में, जिनमें माननीय सदस्य के पास कोई पक्का प्रमाण हो, ऐसा आरोप लगाने वाला प्रश्न नहीं करना चाहिए बल्कि अलग से सम्बद्ध मंत्री महोदय से मिल कर उन का ध्यान उस बात की ओर आकर्षित करना चाहिए। चूंकि जिनके ऊपर इन प्रश्नों में आरोप लगाया जाता है वे यहां पर उत्तर देने के लिए उपस्थित नहीं हो सकत इसलिए ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिये

श्री पुन्नूस खड़े हुए —

राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला

*१४३०. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों में, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला में काम करने वाले कितने व्यक्तियों ने अपनी गवेषणा परियोजनाओं के आधे में ही नौकरियां छोड़ दीं; तथा

(ख) उन लोगों के नौकरी छोड़ने के क्या कारण थे ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) १८ ।

(ख) कारण इस प्रकार हैं। स्थानान्तरण (७), इकरार की समाप्ति (१), पदत्याग (९) तथा सेवाओं की समाप्ति (१) ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या हम मंत्री जी के कथन से यह समझें, कि गवेषणा परियोजना के कार्य में किसी प्रकार बाधा नहीं पड़ रही है जबकि राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला का कार्य किसी निकटवर्ती विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस समय सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे कि प्रयोगशाला का कार्य देश के किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हो किन्तु मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह कह सकता हूं कि प्रयोगशाला की यह नीति रही है कि कोई भी गवेषणाकर्ता प्रयोगशाला को तब तक नहीं छोड़े जब तक कि उसने हाथ में लिए अपने कार्य का शोध समाप्त न किया हो ।

श्री वेलायुधन : क्या राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला के पदाधिकारियों के सम्बन्ध में 'ब्लिट्ज़' मे एक लेखमाला प्रकाशित हुई थी और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार को 'ब्लिट्ज़' में प्रकाशित कुछ लेखों की सूचना दी गई है । उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी ।

श्री एस० एन० दास : क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि इन प्रयोगशालाओं में गवेषणाकर्ताओं की सेवा के असन्तोषजनक नियमों तथा शर्तों के कारण ये लोग किसी अन्य सरकारी सेवा अथवा काम में जाना पसन्द करते हैं, और इसके परिणामस्वरूप गवेषणा कार्य की उपेक्षा होती है ?

श्री के० डी० मालवीय : ऐसी बात नहीं है । राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला तथा अन्य प्रयोगशालाओं में नौकरी की शर्तें, देश की अधिकांश वैज्ञानिक संस्थाओं से कहीं अधिक अच्छी हैं। अधिकतर लोगों के प्रयोगशाला छोड़ने का कारण यह नहीं है कि वहां सेवा की शर्तें अच्छी नहीं हैं ।

स्वदेशी सामग्री

*१४३१. **श्री गिडवानी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वदेशी सामग्री को तैयार करने की कई नई क्रियाविधियां विकसित की गई हैं तथा उनके वाणिज्यिक प्रयोग की प्रतीक्षा की जा रही है ; और

(ख) क्या यह सच है कि इन तैयार करने की क्रियाविधियों के एकस्व प्राप्त किये जा चुके हैं ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). जी हां ।

श्री गिडवानी : कितने एकस्व प्राप्त किये जा चुके हैं तथा वे मामले क्या हैं ?

श्री के० डी मालवीय : इन एकस्वों की सूची बहुत लम्बी है।

श्री गिडवानी : कुछ महत्वपूर्ण ही बतलाइये।

श्री के० डी० मालवीय : तैयार करने की १३० क्रियाविधियों की जानकारी राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम को दी जा चुकी हैं तथा उन पर तत्परता से विचार हो रहा है इनमें से छब्बीस परीक्षाधीन हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण फोटोग्राफिक जिलेटीन है जिस पर विशेषज्ञों की एक छोटी समिति पहिले ही विचार करने के लिए बैठ चुकी है तथा यह पता लगाने का प्रयत्न कर रही है कि राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला में किये गये गवेषणा कार्य को जारी रखने की सर्वोत्तम पद्धति क्या है।

श्री गिडवानी : क्या राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम ने सरकार को इन एकस्वों को वाणिज्यिक रूप में प्रयुक्त करने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ?

श्री के० डी० मालवीय : राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम उद्योगों में प्रयुक्त करने की कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर तत्परता से विचार कर रहा है। ज्यों ही उद्योगों अथवा राज्य सरकारों और राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम के बीच कोई व्यवस्था हो जायेगी, सरकार को स्वाभाविक रूप से सूचना मिल जायेगी।

मैसूर-राज्य सेनाओं का विलियन

*१४३२ **श्री केशवैयंगार** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य सेनाओं के भारतीय सेना में विलयन के समय मैसूर सेना के कुछ पदाधिकारियों को सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) स्वीकृत हुआ ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ;

(ग) क्या इन निवृत्ति वेतन (पेंशनों) के मामलों का निर्णय हो चुका है ; और

(घ) क्या इन निवृत्ति वेतनों (पेंशनों) के मामलों का निर्णय करने की कोई अवधि है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) (क) जी हां।

(ख) ४४ ।

(ग) दो को छोड़ कर लगभग सभी मामलों का निर्णय हो चुका है।

(घ) जी नहीं। इन दो मामलों के निर्णय करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री केशवैयंगार : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन पदाधिकारियों को वैध निवृत्ति वेतन (पेंशन) न मिलने के कारण अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्या हम इन निवृत्ति वेतनों (पेंशनों) के निर्णयों में इस अत्यधिक विलम्ब का कारण जान सकते हैं ?

सरदार मजीठिया : जैसा मैं कह चुका हूं, केवल दो पदाधिकारियों का निवृत्ति वेतन रह गया है। मुझे आशा है कि आगामी तीन महीनों के भीतर इसका निर्णय हो जायेगा। विलम्ब का कारण यह है कि हमने राज्य सरकार अथवा भूतपूर्व राज्यों की सेनाओं से इन दो पदाधिकारियों के दावों को प्रमाणित करने को कहा था। उनमें से एक महाराज के व्यक्तिगत कर्मचारियों में शामिल हो गया। इस कारण उसके सम्बन्ध में कुछ सन्देह था। दूसरे मामले में सेवा में व्यतिक्रम हुआ था जिसका परिमर्ष करना पड़ा। जैसे ही हमें राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त हो जायगा, हम इन मामलों का निर्णय करेंगे ।

हिन्दी शिक्षा समिति

*१४३३. **श्री एस० एन० दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्संगठित हिन्दी शिक्षा समिति के सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई है और क्या उस समिति ने कार्य आरम्भ कर दिया है ;

(ख) क्या हिन्दी शिक्षा समिति ने अपना भविष्य का कार्यक्रम तैयार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस की रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). हिन्दी शिक्षा समिति ने भविष्य के लिए कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं किया है। समिति की स्थापना उन सब प्रश्नों पर केन्द्रीय सरकार को परामर्श देने के लिए की गयी है जो कि अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी प्रचार के सम्बन्ध में समय-समय पर उसके सामने उपस्थित किये जायेंगे।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं संसदीय सचिव से पूछ सकता हूँ कि जो पुनर्संगठित शिक्षा समिति है उसके सदस्यों की नामावली क्या है ?

डा० एम० एम० दास : सदस्यों की संख्या तो ज्यादा है। इसमें २४ सदस्य हैं।

अध्यक्ष महोदय : नाम बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री एस० एन० दास : क्या अब तक केन्द्रीय सरकार ने कोई प्रश्न इस समिति के सामने रखा है ; यदि हां, तो कौन से विषय पर ?

डा० एम० एम० दास : समिति ने नवंबर के महीने में एक कानफ्रेंस बुलायी थी। उसने उस कानफ्रेंस में कई चीजों पर राय दी थी। हिन्दी प्रचार के लिए जो संस्थायें अहिन्दी प्रान्तों में काम करती हैं उनको सहायता के लिए अनुदान देने के प्रश्न पर उसने राय दी, और चीजों पर भी राय दी।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार देश भर की उन संस्थाओं की, जिनको कि भारत सरकार ने हिन्दी के प्रचारार्थ अनुदान दिया है, लेखा परीक्षा करती है अथवा लेखा परीक्षा की जानकारी प्राप्त करती है ?

डा० एम० एम० दास : विभिन्न संस्थाओं को अनुदान देने के पूर्व, सरकार पिछले तीन वर्षों के व्यय के प्रतिवेदन को मंगाती है।

श्री वेलायुधन : त्रावनकोर-कोचीन राज्य की प्रारम्भिक पाठशालाओं में अनिवार्यतः हिन्दी प्रारम्भ करने का एक कार्यक्रम था। समिति ने त्रावनकोर-कोचीन राज्य में इस सम्बन्ध में क्या किया है ?

श्री ए० एम० थामस : मेरे विचार से केवल माध्यमिक पाठशालाओं में ही यह अनिवार्य रूप में रखा गया है।

डा० एम० एम० दास: मैं नहीं जानता कि हिन्दी प्रारम्भिक कक्षाओं में अनिवार्य विषय बना लिया गया है। जहां तक हमें इस बात की जानकारी है, हिन्दी को माध्यमिक कक्षाओं में अनिवार्य विषय बना लिया गया है। त्रावनकोर-कोचीन राज्य ने केन्द्रीय सरकार को एक योजना भेजी है। इस योजना के कुछ भाग स्वीकृत हो गये हैं तथा राज्य को एक अनदान दिया जा चुका है।

राष्ट्रीय आय समिति

*१४३४. **श्री मुरारका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति का यह सुझाव मान लिया है कि राष्ट्रीय

आय पर गवेषणा कार्य कराने के लिये सरकार द्वारा छात्रवृत्तियां तथा परिषद्यता स्वीकृत की जानी चाहियें ; और

(ख) यदि हा, तो सरकार इस प्रयोजन के लिये कितना व्यय कर रही है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) और (ख) । केन्द्रीय सांख्यकी संगठन ने सभी सम्बन्धित विश्वविद्यालयों तथा गवेषणा संस्थाओं को, उनके द्वारा की गई राष्ट्रीय आय पर की गवेषणा की वर्तमान स्थिति का पता लगाने की दृष्टि से पत्र भेजे हैं । यह जानकारी प्राप्त होने पर, राष्ट्रीय आय समिति के छात्रवृत्तियां तथा परिषद्यता स्वीकार करने के सुझाव पर और विचार किया जायेगा ।

श्री मुरारका : सरकार ऐसी कितनी छात्रवृत्तियां तथा अनुदान देना चाहती है ?

श्री एम० सी० शाह : यह जानकारी प्राप्त होने पर ही निर्भर करता है ।

श्री मुरारका : ऐसी छात्रवृत्तियों तथा अनुदानों की कुल कितनी रकम होगी तथा वह कितनी अवधि के लिये दी जायेगी ?

श्री एम० सी० शाह : इन सब बातों पर विश्वविद्यालयों तथा गवेषणा संस्थाओं से सूचना मिलने पर ही विचार किया जायेगा ।

श्री मुरारका : विश्वविद्यालयों को पत्र कब भेजे गये तथा मंत्री महोदय कब तक उत्तर की आशा कर रहे हैं ?

श्री एम० सी० शाह : हम शीघ्र ही उत्तर आने की आशा करते हैं । इन्हें मंत्रालय के सांख्य की मंत्रणादाता के साथ परामर्श करने के पश्चात ही पत्र भेजे गये ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार भारतीय जनसंख्या के विभिन्न वर्गों की आय निश्चित करने की राष्ट्रीय आय समिति को पद्धति को पुनरीक्षित करने का विचार कर रही है ?

श्री एम० सी० शाह : यह बात इस प्रश्न से नहीं उत्पन्न होती है । यह छात्रवृत्तियां तथा परिषद्यता के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रश्न है । माननीय सदस्य का प्रश्न राष्ट्रीय आय यूनिट से सम्बन्ध रखता है । मैं इन प्रश्नों का उत्तर पहिले ही दे चुका हूं ।

श्री विमला प्रसाद चालिहा : क्या सरकार का विचार विभिन्न आय वर्गों की सांख्यकी एकत्र करने का है ; मेरा तात्पर्य विभिन्न आय वर्गों के प्रतिशत से है ?

श्री एम० सी० शाह : इस पर भी विचार हो रहा है ।

गणतंत्र दिवस

*१४३५. **श्री संगण्णा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है कि २६ जनवरी, गणतन्त्र दिवस, को राष्ट्रीय उत्सव तथा उल्लास दिवस के रूप में मनाया जाय ; तथा

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने इस सुझाव पर क्या विचार प्रकट किये हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख) । गणतन्त्र दिवस के समारोह का कार्यक्रम, जैसा कि केन्द्रीय सरकार उसे दिल्ली में आयोजित करती है, सभी राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है और जब आवश्यक समझा जाता है तो उन्हें विभिन्न सुझाव भेजे जाते हैं । वे भी प्रतिवर्ष गणतन्त्र दिवस को, राष्ट्रीय उल्लास के दिवस के रूप में उचित रीति से मनाते हैं ।

श्री संगण्णा : क्या राज्य सरकारों से परामर्श करके गणराज्य दिवस का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है ?

सरदार मजीठिया : कौनसा : राज्यों के कार्यक्रम या केन्द्रीय कार्यक्रम ?

श्री संगण्णा : केन्द्रीय कार्यक्रम ।

सरदार मजीठिया : एक समायोजन समिति, जिसमें राज्य सरकारों को भी सम्मिलित किया जाता है, इसका निश्चय करती है ।

श्री संगण्णा : क्या राज्य सरकारों ने आगामी वर्ष के कार्यक्रम में कुछ वृद्धि करने का सुझाव दिया है ?

सरदार मजीठिया : मैं बता चुका हूं कि उस समायोजन समिति में सारी राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं और गूढ़ विचार विमर्श के उपरान्त, जिसमें प्रत्येक सुझाव के गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है, कार्यक्रम निश्चित किया जाता है ।

श्री एस० एन० दास : क्या सरकार या इस समिति ने इस बात की ओर ध्यान देने का कोई प्रयत्न किया है कि ये उत्सव केवल सरकारी प्राधिकारियों द्वारा ही नहीं, अपितु जन-साधारण द्वारा ऐच्छिक रूप में मनाये जायें ?

सरदार मजीठिया : हमने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि यह दिवस गांवों में भी मनाया जाना चाहिये । मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें राज्य सरकारें आवश्यक दिलचस्पी ले रही हैं ।

स्वर्ण उत्पादन

*१४३६. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० से १९५३ तक के वर्षों में भारत में कितने स्वर्ण का उत्पादन हुआ ; और

(ख) बाद के वर्षों में यदि कोई कमी हुई है तो उसके क्या कारण हैं ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). एक विवरण, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट, ६, अनुबन्ध संख्या १२]**

पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय : विवरण में व्यक्त मजदूरों की न्यून उत्पादिता के क्या कारण हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : न्यून उत्पादन ? माननीय सदस्य को विदित होगा कि माइनिंग कम्पनी (खनन समवाय) ने गत वर्ष ऊरगांव की खानों को बन्द कर दिया था । भारत में सोना निकालने की भारी समस्या यह है कि बहुत गहराई पर संकटमय कार्य करना पड़ता है । वे १०,००० फुट से अधिक गहराई में उतरते हैं । जहां तक सोना निकालने का सम्बन्ध है, खान के उच्च तापमान, तथा चटानों के फट जाने, आदि के कारणों ने इसे बहुत ही महंगा बना दिया है । जब हम इन कारणों के साथ-साथ गत वर्ष में हुई हड़तालों को भी शामिल करते हैं, तो उत्पादन में वृद्धि होने में कठिनाई को समझना बहुत ही सरल हो जाता है । मुझे बताया जाता है कि जो खनन समवाय सोना निकालने का काम करते हैं, वह इन समस्याओं पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं । सरकार की सहायता से, स्वर्ण-उत्पादन में वृद्धि करना सम्भव हो सकता है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : इन खानों में कब तक लाभपूर्ण ढंग से कार्य किय

जा सकता है ? कितना उत्पादन होने की आशा है ?

श्री के० डी० मालवीय : सारी खानों में लाभपूर्ण कार्य होता है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्योंकि, खानें बहुत गहरी हो गई हैं ।

श्री के० डी० मालवीय : काम करना तो खनन समवायों का कार्य है ।

पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय : उत्पादन लागत में कितनी वृद्धि होगी ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे कुछ पता नहीं ।

श्री तिम्मय्या : क्या कोलार स्वर्ण क्षेत्र में कोई नई स्वर्ण खान का पता लगा है ?

श्री के० डी० मालवीय : हमें यह संवाद मिला है कि नई खानों का पता लगाया गया है। मैं बता चुका हूं कि खोज हो रही है।

अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

*१४३७. **श्री आर० एन० एस० देव** : क्या शिक्षा मंत्री नीचे दी गई इन बातों के सम्बन्ध एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) १९५४–५५ के वर्ष में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े हुए वर्गों को कितनी और कितने धन की छात्रवृत्तियां दी गईं;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के लिए पृथक् पृथक्, राज्यवार कितनी तथा कितने धन की छात्रवृत्तियां दी गईं;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य को उस का पूर्ण कोटा प्राप्त हुआ है, और यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं; और

(घ) समुद्रपार की छात्रवृत्तियों के लिए राज्यवार कितनी और कितने धन की छात्रवृत्तियां दी गईं ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एस० दास): (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १३**]

श्री आर० एन० एस० देव : उन छः राज्यों के नाम क्या हैं जहां अन्य पिछड़े हुए वर्गों की छात्रवृत्तियों का कोटा प्रयोग में नहीं लाया गया ?

डा० एम० एम० दास : जम्मू तथा काश्मीर, मध्य भारत राजस्थान, मनीपुर, हिमाचल प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश ।

श्री आर० एन० एस० देव : इस तथ्य की दृष्टि से कि उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए जो छात्रवृत्तियां रखी गयी हैं वह वहां की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचिता आदिम जातियों की कुल जनसंख्या के अनुपात से बहुत कम हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार कारणों की कोई जांच करने तथा परिस्थिति के उपचार के लिए कार्यवाही करने का है ?

डा० एम० एम० दास : मेरा ख्याल है कि यह कार्य राज्य सरकारों का है । इस के अतिरिक्त, कोटा का यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि भारत के प्रत्येक भाग के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सारे सुपात्र अभ्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं ।

श्री विमला प्रसाद चालिहा : क्या यह सच है कि छात्रवृत्ति बोर्ड असफल अभ्यार्थियों के बारे में पूछ ताछ का उत्तर नहीं देता ?

डा० एम० एम० दास : यह सम्भव नहीं है। सभा को स्मरण होगा कि इस वर्ष हमें ३५,००० से अधिक प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये जिन में से २०,००० से अधिक को छात्र-वृत्तियां दी गई हैं। लगभग १५,००० अभ्यार्थी असफल रहे हैं। १५,००० अभ्यार्थियों को उत्तर देना सम्भव नहीं है।

श्री एस० एन० दास : क्या ये छात्रवृत्तियां केवल अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर ही दी जाती हैं और क्या इन का देना अभ्यार्थियों की वित्तीय परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता ?

डा० एम० एम० दास : यह संरक्षकों की वत्तीय परिस्थिति और कुछ अन्य बातों पर निर्भर है। छात्रवृत्ति बोर्ड ने पात्रता की कुछ शर्तें निर्धारित की हैं।

प्रशिक्षक विमान

*१४३८. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेना ने देश में बने प्रशिक्षक विमानों का प्रयोग किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वे विदेशों में बने इसी प्रकार के विमानों की अपेक्षा किसी भी प्रकार निम्न कोटि के सिद्ध हुये हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) तथा (ख). भारतीय वायु सेना ने हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के बने एच० टी० २ का प्रयोग किया है परन्तु इतने समय तक प्रयोग नहीं किया है कि वह विदेशों में बने उसी प्रकार के विमानों की तुलना में इन के चलने के बारे में कोई निश्चित मत दे सकें।

पंडित डी० एन० तिवारी : इस विमान में कितने भारतीय तथा कितने विदेशी भाग जोड़े जाते हैं ?

सरदार मजीठिया : इस विमान में, इंजिन तथा उड़ाका पुर्जों का आयात होता है। शेष सारा भारत में बनता है।

पंडित डी० एन० तिवारी : ऐसे विमान प्रति वर्ष कितने बनते हैं, और कितने विदेशों से मंगाये जाते हैं ?

सरदार मजीठिया : आयात का प्रश्न पैदा नहीं होता, क्योंकि विमान भारत में बनता है। जहां तक वार्षिक निर्माण का सम्बन्ध है, हम साधारण रूप से चार पांच विमान प्रति मास बनाते हैं।

सरदार ए० एस सहगल : क्या माननीय मंत्री को कुछ व्यक्तिगत अनुभव है क्योंकि वह वाय सेना में विमान चालक तथा विंग कमान्डर थे ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे दोनों में कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं पड़ता।

सरदार मजीठिया : यहां मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं ने यह विमान लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व उड़ाया था और मुझे जो अनुभव हुआ उस की दृष्टि से मेरा विचार है कि यह विमान इसी प्रकार के विदेशों में बने विमानों की तुलना में बहुत अच्छी उड़ान भर सकता है।

श्री भागवत झा आजाद : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं.....

दृष्टांक

*१४४०. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ तथा चालू वर्ष में अब तक पाकिस्तानियों को कुल कितने दीर्घकालीन दृष्टांक दिये गये हैं;

(ख) ऐसे दृष्टांक-धारी भारत में कितने समय तक पाकिस्तानियों के रूप में रह सकते हैं;

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार भारत के नागरिकों को इसी प्रकार की कोई सुविधा देती है; और

(घ) यदि हां, तो १९५३–५४ में कितने भारतीयों ने उस से लाभ उठाया ?

गृहकार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) १९५३ में ५२६ और ३० नवम्बर, १९५४ तक ३१२ ।

(ख) वे अनिश्चित काल तक के लिए रह सकते हैं यदि वे विधि का उल्लंघन नहीं करते । दृष्टांक की अवधि प्रति वर्ष बढ़ाई जाती है ।

(ग) ये सुविधायें विभक्त परिवारों के पुनर्मिलन के लिए भारत पाकिस्तान पारपत्र करार के अधीन दी जाती हैं ।

(घ) भारत सरकार को ऐसे किसी मामले का पता नहीं है जिस में भारतीयों ने इस सुविधा का उपभोग किया हो ।

श्री के० सी० सोधिया : यह कहा गया है कि वे अनिश्चित समय तक यहां रुक सकते हैं; तो क्या वे पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के रूप में यहां ठहरेंगे ?

श्री दातार : वे लोग बहुत कुछ अनिश्चित स्थिति में ही यहां ठहरते हैं । और जैसे ही नागरिकता अधिनियम पारित होगा, वैसे ही उन्हें अन्ततोगत्वा भारतीय नागरिक के रूप में समझा जायेगा ।

श्री के० सी० सोधिया : यह कब जारी होगा ?

श्री दातार : इस में कुछ समय लगेगा ।

श्री अजमद अली : यह देखते हुए कि भारत सरकार की कोई प्रत्यागमन विधि नहीं है, इसलिए कुछ लड़कियों को, जिन्होंने भारत से जा कर बसने वाले पाकिस्तानियों से शादी की है, केवल दीर्घकालीन दृष्टांक के आधार पर वहां रुकने में बड़ी कठिनाई हो रही है । क्या मैं जान सकता हूं कि उन को पाकिस्तान का स्थायी नागरिक बनाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ताकि वे अपने पतियों के साथ वहां के स्थायी नागरिक के रूप में रह सकें ।

श्री दातार : यह एक ऐसा प्रश्न है जिस के बारे में पाकिस्तान सरकार से तै करना होगा । जहां तक कि करार के मामले में हमारे कर्तव्य का सम्बन्ध है, भारत में इस प्रकार के आने वाले व्यक्तियों को हम ऐसी सुविधायें दे रहे हैं ।

श्री अजमद अली : क्या सरकार इस बारे में पाकिस्तान सरकार से बातचीत करने को तैयार है, क्योंकि वहां कुछ भारतीय राष्ट्रजन इस प्रकार की कठिनाई में हैं ?

श्री दातार : भारत-पाक पारपत्र करार को क्रियान्वित करने की दृष्टि से हम इस मामले के बारे में पाकिस्तान सरकार से बातचीत कर रहे हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कुछ ऐसे मामले हुए हैं, कि पाकिस्तान स्थित हमारे उच्चायुक्त द्वारा दिये गये दीर्घकालीन दृष्टांकों के आधार पर पाकिस्तानी यहां आये हों और उन दृष्टांकों को फिर भारतवर्ष में स्थायी अनुज्ञा में परिवर्तित किया गया हो ?

श्री दातार : जहां तक कि पाकिस्तानियों का सम्बन्ध है, अनिवार्य पंजीयन अथवा अनिवार्य रूप से रहने की अनुज्ञा लेने के मामले में उन्हें विदेशी नहीं समझा जाता । वे केवल पाकिस्तानी पारपत्र तथा भारतीय दृष्टांक के आधार पर यहां आते हैं । इसलिए वे नियम उन पर लागू नहीं होते ।

औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम

*१४४१. **श्री एल० एन० मिश्र**: क्या वित्त मंत्री २५ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजित औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम को ऋण देने के बारे में विश्व बैंक का कोई निर्णय अब तक सरकार को मिला है; और

(ख) यदि हां, तो कितने धन की स्वीकृति मिली है एवं कितने दिनों में उसे वापिस किया जायेगा ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एल० एन० मिश्र: औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम को विश्व बैंक से ऋण मिलने में जो देरी हुई है, क्या उस का कारण यह है कि कुछ औपचारिकताओं का पूरा नहीं किया गया अथवा प्रस्थापना को सही रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया ?

श्री बी० आर० भगत : प्रस्थापना को सही रूप में प्रस्तुत न करने की बात नहीं है । प्रस्थापना की मूल बातों के सम्बन्ध में तो करार हो गया है किन्तु कुछ औपचारिकताएं, जैसे निगम का पंजीयन, आदि अभी होना बाकी है और उस के बाद ही ऋण का प्रार्थना पत्र दिया जा सकेगा ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मि० बीले को, जो बैंक ऑफ इंगलैंड के मुख्य रोकड़िया थे, इस निगम का प्रथम मुख्य प्रबन्धक नियुक्त करने से पूर्व भारत सरकार से पूछा गया था; और क्या इस निगम की नीति एवं इस में की जाने वाली नियुक्तियों के बारे में भारत सरकार का कोई हाथ रहता है ?

श्री बी० आर० भगत : भारत सरकार इस निगम पर ऐसा नियंत्रण रखती है जो उचित है और जिस से इस का भला होता है।

श्री एल० एन० मिश्र : एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए एक बार वित्त मंत्री ने इस सभा में कहा था कि सरकार का कोई विनियोग नहीं होगा, किन्तु यह निश्चित हुआ था कि अमरीकी प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम के अधीन प्राप्त लोहे तथा इस्पात के विक्रय से १५० लाख डालर अर्थात् ७॥ करोड़ रुपये निगम को ब्याज रहित ऋण के रूप में दिये जायेंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि अमरीका को यह ऋण वापस करने का दायित्व किस पर होगा—क्या निगम वापस करेगा अथवा सरकार, और कौन इस का ब्याज देगा ?

श्री बी० आर० भगत : एक प्रश्न में ही माननीय सदस्य ने कई प्रश्न कर डाले हैं । जहां तक कि ऋण के वापस करने की बात है यह तो १५ वार्षिक किश्तों में भारत सरकार को वापस किया जायगा । इस के बारे में कि यह ऋण 'ब्याज रहित' होगा कुछ दिन पहले एक विधान द्वारा संसद् में निश्चय हो गया था । जहां तक भारत सरकार के ऋण देने का सम्बन्ध है, जैसा कि माननीय सदस्य ने इस विषय में कहा है,यह एक सहायक निधि है जो २ लाख टन इस्पात की बिक्री के फलस्वरूप बनी है । उस निधि के बनाते समय यह निश्य हुआ था कि यह धन उत्पादन के काम में लाया जायगा; और भारत सरकार ने सोचा कि चूंकि गैर सरकारी क्षेत्रों में वित्त की बड़ी कमी है, अतः उस धन का सदुपयोग करने का यह बड़ा अच्छा तरीका था ।

श्री एस० एन० दास खड़े हुए—

कैलशियम ग्लूकोनेट

*१४४३. **श्री आर० एस० दीवान :** क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल केमीकल लेबोरेटरी (राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला) पूना की पेटेन्ट (एकस्व) की गई निर्माण-प्रक्रिया द्वारा केलशियम ग्लूकोनेट का निर्माण करने के लिए एक बैंच स्केल अग्रिम संयंत्र का विकास पूरा हो गया है; और

(ख) इस परियोजना पर कितना व्यय होगा ?

प्राकृतिक ससांधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) प्रयोगशाला के स्तर पर कैलशियम ग्लूकोनेट बनाने का कार्य चालू किया गया था और मद्रास विश्वविद्यालय की बायोकेमीकल गवेषणा प्रयोगशाला में उसे पूरा किया गया था ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री आर० एस० दीवान : क्या यह कार्य केवल गवेषणा की दृष्टि से किया गया था अथवा उत्पादन की दृष्टि से ?

श्री के० डी० मालवीय : कार्बोहाईड्रेट मेटाबोलिज्म तथा माइक्रो-आर्गेनिज्म में गवेषणा का यह कार्य मद्रास विश्वविद्यालय ने किया था और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् ने चालू किया था। प्रयोगशालाओं में तथा फिर से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् में किये गये कार्य के फलस्वरूप जो प्रक्रिया बनी है उस का एकस्व बनाया गया है। इस बारे में राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम से परामर्श लिया गया था और उन्होंने बताया है कि कैलशियम ग्लूकोनेट की निर्माण-प्रक्रिया को उन विकास परियोजनाओं में सम्मिलित कर लिया गया है जो कि राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला द्वारा क्रियान्वित की जायगी ।

श्री आर० एस० दीवान : मेरा प्रश्न तो यह था कि क्या यह कार्य गवेषणा की दृष्टि से किया गया था अथवा उत्पादन की दृष्टि से ?

श्री के० डी० मालवीय: यह जांच यह मालूम करने के लिए की गई थी कि क्या उद्योगों के द्वारा यह तैयार किया जा सकता है ।

श्री आर० एस० दीवान : तो फिर अग्रिम संयंत्र के लगाने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री के० डी० मालवीय : जब कभी प्रयोगशाला में गवेषणा कार्य करने का विचार होता है तो पहले इसे अग्रिम स्थिति से किया जाना चाहिये और उस के बाद ही यह बताया जा सकेगा कि क्या उद्योगों द्वारा यह तैयार किया जा सकता है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थी

*१४४४. **श्री बर्मन :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई ऐसा सुझाव रखा है कि विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को स्कूल तथा कालिज की शुल्क से विमुक्त कर दिया जाय; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न राज्यों की स्थिति बताने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १४]**

श्री बर्मन : विवरण से मुझे मालूम हुआ है कि अगस्त १९५२ में यह सुझाव दिया गया था कि राज्य सरकारों को अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों के निर्धन विद्यार्थियों को शिक्षा के सभी स्तरों पर शुल्क से विमुक्त कर देना चाहिए। १५ राज्यों ने इस प्रार्थना पर अमल की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन राज्यों में केवल निर्धन विद्यार्थियों को शुल्क से विमुक्त किया गया है अथवा साधारणतया सभी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शुल्क से विमुक्त किया गया है ?

डा० एम० एम० दास : विवरण में ये सब बातें विस्तारपूर्वक दी हुई हैं। राज्य सरकारें क्या देती हैं तथा किस प्रकार की छूट देती हैं—ये सब बातें विवरण में दी हुई हैं ।

श्री बर्मन : यह विवरण में नहीं दिया है। किन्तु फिर भी मेरा अगला प्रश्न यह है कि आसाम तथा पश्चिमी बंगाल राज्य इस मामले पर अभी विचार कर रहे हैं। क्या १९५२ के बाद केन्द्रीय सरकार ने इन दोनों राज्यों से इस मामले के बारे में बातचीत की है, और यदि इस मामले के बारे में केन्द्रीय सरकार ने बातचीत की है तो समय-समय पर होने वाली उन की प्रतिक्रिया क्या हुई ?

डा० एम० एम० दास : केन्द्रीय सरकार ने इस मामले के बारे में बातचीत की है और उन राज्यों से बार बार यह कहा है कि वे इस के बारे में विचार करें। किन्तु राज्य सरकारें अन्य कार्यों में बहुत व्यस्त हैं और उन को इस बारे में सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों के छात्रों की निःशुल्क शिक्षा का जो प्रश्न विचाराधीन था उस का अंतिम निर्णय हो चुका है

डा० एम० एम० दास : जहां तक कि दिल्ली राज्य की बात है, केवल दिल्ली में माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क दी जाती है । किन्तु राज्य सरकार सिद्धान्ततः माध्यमिक शिक्षा के बाद भी निःशुल्क शिक्षा देने के लिए तैयार हो गई है ।

श्री वेलायुधन : क्या शिक्षा मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय जैसा कि मालूम हुआ है कि रक्षा मंत्रालय के अधीन भी कुछ सार्वजनिक स्कूल चल रहे हैं, के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चलाये जाने वाले सार्वजनिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक कि रक्षा मंत्रालय की योजनाओं की बात है, इस समय मेरे पास उन की कोई जानकारी नहीं है । शिक्षा मंत्रालय कोई अपने सार्वजनिक स्कूल सरकारी स्कूल के रूप में नहीं चलाता ।

श्री थानू पिल्लै: छात्रवृत्ति न मिलने पर उस विद्यार्थी की फीस कौन देता है ?

डा० एम० एम० दास : यह प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया ।

श्री थानू पिल्लै : प्रश्न के भाग (क) का जो उत्तर दिया गया है उस के अनुसार कहा गया है कि जब तक हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती तब तक कालिजों को उन से शुल्क नहीं लेना चाहिए ? मान लीजिये कि हरिजन विद्यार्थी को बिल्कुल भी छात्रवृत्ति नहीं मिलती और कालिज भी शुल्क नहीं लेता तो अंत में कालिज का शुल्क कौन देता है ?

डा० एम० एम० दास : यदि विद्यार्थियों को केन्द्रीय सरकार से छात्रवृत्ति नहीं

मिलती तो कालिज का शुल्क अंत में विद्यार्थी द्वारा ही दिया जाता है। हम ने उन मामलों में कालिज से शुल्क न लेने के लिए कहा है जहां कि विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिलने की संभावना होती है और विशेषत: छात्रवृत्तियों के नवीनीकरण के मामलों में, जहां बहुत कुछ मामलों में इस बात का निश्चय हो जाता है कि चूंकि विद्यार्थी ने अंतिम परीक्षा पास कर ली है इसलिए उसे छात्रवृत्ति तो मिल ही जायगी।

श्री थानू पिल्ले : यदि वह अपनी पढ़ाई बीच में ही बन्द कर दे.....

जनता कालिज

*१४४५. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आन्ध्र में सामुदायिक परियोजना-क्षेत्रों में तीन जनता कालिज खोले जाने का विचार है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो इस प्रस्थापना के मुख्य उद्देश्य तथा लक्षण क्या क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) सरकार को ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आन्ध्र में सामुदायिक परियोजना के प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक परियोजना के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए, इस प्रकार के ग्रामीण विश्वविद्यालय प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में सरकार का कोई विचार है ?

श्री एम० एम० दास : यह आन्ध्र सरकार का कर्तव्य है कि इस के सम्बन्ध में अपनी प्रस्थापनाएं भेजें। परन्तु जहां तक जनता कॉलिजों का सम्बन्ध है, इस के विषय में आन्ध्र सरकार से हमें कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है।

त्रिपुरा में तेल के कुएं

*१४४६. **श्री बीरेन दत्त**: क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य विकास समिति ने केन्द्रीय सरकार से, त्रिपुरा में तेल के कुओं की खोज के लिए निवेदन किया है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो इस मामले में सरकार, क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

प्राकृतिक संसाधन और गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) हां, श्रीमान्।

(ख) विषय विचाराधीन है।

श्री बीरेन दत्त : क्या स्टेंडर्ड वैक्युम आयल कम्पनी ने इस तैल-क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है, और यदि किया है तो उस का क्या परिणाम है ?

श्री के० डी० मालवीय: स्टेंडर्ड वैक्युम आयल कम्पनी ने कुछेक क्षेत्रों में तेल की खोज आदि के लिए कुछ विशेष अनुज्ञप्तियां प्राप्त की हैं। मैं कह नहीं सकता कि त्रिपुरा राज्य का कितना क्षेत्र उन के क्षेत्र में आता है। मेरे पास न इस का मानचित्र है और न कोई जानकारी है।

श्री बीरेन दत्त: क्या उन्होंने सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

श्री के० डी० मालवीय : उस क्षेत्र के बारे में मुझे कुछ ज्ञात नहीं। इस के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

*१४४८. **श्री रामानन्द दास :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सामाजिक, आर्थिक और शिक्षात्मक उत्थान के लिए इस वर्ष किस प्रकार की योजनाएं बनाई गयी हैं तथा उन पर पृथक् पृथक् कितना धन लगाने का विचार किया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उत्थान के लिए राज्यों को निम्नलिखित मुख्य मदों के लिए केन्द्रीय अनुदान दिये गये हैं :—

(क) अनुसूचित जातियां—

(१) अनुमोदित अशासकीय संघटनों के द्वारा अस्पृश्यता को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से, दूर करने के लिए अत्याधिक प्रचार करना, जिस में निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित होंगे :—

(क) सामाजिक मेलों का आयोजन;

(ख) सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के लिए उचित विज्ञापन निकालना;

(ग) छोटे छोटे पैम्फ़लटों तथा पुस्तिकाओं का मुद्रण; तथा

(घ) चलचित्र की स्लाइडें दिखाना

(२) भाग (ख) तथा (ग) राज्यों में, तथा भाग (क) राज्यों के कुछेक चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में, अनुदान, निम्नलिखित कार्य के लिये प्रयुक्त किया जायेगा :—

(क) पीने योग्य पानी के कुएं खोदना तथा

(ख) घरों का निर्माण ।

(ख) अनुसूचित आदिम जातियां—

१. कृषि सम्बन्धी विकास जिस में जलसिंचन की लघु योजनायें भी सम्मिलित हैं ।

२. शिक्षात्मक उन्नति (जिस में छात्रालय तथा छात्रवृत्तियां भी सम्मिलित हैं) ।

३. सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य जिस में मलेरिया-विरोधी कार्यवाहियां भी सम्मिलित हैं ।

४. ग्रामीण सड़कों का निर्माण ।

५. कुटीर उद्योगों का विकास ।

१९५४–५५ के दौरान में विभिन्न कार्यों के लिए अनुदानों के राज्यवार बटवारे को दिखाने वाले, दो विवरण, सभा-पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १५]**

श्री रामानन्द दास : विवरण से ऐसा प्रतीत होता है, कि सरकार अनुसूचित आदिमजातियों के लगभग दो करोड़ व्यक्तियों के लिये ३.१७ करोड़ से कुछ अधिक धन लगा रही है, और अनुसूचित जातियों के के लिये केवल ४७.३ लाख रुपया लगा रही है । अनुसूचित जातियों की महान संख्या तथा हर प्रकार से उनके पिछड़े हुये रूप को दुष्टि में रखते हुये, क्या इतनी राशि पर्याप्त होगी, और यदि नहीं, तो क्या उन्हें कुछ और अनुदान भी दिया जायेगा ?

श्री दातार : माननीय सदस्य कृपया यह नोट करलें कि अनुच्छेद २७५ के अधीन भारत सरकार को अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित क्षेत्रों के लिये विशेष अनुदान देने होते हैं । परन्तु जहां तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है, इस में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसका

सारा उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। अस्पृश्यता को दूर करने के लिये जो अनुदान दिये जा रहे हैं यह एक विशेष मामला है।

श्री तिम्मय्या: संविधान के इस निदेशक सिद्धान्त के अनुसरण में, जो कहता है कि राज्य प्रजा के निर्बल भाग, और विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों, के आर्थिक तथा शिक्षात्मक हितों को, विशेष ध्यान पूर्वक उन्नत करेगा, सरकार ने, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आर्थिक हितों को उन्नत करने के लिए, किस प्रकार का विशेष ध्यान दिया है ?

श्री दातार: जहां तक आर्थिक हितों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य इस 'राज्य' शब्द में भारत के सभी राज्यों को सम्मिलित कर लें। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, वह ये अनुदान विभिन्न राज्यों को पूर्वकथित कार्यों के लिए दे रही है।

श्री वेलायुधन: ऐसा कहा गया है कि सरकार ये अनुदान, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कुछेक विशेष संघटनों को दे रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन अनुदानों का संघटनों को वितरित किया जाना कुछ विशिष्ट राजनीतिक दृष्टिकोणों पर निर्भर है ?

श्री दातार: जी नहीं। वास्तव में हमारी यह इच्छा है कि जहां तक कार्य के प्रचालन का सम्बन्ध है, इस में किसी प्रकार का राजनीतिक दृष्टिकोण न हो।

श्री गणपति राम: जैसा कि मंत्री जी ने अभी कहा है और जैसे संविधान में दिया गया है कि १० वर्षों के अन्दर हरिजनों की सामाजिक और आर्थिक दशा, अन्य समाज के बराबर आ जायेगी, क्या गवर्नमेंट इस रफ्तार से हरिजनों की सामाजिक उन्नति इतनी ज्यादा कर सकेगी ?

श्री दातार: गवर्नमेंट उन की दशा जरूर सुधारेगी।

ग्रामीण ऋणिता

*१४४. **श्री जेठा लाल जोशी**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय, ग्रामीण ऋण की कुल प्राक्कलित राशि कितनी है;

(ख) इस में से अनुमानतः कितनी राशि का, १९५०. के, उपरान्त उठाई गई है; तथा

(ग) देश में भूमि बंधक बैंकों की कुल कितनी संख्या है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) तथा (ख). देश में दिये गये ग्रामीण ऋण के रूप तथा परिमाण के सम्बन्ध में स्थिति बताने वाले नवीनतम आंकड़े अभी प्राप्य नहीं हैं। इस के सम्बन्ध में केवल एक अधिकृत प्राक्कलन दिया गया है, और वह भारतीय केन्द्रीय बैंक जांच समिति के द्वारा दिया गया है, जिस ने भारत के लिए १९३१ में कुल ऋणिता लगभग ९०० करोड़ रुपया बताई है। भारत के रिज़र्व बैंक के द्वारा नियुक्त की गयी ग्रामीण प्रत्यय सर्वेक्षण समिति ने अभी अभी अपना प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिस में ग्रामीण प्रत्यय के अन्य पहलुओं के साथ साथ ग्रामीण ऋणिता की समस्याओं पर भी सोच विचार किया गया है। अतः ग्रामीण ऋणिता अथवा १९५० के उपरांत की ऋणिता के सम्बन्ध में, हमारे पास कोई नवीनतम प्राक्कलन नहीं हैं।

(ग) ३० जून, १९५३ को केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों तथा प्राथमिक भूमि बंधक बैंकों की कुल संख्या क्रमशः ८ तथा ३०१ थी।

श्री जेठा लाल जोशी : १९५३–५४ में भूमि-बंधक बैंकों के द्वारा कृषिकारों को कुल कितना ऋण दिया गया है ?

श्री ए० सी० गुहा : इस के विषय में मेरे पास वास्तविक आंकड़े नहीं हैं। मैं उन्हें सामान्य स्थिति के विषय में जानकारी दे सकता हूं। जहां तक मुझे स्मरण है, मैं कह सकता हूं कि कुल राशि लगभग एक करोड़ रुपया है।

श्री जेठा लाल जोशी : कृषिकारों की कुल आस्तियों की तुलना में ऋणों का कुल कितना अनुपात है ?

श्री ए० सी० गुहा : ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारत की कुल राष्ट्रीय आय का ५० प्रतिशत भाग कृषिकारों की ओर से प्राप्त होता है। अतः वह स्वयं ही इस की गणना कर सकते हैं। ग्रामीण ऋणिता के विषय में, हमारे पास ठीक ठीक नवीनतम आंकड़े नहीं हैं; अतः मैं अनुपात नहीं बता सकता।

श्री जेठा लाल जोशी : ऐसे कितने प्रतिशत कृषिकार हैं जो ऋणग्रस्त हैं और उन ऋणों को वसूल करने के लिये की जा रही कार्यवाहियों को गति देने के लिए सरकार किस प्रकार के प्रयत्न कर रही है ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरा विचार है कि मैं ने जो उत्तर दिया है वह इस बात को बताने के लिये पर्याप्त होगा। यह जानकारी देने के लिए हमें अपेक्षित आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। परन्तु जहां तक कार्यवाहियों का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि वह इस सभा में पहले अनेक बार बताई जा चुकी हैं। मैं एक बात कह सकता हूं कि हम सहकारी आन्दोलन को विकसित करने का प्रयत्न कर रहे हैं. और रिज़र्व बैंक सहकारी बैंक, को हर प्रकार की सहायता दे रहा है, और उन्हें ऋण भी दे रहा है। मेरा विचार है कि इस वर्ष कृषि सम्बन्धी प्रत्यय के लिए सहकारी बैंक को लगभग १५ करोड़ रुपये का कुल ऋण दिया जायेगा।

श्री पुन्नूस : क्या ये बातें, यह बताती हैं कि हूस काल में ग्रामीण ऋणिता बढ़ गयी है ?

श्री ए० सी० गुहा: मेरे विचारानुसार यह बढ़ी नहीं है क्योंकि केन्द्रीय बैंक जांच समिति के प्रतिवेदन के उपरान्त १९४३ के अकाल के पश्चात् अकाल जांच समिति के द्वारा एक और प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया था, और उसने उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त, सिन्ध तथा उड़ीसा को छोड़ कर लगभग २८० करोड़ रुपये की राशि बताई है। मेरा विचार है, कि उस प्राक्कलन के अनुसार यह राशि लगभग ३०० करोड़ रुपया होगी। अतः ऐसी आशा की जा सकती है कि ग्रामीण ऋणिता बढ़ी नहीं होगी।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मेरे विचार में, माननीय सदस्यों को ग्रामीण प्रत्यय सर्वेक्षण समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, जो कि शीघ्र ही उन्हें प्राप्त हो जाएगा उन्हें उससे इस बारे में बहुत सी जानकारी मिल सकेगी।

सशस्त्र सेनाओं में छंटनी

*१४५१. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि सरकार ने निकट भविष्य में सशस्त्र सेनाओं के तीनों पार्श्वों में से बहुत से व्यक्तियों को हटाने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो हटाये गये व्यक्तियों को काम पर लगाने के लिये क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किये गये हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) नौसेना और वायु सेना में से बहुत कम व्यक्ति हटाये जायेंगे। सेना में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने साधारण नौकरी काल से अधिक समय तक काम कर चुके हैं, जो नौकरी के अनुसार सेना के साथ ७ से १२ वर्ष तक की नौकरी है, और कुछ समय तक का रिज़र्व काल रक्षित सेना जो सेना का एक अनिवार्य भाग था, युद्ध के परिणाम-स्वरूप समाप्त हो चुकी है और अब पुनः इसे स्थापित करना अनिवार्य हो गया है। सामान्यतया जो व्यक्ति हटाये जा रहे हैं, वे या तो रक्षित सेना में बदले जा रहे हैं या वे अपना सेवाकाल पूरा कर चुके हैं।

(ख) हटाये जाने वाले व्यक्तियों को व्यवसायिक तथा शिल्पिक प्रशिक्षण देने के लिये सुविधायें प्रदान की गई हैं, ताकि वे अपना व्यवसाय आरम्भ कर सकें या उद्योग में उपयुक्त काम पर लग सकें। उन्हें सरकार या गैर सरकारी मालिकों के अधीन उपयुक्त पद ढूंढने के लिये काम दिलाऊ दफतरों द्वारा भी सहायता दी जा रही है। हमनेभी भूतपूर्व सैनिकों को उपनगरों में बसाने और विभिन्न राज्यों में यातायात सहकारी संस्थाओं को उन्नत करने की योजनाएं बनाई हैं। हटाये जाने वाले व्यक्तियों को, जो रक्षित सेना में भेजे जायेंगे, संशोधित शर्तों के अधीन, पिछले दिनों में मिलने वाले ५ रुपये मासिक शुल्क के स्थान पर १० रुपये मासिक प्रतिधारण शुल्क मिला करेगा।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह तथ्य है कि आर्डनेंस फैक्टरियों, एम० इ० एस० आर्डनेंस डिपुओं में काम करने वाले जिन कर्मचारियों ने तीन से पांच वर्ष से अधिक समय तक नौकरी की है, उन्हें भी निकाला जा रहा है ?

सरदार मजीठिया : मैंने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि कुछ व्यक्तियों को रक्षित सेना में भेजा जा रहा है। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि इनके अतिरिक्त इस प्रकार के कर्मचारी भी हैं, जिन्हें "अल्प सेवा नियोजन कर्मचारी" कहा जाता है जो केवल १८ महीनों के लिये लगाये जाते हैं। उन्होंने इन १८ महीनों से अधिक नौकरी कर ली है और वे साधारण रूप से हटाये जायेंगे।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या सशस्त्र सेनाओं के तीनों पार्श्वों के लिये तीन से पांच वर्ष से अधिक समय तक काम करने वाले कर्मचारियों के स्थायीकरण के लिये सरकार वही नियम रखेगी जो रेलवे कर्मचारियों के लिये हैं ?

सरदार मजीठिया : जहां तक इन नियमों का सम्बन्ध है, सेवा की शर्तों के अनुसार उन्हें यथा समय स्थायी बनाया जाएगा।

मिदनापुर के समीप विमान-दुर्घटना

***१४५२. श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २ दिसम्बर १९५४ को मिदनापुर के समीप भारतीय वायुसेना का एक स्पिटफायर विमान गिर गया था।

(ख) यदि हां, तो क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है ; और

(ग) कितनी और किस प्रकार की हानि हुई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, विमान में अकेला विमान चालक ही था और वह मर गया।

(ग) विमान बिलकुल नष्ट हो गया था। सरकारी और गैर सरकारी सम्पत्ति के नाश की लागत का अनुमान लगाने के लिये क जांच अदालत स्थापित की गई है।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या इस दुर्घटना से उस क्षेत्र में किसी प्राइवेट व्यक्ति को कोई क्षति पहुंची है ?

सरदार मजीठिया : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं, कि सरकारी तथा गैर सरकारी सम्पत्ति की क्षति का अनमान लगाने के लिये एक जांच न्यायालय बैठ रहा है।

श्री एन० बी० चौधरी : जिस व्यक्ति की इस दुर्घटना के कारण क्षति हुई है क्या उसे कोई प्रतिकर दिया जाएगा ?

सरदार मजीठिया : अवश्यमेव।

श्री भागवत झा आजाद : हवाई अड्डे से उड़ने के पश्चात् यह विमान कितने घण्टे की उड़ान कर चुका था ?

सरदार मजीठिया : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये, परन्तु मैं इतना कहना चाहता हूं कि विमान पूर्णतया ठीक था।

श्राफ समिति

*१४५३. **श्री तुलसीदास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बैंकों के संचालन-व्यय की समस्या की जांच करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है, जैसा कि श्राक समिति ने सिफारिश की थी ?

राजस्व तथा रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : नहीं, श्रीमान। जब तक बैंक पंजाट आयोग की उपपत्तियां प्राप्त नहीं हो जातीं और उस सम्बन्ध में अन्तिम आदेश जारी नहीं हो जाते, उस समय तक यह मामला भारत सरकार ने स्थगित कर रखा है।

दिल्ली में अपराधों की घटनाएं

*१४५४. **श्रीमती सुषमा सेन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि दिल्ली में और दिल्ली के उपनगरों में हिंसा सम्बन्धी अपराधों की हाल में वृद्धि हो गई है ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि स्त्रियों में, विशेषकर उपनगरीय क्षेत्रों में, भय की भावना फैल रही है ; और

(ग) इन अपराधों को रोकने के लिये सरकार किन उपायों को अपना रही है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) दिल्ली में हिंसा सम्बन्धी अपराधों की संख्या में साधारणतया कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) स्त्रियों में भय की कोई भावना नहीं फैल रही है।

(ग) हिंसा सम्बन्धी अपराधों के आपात को रोकने के लिये सब आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं। हत्या के मामलों की पड़ताल करने के लिये "होमी स्क्वाड" नामक एक विशेष कर्मचारी वर्ग की स्थापना की गई है।

श्रीमती सुषमा सेन : क्या दिल्ली पुलिस के जासूसों ने उन २२ प्रतिशत हत्या के मामलों में से किसी का पता लगा लिया है, जिनकी वे खोज नहीं कर सके थे, और जो इस वर्ष के पहले नौ महीनों के अन्दर घटित हुए थे; जैसा कि कुछ दिन पहले इस सभा में बताया गया था, और क्या विनय नगर गोलीकांड और दरियागंज हत्याकांड के अपराधियों का पता लगा लिया गया है ?

श्री दातार : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, सरकार ने खोज के पश्चात् कुछ व्यक्तियों का पता लगा लिया है जिन्होंने वह अपराध किया था। जहां तक दो हत्या के मामलों सम्बन्धी पिछले भाग का सम्बन्ध है, एक मामले में जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है और अपराधी व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया है, और दूसरे मामले में भी जांच पड़ताल पूरी होने वाली है।

श्रीमती सुषमा सेन : इन अपराधों में कितने प्रतिशत अपराध किशोरावस्था के व्यक्तियों ने किये हैं ?

श्री दातार : मैं इस समय प्रतिशतक बताने में असमर्थ हूं ।

श्रीमती सुषमा सेन : उन्हें सुधारने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री दातार : सरकार अपराधियों को ढूंढने के लिये अत्यन्त कड़े उपायों का प्रयोग कर रही है ।

औद्योगिक प्रत्यय तथा विनियोग निगम

*१४५५. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **वित्त** मंत्री २५ नवम्बर १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रस्तावित औद्योगिक प्रत्यय तथा विनियोग निगम के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ऋण तथा अंशदान की प्रत्याभूति देगी या अन्तर्लेख लिखेगी ?

राजस्व तथा रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : अन्तर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण के लिये ही सरकार प्रत्याभूति देगी । बैंक के करार के नियमों के अनुसार सदस्य सरकारों को इन ऋणों की प्रत्याभूति देनी पड़ती है । राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय अन्य किसी ऋण या अंशदान के लिये न तो प्रत्याभूति दी जाएगी और न ही अन्तर्लेख लिखा जाएगा ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : श्री बील की नियुक्ति के मामले में सरकार का परामर्श नहीं लिया गया है और बोर्ड में सरकार का कोई निदेशक नहीं है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं यह समझ सकता हूं कि सरकार की यह नीति है कि गैर सरकारी लाभ को बढ़ाने के लिये सरकारी वित्तों पर दायित्व डाला जाए ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : यह बात सच नहीं है कि श्री बील की नियुक्ति के मामले में सरकार का परामर्श नहीं लिया गया है । अनौपचारिक परामर्श अवश्य लिया गया था । यह बात भी सच नहीं है कि सरकार निदेशक नियुक्त करने का इरादा नहीं रखती । एक व्यक्ति का नाम निर्देशन किया गया है और यथा समय इसकी घोषणा की जाएगी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

केन्द्रीय अधिनियमों का प्रकाशन

*१४३९. **श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्रचलित केन्द्रीय अधिनियमों की अखिल भारतीय संहिता संकलन करने और प्रकाशित करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वित्तीय सहायता (उड़ीसा)

*१४४२. **श्री के० सी० जैना** :
श्री लोक नाथ मिश्र :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने वहां जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् निम्न कामों सम्बन्धी व्यय के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता के लिये कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है :

(१) प्रारम्भिक शिक्षा में सुधार ।

(२) पाठशालाओं में नानाविध पाठ्यक्रमों और विज्ञान के अध्ययन के द्वारा माध्यमिक शिक्षा में सुधार ;

(३) अशिक्षित वयस्कों का प्रशिक्षण ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की मांग की गई थी और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि मंजूर की है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १६]**

अफ़ीम

*१४४७. **श्री भीखाभाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजस्थान और मध्यभारत में अफ़ीम की कृषि करने वालों को जो प्रतिबन्धात्मक आदेश दिया गया था, उसके विरुद्ध सरकार को उनसे कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस आदेश को जारी करने के क्या कारण थे ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख). इस वर्ष राजस्थान और मध्यभारत में अफ़ीम की कृषि करने वालों को कोई नये प्रतिबन्धात्मक आदेश नहीं दिये गये थे, किन्तु गत वर्ष कृषकों को लाइसेंस देने के सम्बन्ध में जो सिद्धांत निर्धारित किये गये थे, उनका अनुसरण इस वर्ष भी किया जा रहा है । अफ़ीम की कृषि करने वालों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया जा रहा है ।

नाखेजियन अर्थशास्त्री तथा सांख्यिक

*१४५०. **श्री माधव रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई नाखेजियन अर्थशास्त्री तथा सांख्यिक निकट भविष्य में इस देश में आ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह भारत सरकार के आमंत्रण पर आ रहा है ; और

(ग) उसके आने का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) से (ग). निकट भविष्य में कोई नारवेजियन अर्थशास्त्री तथा सांख्यिक भारत नहीं आ रहा है । इस प्रकार का एक वैज्ञानिक भारतीय सांख्यिकीय संस्था कलकत्ता के आमंत्रण पर आर्थिक तथा योजना सम्बन्धी अध्ययन के लिए भारत में पहुंच चुका है ।

लंढौर छावनी

*१४५६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंढौर के छावनी क्षेत्र को मसूरी नगरपालिका में सम्मिलित करने के लिए आदेश जारी कर दिये गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो यह परिवर्तन कब तक अन्तिम रूप से सम्पन्न हो जायेगा ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी नहीं । छावनी अधिनियम १९२४ को लंढौर छावनी से हटा लेने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) इस समय उत्पन्न नहीं होता ।

विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां न दिया जाना

*१४५९. **श्री एन० ए० बोरकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्यप्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के विद्यार्थियों को अभी तक अपने इस वर्ष के मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियों की पहली किस्त नहीं मिली ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस विषय में विलम्ब के निवारण के लिए क्या पग उठाने का विचार है।

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी नहीं। छात्रवृत्ति लेने वाले उन सब विद्यार्थियों को, जिन के प्रार्थना पत्र यथाविधि १५-११-१९५४ तक आ चुके थे, छात्रवृत्तियां दे दी गई हैं।

(ख) इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ।

योग आश्रम

*१४६०. **बाबू राम नारायण सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस समाचार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हुई है कि रूस में एक योग आश्रम स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह जानकारी क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने नई दिल्ली के योग आश्रम को सरकार द्वारा सहायता और स्वीकृति प्रदान किये जाने की सिफ़ारिश की है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी हां।

(घ) निर्णय करने से पहले सरकार योग आश्रम से कुछ जानकारी प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रही है।

सार्वजनिक पुस्तकालय (पुस्तक-प्रदान) अधिनियम

*१४६१ **श्री आर० सी० शर्मा** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक सार्वजनिक पुस्तकालय (पुस्तक-प्रदान) अधिनियम (१९५४ का अधिनियम संख्या २४) के अधीन कितनी पुस्तकें प्राप्त हुई हैं और उनका मूल्य कितना है ;

(ख) क्या उस अधिनियम में उल्लिखित अन्य तीन सार्वजनिक पुस्तकालयों के नाम घोषित कर दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो वे कहां कहां पर हैं और उनकी विशेषतायें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एस० एम० दास) : (क) शून्य।

(ख) जी नहीं।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

सरकारी कर्मचारियों की सम्पत्ति

*१४६२ **श्री एम० एल० द्विवेदी** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई जांच कर रही है कि भारत सरकार के कर्मचारियों का भारतीय तथा विदेशी बैंकों में कितना धन जमा है और उनके पास कितनी कितनी चल तथा अचल सम्पत्ति है ?

गृह-कार्य उपमन्त्री (श्री दातार) : इस प्रकार की कोई जांच नहीं की गई है और न करने का विचार है। वर्तमान नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारियों को सरकारी सेवा में प्रवेश करते समय अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है और जो सम्पत्ति बाद में ली जाये, वह भी बतानी पड़ती है। निम्न चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए इन नियमों को संशोधित करने का विचार है :—

(१) अचल सम्पत्ति के सब सौदों के बारे में जानकारी देना।

(२) १००० रुपये से अधिक मूल्य की चल सम्पत्ति के सब सौदों के बारे में जानकारी देना।

(३) श्रणी १ और श्रणी दो के पदाधिकारियों द्वारा अचल सम्पत्ति का वार्षिक विवरण दिया जाना ; और

(४) सरकार किसी भी समय किसी सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य की चल तथा अचल सम्पत्ति का पूरा ब्यौरा मांग सकेगी।

यूनेस्को विशेषज्ञ

*१४६३ **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन विशेषज्ञों ने जो कि १९५३ में यूनेस्को ने इस मंत्रालय में भेजे थे अपना कार्यकाल समाप्त कर लिया है और वे वापस चले गये हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मन्त्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १७]**

निकोटीन सल्फेट

*१४६४. **श्री डाभी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मन्त्री २८ सितम्बर १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन दो फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् द्वारा तम्बाकू की राख से निकोटीन सल्फेट तैयार करने की प्रक्रिया को व्यापारिक रूप से विकसित करने का काम सौंपा गया है ; और

(ख) निकोटीन तैयार करने में इन फर्मों ने कितनी प्रगति की है ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १८]**

हिन्दी नकशे

*१४६५ **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस वर्ष हिन्दी नकशे तैयार और प्रकाशित किये गये हैं ?

***प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मन्त्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)**: जी हां।

राष्ट्रीय आय समिति

*१४६६ **श्री मुरारका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश के अनुसार सरकार ने राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में एक मंत्रणा समिति स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कितने सदस्य होंगे और यह कब कार्य करना आरम्भ करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री डी० सी० देशमुख) : (क) और (ख). इस निर्णय को सम्भव बनाने के लिए कि क्या राष्ट्रीय आय समिति की अन्तिम रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय आय सम्बन्धी मंत्रणा समिति को अन्तरिम रूप से बनाया जाये अथवा क्या उन की अन्य दीर्घकालीन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सीधे प्रबन्ध किये जा सकते हैं अर्थात् एक राष्ट्रीय आय सम्मेलन आरम्भ किया जाये, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा गवेषणा संस्थाओं और राज्य सांख्यिकीय विभाग को भी इस दृष्टि से पत्र भेजे हैं ताकि उनके द्वारा राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में की

गई गवेषणा के बारे में वर्तमान स्थिति ज्ञात हो सके। कुछ उत्तर अब तक प्राप्त हो चुके हैं और अन्तिम निर्णय सब उत्तरों के प्राप्त हो जाने और उन पर विचार किये जाने के बाद किया जायेगा।

पुस्कालयों का विकास (बिहार)

*१४६७. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह २३ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२९८ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार को १९५३–५४ और १९५४–५५ में राज्य के पुस्तकालयों के विकास के हेतु दिए गए अनुदानों की राशि क्या है ;

(ख) क्या स्वीकृत राशि का कोई अंश व्यपगत हो गया है ; तथा

(ग) यदि हुआ है, तो किन कारणों से ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) इस प्रयोजन के लिए निम्न अनुदान दिए गए थे :—

१९५३–५४ १,८५,९४० रुपये।

१९५४–५५ १,८३,८२४ रुपये।

(ख) १९५३–५४ में कोई राशि व्यय-गत नहीं हुई। १९५४–५५ में दिए गए अनुदानों के विषय में स्थिति का पता १९५५–५६ में ही लग सकेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निवृत्ति-वेतन

*१४६८. **श्री बीरेण दत्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीन संस्थाओं में काम करने वाले अध्यापकों और प्राध्यापकों के निवृत्ति-वेतन के लिए आयुक्त सीमा क्या है ;

(ख) क्या इस सीमा को बढ़ाए जाने के बारे में कोई याचना प्राप्त हुई है ; तथा

(ग) यदि अई है तो क्या सरकार ने अध्यापकों की इस मांग पर कोई विचार किया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) ५५ वर्ष।

(ख) हां, श्रीमान्।

(ग) हां, श्रीमान्।

पवन शक्ति तथा सूर्य ताप सम्बन्धी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी

*१४६९. **श्री सी आर० नरसिंहन** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय ने पवन शक्ति और सूर्यताप के सम्बन्ध में वैज्ञानिक अनु-संधान का काम अपने हाथ में लिया है उसमें क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या पवन शक्ति और सूर्य ताप सम्बन्धी पिछली गोष्ठी में अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की बैठक के पश्चात् इस विषय में चल रहे कार्यक्रम में कोई रूपभेद आवश्यक हो गए हैं ; तथा

(ग) क्या सरकार ने इन अनुसंधानों के बारे में कोई समय सीमा निर्धारित की है ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेष-णा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० माल-वीय) : (क) से (ग). एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १९]**।

अलमोड़ा छावनी

*१४७१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलमोड़ा छावनी में १९२५ में कितने असैनिक तथा सैनिक कर्मचारी थे और अब उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) १९२५ में छावनी बोर्ड का राजस्व तथा व्यय कितना था और अब कितना है ;

(ग) क्या उस सीमावर्ती क्षेत्र को, जो १९२५ में संयुक्त प्रांत की सरकार के दिनांक २ फरवरी, १९२५ के आदेश के अधीन बोर्ड में सम्मिलित कर दिया गया था, फिर से अलग करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इस निश्चय के क्रियान्वित होने की कब तक सम्भावना है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क)

वर्ष	असैनिक कर्मचारियों की संख्या	सैनिक कर्मचारियों की संख्या
१९२५	२००	१२००
१९५१	५२२	१२०

जनगणना

(ख)

वर्ष	आय	व्यय
१९२४–२५	१३,७२३	११,९०९
१९५३–५४	१७,६०१	१९,७६२

(ग) छावनी अधिनियम के उपबन्धों को स्वास्थ्य सम्बन्धी नियन्त्रण क्षेत्र से हटा लिए जाने के बारे में निर्वाचित सदस्य द्वारा ९ दिसम्बर, १९५४, की एक प्रस्थापना जो छावनी बोर्ड को १३ दिसम्बर, १९५४ को प्राप्त हुई थी, अभी तक उनके विचाराधीन है।

(घ) सरकार समय के बारे में विशिष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकती क्योंकि अभी यह प्रस्थापना उसके पास प्रस्तुत नहीं हुई है।

सरकारी पदाधिकारियों के वेतन

*१४७२. **श्री एम० एम० द्विवेदी** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल ऐसे कितने सरकारी पदाधिकारी हैं जिन्हें तीन हजार रुपये मासिक से अधिक वेतन मिल रहा है ;

(ख) क्या उनके वेतनों को उस स्तर पर लाने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है जिस पर केन्द्रीय सरकार के लोकप्रिय मंत्री काम कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा करने में कितना समय लगेगा ?

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) रक्षा सेवाओं के पदाधिकारी जिनके सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है, और मुख्य न्यायाधिपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक को छोड़ कर जिनके वेतन संविधान अथवा संसद् के अधिनियम के अधीन हैं, ऐसे पदाधिकारियों की संख्या ७० है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय वैज्ञानिक

*१४७३. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसधान और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५४ में अब तक अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ तथा उनके अधीनस्थ संगठनों में किन्हीं पद पर भारतीय वैज्ञानिकों की नियुक्ति करके उसके काम को कोई मान्यता प्रदान की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन वैज्ञानिकों के क्या नाम हैं और उनको किस प्रकार की मान्यता प्राप्त हुई ?

प्राकृतिक संसधान और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २०]**

रोष्ट्रीय आय समिति

***१४७४. श्री मुरारका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति की यह सिफारिश मान ली है कि राष्ट्रीय आय एकक को स्थायी कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस नये विभाग के मुख्य कृत्य क्या होंगे और इस पर लगभग कितना व्यय होगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय आय एकक वित्त मंत्रालय से केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन को हस्तान्तरित कर दिया गया है। राष्ट्रीय आय एकक सहित इस संगठन को स्थायी करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन के राष्ट्रीय आय एकक का मुख्य कार्य राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय आय के वार्षिक प्राक्कलन प्रस्तुत करना होगा। दूसरा मख्य कार्य सम्बद्ध सरकारी अभिकरणों से राष्ट्रीय आय समिति की अनेक सिफारिशों को कार्यान्वित करवाना होगा। स्थूल रूप में वर्तमान एकक पर वार्षिक खर्च ७०,००० रुपये होगा।

त्यागी सूत्र

***१४७५. पंडित डी० एन० तिवारी :**
डा० रामसुभग सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन श्रेणियों के रक्षा कर्मचारियों पर नवीन निवृत्ति वेतन संहिता सम्बन्धी 'त्यागी सूत्र' लागू कर दिया गया है ; और

(ख) इसमें कितना अतिरिक्त खर्च होगा ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २१]**

(ख) विवरण की कंडिका २ से ४ में उल्लिखित अतिरिक्त उपायों पर प्रतिवर्ष लगभग ४५ लाख रुपये का आवर्तक व्यय होगा जो कि निवृत्ति वेतन पाने वालों की मृत्यु के कारण शनैः शनैः कम होता जायेगा।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अनुदान

***८८२. श्री वी० जी० देशपांडे** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत सात वर्षों में अलीगढ़ विश्वविद्यालय को कितना अनुदान दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) :

	रुपये
१९४७–४८	५,६०,७८६
१९४८–४९	६,९८,५७६
१९४९–५०	१०,२९,६२५
१९५०–५१	१८,५७,५००
१९५१–५२	२३,८८,४००
१९५२–५३	२३,९९,३५०
१९५३–५४	२०,४१,०००
कुल	१,०९,७५,२३७

सैन्य सामान कारखाना, कवादसी

*८८३. **श्री एन० ए० बोरकर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भण्डारा जिले (मध्य प्रदेश) में कवादसी क्षेत्र के लोगों ने उन किसानों के लिये, जिनकी भूमि भण्डारा के निकट कवादसी में सैन्य सामान के कारखाने के लिये रक्षा विभाग द्वारा उपयोग में लाई जायेगी, उचित प्रतिकर देने के सम्बन्ध में सरकार के पास एक अभ्यावेदन भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा उपमंत्री श्री (सतीश चन्द्र) : (क) हां, श्रीमान् इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था।

(ख) क्योंकि अभी तक भण्डारा में या उसके निकट कोई भी सैन्य सामान का कारखाना स्थापित करने का दृढ़ निश्चय नहीं हुआ है अतः प्रार्थनापत्र समय से पूर्व है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

सैन्य सामग्री कारखाना, कवादसी

८८४. **श्री एन ०ए० बोरकर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भण्डारा (मध्य प्रदेश) के निकट कवादसी में जो सैन्य सामग्री का कारखाना स्थापित किया जा रहा है उस में विभिन्न श्रेणियों में कितने व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं; और

(ख) इस के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). भण्डारा में या उस के निकट कोई सैन्य सामग्री का कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में अभी तक कोई पक्का निश्चय नहीं किया गया है।

भारत का प्राणिकीय सर्वेक्षण

८८५. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या प्राकृतिकसंसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्राणिकीय सर्वेक्षण का नियंत्रण मंत्रालय को कब हस्तान्तरित किया गया था; और

(ख) क्या इस हस्तान्तरण के पश्चात् इस विभाग में कोई विस्तार या पुनर्गठन हुआ है ?

प्राकृतिक ससधान और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जुलाई १९५२ में।

(ख) भारत सरकार ने हाल ही में भारत के प्राणिकीय सर्वेक्षण के विस्तार के लिये एक योजना मंजूर की है जिसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

छात्रवृत्तियां

८८६. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रालय द्वारा कितनी प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ; और

(ख) प्रत्येक श्रेणी की कितनी छात्र वृत्तियां दी गई और उन के लिये कितनी राशि दी गई।

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २२]

आन्ध्र राज्य सरकार

८८७. **श्री सी० आर० चौधरी :**
श्री मोहन राव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र सरकार ने अपने विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के पश्चात् और उन का त्यागपत्र राज्यपाल द्वारा स्वीकृत होने से पूर्व सेवाओं के सभी विभागों की सभी श्रेणियों में कितनी नियुक्तियां की हैं ?

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशी छात्रवृत्तियां

८८८. **श्री बाल्मीकी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ में भाग 'क', 'ख' और 'ग' राज्यों को क्रमशः कितनी विदेशी छात्रवृत्तियां दी गईं और १९५४–५५ में कितनी छात्रवृत्तियां दी जाने वाली हैं;

(ख) इस के लिये कितने प्रार्थनापत्र आये हैं ; और

(ग) इस मामले में यदि हरिजन विद्यार्थियों का कोई विशेष ध्यान रखा गया है, तो किस प्रकार का विशेष ध्यान रखा गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २३]

चकदा में भगवान बुद्ध की मूर्ति

८८९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भगवान् बुद्ध की एक विशाल प्रस्तर मूर्ति चकदा के पश्चिम की ओर जंगल में पड़ी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उसे निकलवा कर उस के शिला से लेखों की परीक्षा करवाने का इरादा है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम दास) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, यदि सम्भव हुआ तो ।

पवन शक्ति तथा सूर्यतापसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी

८९०. **श्री सी० आर० नरसिंहन** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पवन शक्ति तथा सूर्य-ताप को प्रयोग करने के सम्बन्ध में अक्तूबर, १९५४ में नई दिल्ली में हुई अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी में किन किन विधियों तथा प्रौद्योगिक ढंगों पर चर्चा हुई थी ?

प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में मंत्री (श्री के० डी मालवीय): अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है । [देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २४]

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता

८९१. **श्री आर० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहली दिसम्बर, १९५४ को राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में कितनी पुस्तकें थीं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : ७,५६,५०५ ।

———

लोक-सभा
वाद-विवाद

Chamber Furnished 18/X/72

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ९, १९५४

(६ दिसम्बर से २४ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खंड ९ में अंक १६ से अंक ३२ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

खंड ९—अंक १६–३२ ६ से २४ दिसम्बर, १९५४.

अंक १६—सोमवार, ६ दिसम्बर, १९५४.

	स्तम्भ
श्री गिरजा शंकर बाजपेयी की मृत्यु	१२०५–०६
स्थगन प्रस्ताव —	
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल	१२०७–१२
राज्य-सभा से सन्देश	—
ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	१२१३–१४
याचिका प्राप्त	१२१४
शंकित प्रश्न संख्या १४६८ पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि .	१२१४–१५
भा की बैठकों से सदस्यों के अनुपस्थित रहने से सम्बन्धित समिति—	
छठा प्रतिवेदन—स्वीकृत	१२१५–१६
ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	१२१६–८६
खंड ६६ से ८०	१२१८–२७
खंड ८१ से ८८	१२२७–५७
खंड ८९ से ९६ और ९८ से १०२ . . .	१२५७–८६

अंक १७—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४.

भा का कार्य—	
सत्र के शेष भाग के लिये सरकारी कार्य का क्रम . . .	१२८७–८८
ण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खण्डों पर विचार—समाप्त . . .	१२८४–१३८७
खण्ड २२	१२८८–१२९६
खण्ड ८९ से १०२ (खण्ड ९७ को छोड़ कर) और नया खण्ड ९३ क खण्ड १०३ से ११३ और ११५, ११६ और अनुसूची, नया खण्ड ११५क, खंड १ और २ . . .	१२९६–१३७६
संशोधित रूप में पारित होने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	१३७६–७८

अंक १८—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
निवारक निरोध अधिनियम सम्बन्धी सांख्यकीय विवरण . .	१३७९–८
विदेशी-जन पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति घोषणायें .	१३८०–८
पुनर्वास वित्त प्रशासन का प्रतिवेदन	१३८
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
याचिका उपस्थापित	१३८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	१३८१
तुर्की की महान राष्ट्र-सभा के प्रधान से प्राप्त सन्देश . . .	१३८२
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संशोधितरूप में पारित	१३८२–१४३१
श्री एम० ए० अय्यंगार	१३८३–८९
श्री ए० एम० थामस	१३८९–९२
श्री एच० एन० मुकर्जी	१३९२–९७
श्री एस० एस० मोरे	१३९७–९९
श्री दातार	१३९९–१४०७
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१४०७–१३
श्री एन० सी० चटर्जी	१४१३–१५
श्री आर० डी० मिश्र	१४१५–२१
डा० काटजू	१४२३–३१
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
संयुक्त समिति में सदस्यों के नामनिर्देशित करने का प्रस्ताव—असमाप्त .	१४३१–८८
श्री पाटस्कर	१४३१–४०
श्री वी० जी० देशपांडे	१४४०–४८
श्री टेक चन्द	१४४८–५२
श्री बी० सी० दास	१४५२–५६
श्रीमती जयश्री	१४५६–५७
श्री डी० सी० शर्मा	१४५७–५८

अंक १९—बृहस्पतिवार, ९ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण और एक भारतीय ग्रामीण का अपहरण . . .	१४५९–६०
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक	१४६०–६१
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
संयुक्त समिति के लिये सदस्य नाम-निर्देशित करने का प्रस्ताव .	१४६१–१५१
श्री डी० सी० शर्मा	१४६१–६

	स्तम्भ
श्रीमती सुचेता कृपलानी	१४६३–६६
श्री एन० सी० चटर्जी	१४६६–७२
श्री बोगावत	१४७२–७६
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१४७६–६८
श्री पी० सुब्बा राव	१४६२–६७
श्रीमती उमा नेहरू	१४६७–१५००
सरदार इकबाल सिंह	१५००–०२
श्री पाटस्कर	१५०२–१४
निवारक निरोध (संशोधन विधेयक)—	
विचार प्रस्ताव—असमाप्त	१५१६–४६
डा० काटजू	१५१६–४२
श्री एम० एम० गुरुपादस्वामी	१५४२–४६

अंक २०—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखा गया पत्र—	
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना . .	१५४७
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१५४७–८६
श्री ए० के० गोपालन	१५४८–५७
श्री जी० एच० देशपांडे	१५५७–६१
श्री वीरस्वामी	१५६१–६३
श्री अशोक मेहता	१५६३–६६
श्री एम० पी० मिश्र	१५६६–७६
श्री वी० जी० देशपांडे	१५७६–८५
श्री टेक चन्द	१५८५–८७
श्री एन० एम० लिंगम	१५८७–८६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	१५८६
सत्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	१५६०
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा १०६क का रखा जाना)—	
पुरःस्थापित	१५६१
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा १४२क का रखा जाना)—पुरःस्थापित	१५६१
वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत	१५६१–१६०४
श्री डाभी	१५६१–६२
डा० पी० एस० देशमुख	१५६२–१६०४

	स्तम्भ
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक (धारा १ और २६, आदि का संशोधन)—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित	१६०४–१७
श्री यू० सी० पटनायक	१६०४–११
डा० काटजू	१६११–१
श्रीमती इला पालचौधरी	१६१२–१
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क	१६१३–१
श्री कानावाड़े पाटिल	१६१५–१७
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१६१७–३४
श्रीमती उमा नेहरू	१६१७–१९
श्री पाटस्कर	१६१९–२२
श्रीमती सुषमा सेन	१६२२
श्रीमती जयश्री	१६२२–२३
श्रीमती ए० काले	१६२३
श्रीमती मायदेव	१६२३–२५
श्री केशवैयंगार	१६२५
श्रीमती इला पालचौधरी	१६२५–२६
श्री डी० सी० शर्मा	१६२६–२८
श्री टी० एस० ए० चेट्टियार	१६२८–३०
श्री धुलेकर	१६३१–३३
विद्युत सम्भरण (संशोधन) विधेयक (धारा ७७ आदि का संशोधन)—	
पुरःस्थापित	१६३१

अंक २१—शनिवार, ११ दिसम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी	१६३५–३८
सभा का कार्य—	
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प के बारे में समय-नियतन	१८३८–३९
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१८३९–१७३
श्री एन० एम० लिंगम	१६३९–४१
श्री एन० सी० चटर्जी	१६४१–४९
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१६४९–५०
श्री केशवैयंगार	१६५०–५२
श्रीमती ए० काले	१६५२–५४

	स्तम्भ
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	१६५४–६०
श्री कासलीवाल	१६६०–६२
श्री भागवत झा आज़ाद	१६६२–६६
डा० एन० बी० खरे	१६६६–७६
श्री दातार	१६७७–६०
डा० कृष्णस्वामी	१६६०–६४
श्री चट्टोपाध्याय	१६६४–६७
श्री सी० आर० नरसिंहन	१६६७–६८
श्री मूलचन्द दुबे	१६६८–१७००
पण्डित के० सी० शर्मा	१७००–०२
श्री राघवाचारी	१७०३–०५
कुमारी एनी मैस्करीन	१७०५–०७
श्री आर० सी० शर्मा	१७०७–१४
श्री सारंगधर दास	१७१४–१७
पण्डित ठाकुर दास भार्गव	१७१७–३२
श्री एच० एन० मुकर्जी	१७३२

अंक २२—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी	१७३३–३४
न्यूटन चिखली खान में दुर्घटना	१७३५–३८
आंध्र में निर्वाचन सम्बन्धी जलूस पर कथित गोली-कांड	१७३८–३९
पटल पर रखे गये पत्र—	
विमान निगम नियम	१७३९–४०
औद्योगिक वित्त निगम सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन	१७४०
अनुदानों की अनुपूरक मांगें—१९५४-५५—पटल पर रखी गई	१७४०
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (आंध्र राज्य)—१९५४-५५—पटल पर रखी गई	१७४०
मंत्री का एक बैंक से कथित सम्बन्ध	१७४०–४५
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१७४५–१८०८
श्री एच० एन० मुकर्जी	१७४५–५०
डा० एस० एन० सिंह	१७५०–५२
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क	१७५२–५५
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	१७५५–५९
आचार्य कृपालानी	१७५९–६१
डा० काटजू	१७६१–७४
खंड १ तथा २	१७७४–९९

	स्तम्भ
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१७९९–१८०८
डा० काटजू	१७९९–१८०८
श्री नन्द लाल शर्मा	१८००–०५
श्री लक्ष्मय्या	१८०५–०६
श्री पुन्नूस	१८०६–१८०८

अंक २३—मंगलवार, १४ दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखे गये पत्र—	
रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, १९५२-५३ . . .	१८०९–१०
रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, १९५२-५३ का वाणिज्यिक परिशिष्ट .	१८०९–१०
लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, रक्षा सेवायें १९५४ . . .	१८०९–१०
तारांकित प्रश्न संख्या ८६२ के उत्तर में शुद्धि	१८१०
सभा का कार्य—	
सरकारी कार्य के क्रम के बारे में वक्तव्य . . .	१८१०–११
चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८११–३०
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . १८११–१३,	१८२७–३०
श्री तुषार चटर्जी	१८१४–१७
श्री एन० एम० लिंगम्	१८१७–१९
श्री बर्मन	१८१९–२०
श्री के० पी० त्रिपाठी	१८२०–२३
श्री ए० एम० थामस	१८२३–२४
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१८२४–२५
श्री दामोदर मेनन	१८२५–२६
श्री के० सी० सोधिया	१८२६–२७
श्री पुन्नूस	१८२७
खण्ड १ और २	१८३०–३२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	१८३२
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . .	१८३२
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८३२–५५
श्री कानूनगो १८३२–३६,	१८४८–५५
श्री वी० पी० नायर	१८३७–४०
श्री तुलसीदास	१८४०–४१
डा० लंकासुन्दरम्	१८४१–४२
श्री झुनझुनवाला	१८४३–४४

	स्तम्भ
श्री ए० एम० थामस	१८४४–४६
श्री कासलीवाल	१८४६–४७
श्री वी० बी० गांधी	१८४७–४८
खण्ड १ और २	१८५५
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८५५–६२
श्री कानूनगो	१८५५–५६
डा० लंका सुन्दरम्	१८५६–५७
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी	१८५७–६२
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८६३–७७
श्री के० के० देसाई	१८६३–६४, १८७४–७७
श्री अमजद अली	१८६४–६५
श्री बिमला प्रसाद चालिहा	१८६५–६६
श्री पुन्नूस	१८६६–६८
श्री बी० एस० मूर्ति	
श्री वेलायुधन	१८६९–७०
श्री केशवैयंगार	१८६८–६९
श्री पी० सी० बोस	१८७०–७१
श्री के० पी० त्रिपाठी	१८७१
श्री एस० वी० रामस्वामी	१८७१–७३
ठाकुर युगल किशोर सिंह	१८७३–७४
खण्ड १ से ३	१८७८
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८७८
श्री के० के० देसाई	१८७८

अंक २४, बुधवार, १५ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
आन्ध्र में निर्वाचन जलूस पर कथित गोलीकांड	१८७९–८३
पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों की भूख हड़ताल तथा सेना का बुलाया जाना	१८८३–८५
पटल पर रखे गये पत्र—	
आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति के अधिनियम	१८८५–८७
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण	१८८७–८८
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना	१८८७
दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी के सन्तुलन-पत्र तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	१८८८–८९

स्तम्भ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १८८९
सभा का कार्य—
सरकारी कार्य का क्रम १८८९-९१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
टेपियोका मांड और आटे के निर्यात पर प्रतिबन्ध . . . १८९१-९२
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प—असमाप्त . १८९२-१९७३
अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय
संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित १९७४

अंक २५—गुरुवार, १६ दिसम्बर, १९५४.

श्री ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव का निधन १९७५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
इम्फाल, मनीपुर में सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज . . . १९७६-७७
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . १९७७
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प—स्वीकृत . १९७७-२००८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त . . २००८-६२

अंक २६—शुक्रवार, १७ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—
पश्चिमी बंगाल में पुलिस के सिपाहियों की भूख हड़ताल और सेना का
बुलाया जाना २०६३-६८
पटल पर रखे गये पत्र—
खनिज कन्सेशन नियमों में संशोधन २०६८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें . . २०६८-९६, २१०८-१०
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—आंध्र . . २०९६-२१०८
विनियोग (संख्या ४) विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . २१११-१२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत २११२
सरकारी औद्योगिक उपक्रमों की देखभाल और नियंत्रण करने वाली संविहित
निकाय सम्बन्धी संकल्प—अस्वीकृत २११२-५०
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याण विभाग
के बारे में संकल्प—असमाप्त २१५०-५६

स्तम्भ]

श्रीमती विजय लक्ष्मी का त्याग पत्र २१५७
अध्यक्ष को पद से हटाये जाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . २१५७–७४, २२४२–७८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—आन्ध्र . . २१७४–९०, २२२७–२८
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को सौंपा गया २१९०–२२२७
श्री पाटस्कर २१९०–२२००
श्री बर्मन २२०१–०६, २२२३–२५
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय २२०८–१३
श्री आर० डी० मिश्र . . . २२०७–०८, २२१३–२३
आन्ध्र विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . . २२२७–२९

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत २२२९–३६
श्री पाटस्कर २२२९–३१, २२३२, २२३६
श्री धुलेकर २२३२–३३
श्री आर० के० चौधरी . . . २२३३–३४
पंडित ठाकुर दास भार्गव २२३४–३६
पंडित सी० एन० मालवीय . . . २२३६
खण्ड १ और २ . . . . . २२३७
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत २२३८

चाय (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . २२३८
श्री करमरकर २२३८–३९
श्री ए० एम० थामस २२३८–३९
श्री एन० एम० लिंगम् २२३९
खण्ड १ और २ . . . . . २२३९–४०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . २२४०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—अपूर्ण . . २२४०–४२
डा० एम० एम० दास २२४०–४२

अंक २८—सोमवार, २० दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव— स्तम्भ

सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र का अतिक्रमण . २२७९–८२

पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों द्वारा भूख हड़ताल के बारे में वक्तव्य . २२८२–८४

पटल पर रखे गये पत्र—

विनियोग लेखा (डाक तथा तार) १९५२-५३ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन १९५४ . . . . . २२८४

संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—पुर:स्थापित . . . २२८४–८५

महिलाओं तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक—पुर:स्थापित . २२८५–८६

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—अपूर्ण . . . २२८६–२३६४

अंक २९—मंगलवार, २१ दिसम्बर, ११५४.

विदेशों को जीपों तथा सेना के कुछ अन्य सामान के लिये दिये गये आर्डरों के बारे में वक्तव्य २३६५–६६

सभा का कार्य २३६६–६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

चाय निर्यात के अधिकारों में सट्टेबाज़ी . . . २३६८–७१

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—संशोधित रूप में पारित . . २३७१–२४५७

राज्य सभा से सन्देश २४५७–५८

अंक ३०—बुधवार, २२ दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखे गये पत्र—

प्रेस आयोग की सिफारिशों के बारे में विवरण . . २४५९

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . २४५९

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक सम्बन्धी साक्ष्य . . . २४६०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—सातवां प्रतिवेदन —उपस्थापित २४६०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उन्नीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित २४६०

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का विवरण, खण्ड ३—उपस्थापित . . . २४६१

पंचवर्षीय योजना के वर्ष १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव— २४६१

अपूर्ण २५२२, २५२२-५२

परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . २५२२

राज्य सभा से सन्देश २५५२

अंक ३१—गरुवार, २३ दिसम्बर, १९५४

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
इम्फाल में एक संसद् सदस्य की गिरफ्तारी और प्रजा समाजवादी दल के कार्यालय पर पुलिस का छापा	२५५३–५७
यूगोस्लाविया के संघीय जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधान मंत्री का संयुक्त वक्तव्य . .	२५५७–६१
पटल पर रखे गये पत्र—	
विभिन्न आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	२५६१–६२
जून, १९५३ में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३६वें अधिवेशन की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के विवरण . . .	२५६२–६३
न्यूनतम मजूरी निवारण व्यवस्था के सम्बन्धी अभिसमय संख्या २६ के अनुसमर्थन के बारे में विवरण . . .	२५६३
रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम—नियम, १९५३ में संशोधन .	२५६३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पी० टी० आई० और यू० पी० आई० द्वारा निजी उद्यम को समाचारों का दिया जाना	२५६३–६८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—सातवां प्रतिवेदन —स्वीकृत	२५६८–७१
समवाय विधेयक की संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति . .	२५७२
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	२५७२–२६१६
श्री पाटस्कर २५७२–७८,	२६०७–२६१६
श्री एन० एम० लिंगम् .	२५७९–८
श्री बी० एस० मूर्ति . . .	२५८१–८३
श्री राघवाचारी .	२५८३–८४
श्री साधन गुप्त	२५८४–८६
श्री टी० एन० सिंह	२५८६–८९
श्री भागवत झा आज़ाद	२५८९–९०
श्री जांगड़े	२५९०–९३
श्री एम० एल० अग्रवाल . . .	२५९३–९५
श्री कासलीवाल	२५९५–९६
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय . . .	२५९६–२६००
श्री कजरोल्कर	२६००–०१
श्री नवल प्रभाकर	२६०१–०४
श्री कक्कन	२६०४–०५
श्री पी० एल० बारुपाल	२६०५–०६

	स्तम्भ
श्री गणपति राम	२६०६–०७
खण्ड १ और २—	
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	२६१६–२६२५
पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—	
असमाप्त	२६२५–७२
श्री रिशांग किशिंग की गिरफ्तारी	२६७२
राज्य-सभा से सन्देश	२६७२–७४

अंक ३२—शुक्रवार, २४ दिसम्बर, १९५४ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
मध्य भारत और राजस्थान में अफीम की खेती .	२६७५–७७
पटल पर रखे गये पत्र—	
भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग १—पुनर्विलोकन	२६७७
भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग २—ब्योरेवार विनियोग लेखे	२६७७
भारत सरकार की रेलों के १९५२-५३ के ब्लाक लेखे (ऋण लेखों वाले पूंजी के विवरणों सहित), सन्तुलन पत्र और लाभ-हानि के लेखे .	२६७७
१९५२-५३ के लिये रेलवे की कोयला खानों के कार्य का पुनर्विलोकन और सन्तुलन पत्र और कोयले, आदि की पूरी लागत के विवरण	२६७७–७८
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे, १९५४	२६७८
केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की दूसरी बैठक में किये गये विनिश्चय के बारे में विवरण	२६७८
तारांकित प्रश्न संख्या ८७६ और १२६५ के उत्तरों में शुद्धि	२६७८–७९
प्रतिभूति ठेके (विनियमन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	२६८०
पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—	
संशोधित रूप में स्वीकृत	२६८०–२७०३
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	२७०३–४३
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उन्नीसवां प्रतिवेदन—वाद-विवाद स्थगित	२७४३–४८
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)—	
पुरःस्थापित	२७४८
भारतीय धर्म परिवर्तन (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक—पुरःस्थापित	२७४९–५२
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक— . . .	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	२७५३–६३
श्री धुलेकर	२७५३–५७

	स्तम्भ
श्री पाटस्कर . .	२७५७–६३
श्रीमती उमा नेहरू .	२७६३
श्री टेक चन्द . .	२७६३
वाद-विवाद स्थगित	२७६३
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक—(नई धारा २९४ख का रखा जाना)—	
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . .	२७६४–६७
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा . . .	२७६४–६५, २७६४
डा० काटजू	२७६५–६६
वाद-विवाद स्थगित	२७६७
मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	२७६७–६९
डा० एन० बी० खरे	२७६७–६८, २७६९
श्री के० के० देसाई	२७६८–६९
वाद-विवाद स्थगित	२७६९
भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक— . . .	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—प्रसमाप्त . .	२७६९–८०
सरदार ए० एस० सहगल . . .	२७६९–७६, २७७७–७८
राजकुमारी अमृत कौर	२७७६–७७, २७७८–७९
वाद-विवाद स्थगित	२७८०
निःशुल्क, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम निवारण विधेयक—	
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . .	२७८०
श्री डी० सी० शर्मा	२७८०–८२, २७८३–८६
श्री के० के० देसाई	२७८२–८३
श्री आर० के० चौधरी	२७८७
राज्य-सभा से सन्देश	२७८८
हिन्दू विवाह विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . . .	२७८८

लोक सभा

मंगलवार, २१ दिसम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ बजे मध्यान्ह

विदेशों को जीपों तथा सेना के कुछ अन्य सामान के लिए दिये गये आर्डरों के बारे मे वक्तव्य

वित मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं एक ऐसे मामले के बारे में संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहता हूं जिससे जनता के दिमाग में कुछ समय से खलबली मची हुई है और जिस के बारे में लोक लेखा समिति ने अपने नवें प्रतिबेदन में कुछ विचार प्रकट किये हैं। यह १९४८ में लंदन से कुछ जीपों और रक्षा सेवाओं के लिये सेना का कुछ सामान यूरोप से मंगाने के लिये दिये गये आदेशों के सम्बन्ध में हैं । इन संविदाओं के सम्बन्ध में कुछ अनियमितता की ओर समिति ने संकेत किया है और सुझाव दिया है कि सरकार ने उन लोगों के विरुद्ध कोई प्रभावपूर्ण कार्यवाही नहीं की जो प्रशासन के और वित्तीय नियमों की अवहेलना कर के इस प्रकार के लेन देन में ऐसे अव्यापारिक सौदे के लिये उत्तरदायी थे । हम ने इस प्रश्न पर पुनः विचार किया है और मैं सभा पटल पर एक विवरण रखता हूं जो इन मामलों के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के पास भेजा जा चुका है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १७**] माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि १९५२ में, इन मामलों के बारे में प्रधान मंत्री के सभापतित्व में मंत्रियों की एक समिति ने विस्तारपूर्वक जांच की थी, उस समय के वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री गोपालस्वामी आयंगर और मैं उस समिति के सदस्य थे । यह समिति उस समय के लंदन स्थित उच्च आयुक्त तथा वरिष्ट पदाधिकारियों की सहायता से इस परिणाम पर पहुंची कि यद्यपि प्रक्रियात्मक और शिल्पिक अनियमिततायें अवश्य थीं पर सम्बन्धित पदाधिकारियों के सद्भाव पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। ४ जून, १९५२ को स्वर्गीय श्री गोपालस्वामी आयंगर ने सभा में भी इस का यही स्पष्टीकरण किया था । प्रक्रियात्मक तथा अन्य त्रुटि को ठीक करने के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं पर जहां तक पदाधिकारियों का सम्बन्ध है सरकार ने निश्चय कर लिया है कि कोई अग्रेतर कायवाही करने की आवश्यकता नहीं है । मुझे विश्वास है कि प्रत्येक लोक-लेखा समिति को भेजे गये विवरण में किये गये स्पष्टीकरण और जो कुछ मैंने अभी कहा उसको समझ कर सभा इस मामले को समाप्त मान लेगी ।

सभा का कार्य

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, १ दिसम्बर,

[श्री सत्यनारायण सिंह]

१९५४ को अपने वक्तव्य में मैंने इस सभा के सत्र के लिये विधान सम्बन्धी कार्य के कार्यक्रम में एक नई मद को सम्मिलित करने की प्रार्थना की थी । यह मद परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक था जिसे सरकार वर्तमान सत्र में पारित करने की इच्छुक है । १८ दिसम्बर को यह विधेयक प्रवर समिति को इस आदेश के साथ सौंपा गया था कि वह २२ दिसम्बर को सभा में अपना प्रतिवेदन पेश करे । प्रवर समिति के प्रतिवेदन आने पर और जैसा कि सभा इस विधेयक को पारित करने को सहमत है, मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि ऐसा करने के लिये यदि २२, २३ और २४ दिसम्बर को सभा की बैठक का समय ६ बजे तक नहीं रखा जायेगा तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर वाद-विवाद के लिये निश्चित समय में कटौती करनी पड़ेगी ।

मैं अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों और माननीय सदस्यों के विचारों को प्रकट कर रहा हूं कि उन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर वाद-विवाद के लिये नियत समय में कटौती करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी यदि इस से यह निश्चित हो जाय कि परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक पारित हो जायेगा । इस सभा द्वारा इस वाद-विवाद के लिये निश्चित ६ घंटों के बजाय अब कितना समय मिल पायेगा । यह परि-सीमन आयोग (संशोधनों) विधेयक के पारित करने में लगने वाले समय पर निर्भर रहेगा ।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा): क्या माननीय मंत्री ने ठीक पता लगा लिया है कि क्या प्रवर समिति नियत समय में अपना काम पूरा कर लेगी । क्योंकि प्रतिवेदन कल पेश होने को है और समिति की बैठक आज प्रातः हुई है ।

श्री सत्यनारायण सिंह : आज दोपहर के बाद समिति की बैठक फिर होगी और समिति इस प्रतिवेदन को भी पूरा कर लेगी ताकि कल उसे सभा में पेश किया जा सके ।

श्री फ्रैंक एंथनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर वाद-विवाद के लिये नियत समय में कमी कर दी जायेगी क्योंकि होना यही है ?

श्री सत्यनारायण सिंह : जी हां

श्री फ्रैंक एंथनि: तो मैं यह कहना चाहता हूं कि तुलनात्मक दृष्टि से ६ घंटे का समय कम ही रहेगा । पिछले वर्षों में .....

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को हम लोग बाद में लेंगे । मैं समझता हूं कि इस समय यदि परिसीमन आयोग विधेयक पारित नहीं किया जाता तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियां जिन की सीटों का निश्चय नवीनतम आंकड़ों पर किया जायेगा, घाटे में रहेंगी । अतः इस विधेयक को पारित करना आवश्यक है । मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि सभा की बैठक तीन दिनों तक ६ बजे तक हो । कल सभा की बैठक १० बजे प्रातः से होगी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

चाय निर्यात के अधिकारों में सट्टेबाजी

श्री एन० एम० लिंगम (कोयम्बटूर): नियम २१५ के अधीन, मैं माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर आकर्षित

करना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस पर एक वक्तव्य दें :

"चाय निर्यात करने के अधिकारों में सट्टेबाजी और चाय के मूल्य तथा उस उद्योग पर उस के प्रभाव ।"

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : अध्यक्ष महोदय, मैं सर्व प्रथम यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई भी विचार कि चाय अभ्यंशों का वर्तमान अधिक मूल्य, उत्पादकों और व्यापारियों से बहुत अधिक सम्बन्धित है, एक गलत बात है। सरकार का चाय उद्योग के साथ प्रत्यक्ष और चाय बोर्ड के सभापति की मार्फत गहरा सम्बन्ध है। परन्तु यह स्पष्ट है कि जब कि अभ्यंश मूल्यों के मामले में काफी दिलचस्पी है फिर भी अधिकांश लोग सरकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते ।

सभा को स्मरण होगा कि चाय के पुराने नियमों के अधीन, चाय के उन बागानों को भी जो चाय बिल्कुल नहीं उत्पन्न करते थे, निर्यात का अभ्यंश मिला जाता था और जिन बागानों का उत्पादन खूब ज्यादा होता था उनको जो निर्यात कोटा मिलता था उसका उन के उत्पादन के अनुपात से कोई सम्बन्ध नहीं होता था। संशोधित नियमों ने मामले को यथार्थ आधार पर ला दिया है। अब अभ्यंश गत चार वर्षों में से किसी सब से अच्छी फसल वाले वर्ष के आधार पर दिया जाता है। अभ्यंश मूल्यों की वृद्धि के कारणों का पता नहीं है। मैं इन सभी सिद्धान्तों की बातें नहीं कहूंगा जो इस सम्बन्ध में पेश किये गये हैं। वास्तविक महत्व का विषय यह है कि क्या हम विशेष रूप से चाय के उत्पादकों के हितों से सम्बन्ध रखते हैं या हमारा विरोध बढ़े हुए अभ्यंश मूल्यों से है। सरकार यह भी जानना चाहती है कि क्या यह मूल्य किसी भी प्रकार निर्यातों पर प्रभाव डाल रहे हैं ?

सर्व प्रथम, उत्पादकों का मत है कि इन मूल्यों से, उनके हितों को आघात नहीं पहुंच रहा है। उत्पादक निर्यात अभ्यंशों के लिये तभी बाजार में जाता है जब वह अनुज्ञप्ति समिति से प्राप्त अनुमति के प्रतिशत से अधिक निर्यात करना चाहता है। जब वह ऐसा करता है तो हिसाब लगा कर देख लेता है, और तभी अभ्यंश का क्रम करता है जब उस में उस से लाभ की पर्याप्त गुंजाइश होती है। निर्यात के मामले में यह स्पष्ट है कि चाय अभ्यंश का बड़ा मूल्य चाय के बढ़े अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य का परिणाम है न कि कारण। जहां तक सट्टे का मामला है, इस की व्याप्ति और क्षेत्र का अनुमान लगाना कठिन है। हमें बताया गया है कि सट्टा इतना ज्यादा नहीं है कि निर्यात अभ्यंशों की बड़ी बड़ी मात्रायें सट्टेबाजों ने इकट्ठी कर ली हों और आपस में खरीद और बेच ली हों। बढ़े हुए अभ्यंश मूल्यों के आधार पर उत्सर्जित वास्तविक मात्रा में अपेक्षाकृत कम है ।

इस वर्ष के निर्यात के लिये कुल अभ्यंश १३५ प्रतिशत है। इस में से १२९ प्रतिशत निर्यात हेतु, पहले से ही, अधिकृत किया जा चुका है और शेष ६ प्रतिशत लगभग २०० लाख पौण्ड रह जाता है। अग्रेतर निर्यात की आज्ञा देने का प्रश्न सरकार तब उठावेगी जब उसे उत्तर-पूर्व भारत में बाढ़ों के कारण वर्तमान साल की फसल की क्षति के बारे में चाय बोर्ड के सभापति से अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा। कोई भी निश्चय करते समय सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि देश के भीतर के बाजार में चाय के मूल्य पर अग्रेतर निर्यात का क्या असर होगा। समय समय पर चाय अभ्यंशों के वितरण सम्बन्धी नियमों के संशोधन के लिये सुझाव रखे गये हैं। मेरे सामने अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया जिस के बारे में कुछ

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

आपत्ति न उठाई गई हो । सरकार अभ्यंश नियमों के संशोधन प्रस्तावों पर प्रसन्नतापूर्वक विचार करेगी यदि उन में इन उद्देश्यों का ध्यान रखा जाये कि अभ्यंश उत्पादन के यथार्थ आधार पर हो, उस से उत्पादकों के हितों पर कोई आघात न पहुंचता हो और अन्ततः उन से चाय के निर्यात में बाधा न उत्पन्न हो ।

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—समाप्त

अध्यक्ष महोदय : अब सभा २० दिसम्बर, १९५४ को प्रस्तावित संकल्प की वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में विचार किया जाय, पर विचार करेगी ।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम) : कल मैं विरोधी दल द्वारा सरकार की ढिलाई के सम्बन्ध में लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में कह रहा था । सरकार को इस का पूरा पता है । हमारे योजना आयोग के उपसभापति श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने तो एक बड़ा ही भयानक चित्र उपस्थित किया था । उन्होंने बताया कि आज ७ करोड़ परिवार खेतों पर काम कर रहे हैं ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

और कृषि से साढ़े पांच करोड़ से अधिक जनता का पालन नहीं हो सकता । शहरों में १ करोड़ बेरोजगार लोग हैं । हर साल साढ़े दस लाख बेकार लोग बढ़ते जाते हैं । इस प्रकार १० वर्ष में ४ करोड़ व्यक्तियों को रोजगार दिलाया जा सकेगा ।

प्रधान मंत्री द्वारा कहे गये समाज के समाजवादी स्वरुप की काफी आलोचना की गयी । हम ने देखा कि अमरीका और रूस ने पर्याप्त आर्थिक उन्नति की है पर वह भारतीय शासन प्रणाली के ढंग पर संभव नहीं अतः प्रधान मंत्री ने हमें सावधान किया कि हमें स्वयं ही प्रगति करनी होगी ।

इसी सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे देश में श्रम की अधिकता है । अतः भारत के अपने निजि टेकनीक और योजना के अनुसार बड़े पैमाने पर बुनियादी उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योगों और कृषि को आप विकसित करें । भारत स्वयं अपने कार्य सम्बन्धी, उद्योग सम्बन्धी उत्पादनों को देश में ही खपाने का प्रयत्न करे । इस प्रकार एक क्षेत्र की चीजें दूसरे क्षेत्र को और दूसरे क्षेत्र की चीजें अन्य क्षेत्रों को उपलब्ध हो सकेंगी । यह समाजवादी समाज का स्वरूप है । यही हमारा उद्देश्य है । यदि राज्य यह समझेगा कि बिना उस के हस्तक्षेप के लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं तो वह आवश्यक हस्तक्षेप या सहयोग करेगा । और इसी कारण हमने १९४८ में औद्योगिक नीति का संकल्प स्वीकार किया था । समाजवादी ढांचे का अर्थ यह नहीं होता कि देश के सभी उद्योगों का राष्ट्रीय करण कर लिया जाये । हालैण्ड में एक सफल समाजवादी राज्य है । यह सब करों और जन कल्याण के लिये सरकारी कोषों के प्रयोग से हुआ है । सभी स्थानों पर बुरे उद्योगपति और प्रशासक होते हैं, बुरे राजनीतिज्ञ और बुरे नौकरशाही व्यक्ति होते हैं । पर सरकार को केवल यह देखना है कि वह उन सभी को नियंत्रण में रखे और गलत रास्ते पर चलने वाले उद्योगों को ठीक रास्ते पर लावे ।

विरोधी पक्ष के बहुत से सदस्यों ने, जिन्होंने भाषण दिये हैं, औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम का अध्ययन नहीं किया है । केन्द्रीय सरकार के पास निजी क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के पर्याप्त अधिकार हैं । जब

कभी वह देखती है कि विकास कार्य में बाधा आ रही है, वह कुछ आवश्यक उपबंध बना कर हस्तक्षेप करती है ।

बहुत से सदस्यों ने तेल शोध कारखानों के साथ हुए, हमारे सौदे की आलोचना की है । किन्तु सामाजिक महत्व के पदार्थ की प्राप्ति मुद्रा विनियम और व्यक्तियों को काम मिलने की दृष्टि से हमें यही सर्वोत्तम मार्ग दिखाई दिया था ।

कुछ सदस्यों ने भारतीयकरण के पहलू पर भी जोर दिया है तथा सभी इस बात को जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में क्या कदम उठा रही है । हाल ही में जो इस्पात करार हुआ है उसमें भी पर्याप्त परित्राण हैं ।

हम किसी भी देश का इतिहास देखें तो हमें ज्ञात होगा कि वे देश केवल अपने संसाधनों से ही विकसित नहीं हुए हैं प्रत्युत उन्होंने दूसरे देशों से भी पर्याप्त सहायता ली है । हम किसी से सहायता अथवा ऋण ले कर उस के दास नहीं बन जायेंगे । निस्संदेह विदेशी सहायता का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है उस में प्राप्ति की लालसा नहीं होनी चाहिये । अविकसित देशों के लिये एक संगठित सहायता होनी चाहिये । ऋण लेने के कारण हमें अपनी स्वतन्त्रता तथा स्थायित्व के सम्बन्ध में भयभीत नहीं होना चाहिये ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) : श्रीमान्, अपनी ओर से तथा अपनी सरकार की ओर से मैं यह कहना चाहूंगा कि हम ने इस चर्चा का स्वागत किया है । मुझे आशा है कि ऐसी चर्चायें संसद् में समय-समय पर हुआ करेंगी क्योंकि ऐसी चर्चा में केवल आवश्यक ही नहीं हैं, प्रत्युत सरकार के लिये भी सहायक हैं । इन से देश की सामाजिक जाग्रति प्रदर्शित होती है ।

यह हमारे विशुद्ध राजनैतिक स्तर से सामाजिक स्तर पर तेजी से बढ़ने के चिह्न हैं । इसलिये मैं इन आलोचनाओं का स्वागत करता हूं । यद्यपि मैं यह सुन कर दंग रह गया कि कुछ आलोचनाओं का तथ्य से कोई भी सम्बन्ध नहीं था ।

विरोधी पक्ष के एक मुख्य सदस्य, श्री मेघनाद साहा, जो पहिले एक बड़े वैज्ञानिक थे, किन्तु जिन्हें अपने क्षेत्र से भटकने पर अभी कोई आधार-शिला नहीं मिली है, ने कई बातें बतलाईं जिन में से अधिकांश गलत थीं । मैंने किसी समस्या पर ऐसा अवैज्ञानिक दृष्टिकोण कदाचित ही कभी देखा । मुझे बड़ा दुःख है कि ऐसा प्रसिद्ध वैज्ञानिक इतने गलत तरीके से विचार करने लगा है :

मुझे प्रोफैसर साहा अथवा इस सभा के किसी भी सदस्य की, जो हमारी सरकार की आलोचना करते हैं, चिन्ता नहीं है । निस्सन्देह कई बातों पर हमारी आलोचना हो सकती है और उस की हमें चिन्ता नहीं है । किन्तु श्रीमान् मैं उन आलोचनाओं की चिन्ता करता हूं जो भारतीय जनता की आलोचना के समकक्ष हैं । यदि इस सभा अथवा बाहर का कोई व्यक्ति यह आरोप लगाता है कि पिछले छः वर्षों में भारतीय जनता ने क्या किया । मेरे विचार से हमारा, यहां तक कि बाहर के लोगों का भी, ऐसा कहना नितान्त अनुचित है; क्योंकि उन बड़ी समस्याओं के होते हुए भी जिनका हमें सामना करना पड़ा तथा सरकार की कमियों एवं गलतियों के बावजूद भी भारतीय जनता ने छः वर्ष के दौरान अच्छा कार्य किया है । यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि मैं भारतीय जनता में बड़ी संख्या वाले सभी वर्गों, बुद्धि जीवियों कृषकों, श्रमिकों तथा अन्य लोगों को सम्मिलित करता हूं । उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है जिस के लिये मुझे गर्व है तथा मैं विश्व में

[श्री जवाहार लाल नेहरु]

कहीं भी इस बात को पुकार कर कह सकता हूं ।

यह सारी कटु आलोचना, यद्यपि मैं इस का विरोध नहीं करता हूं, समस्या के संतुलित दृष्टिकोण पर आधारित नहीं थी किसी बात की आलोचना तथा किन्हीं अन्य अच्छी बातों की स्वीकृति तो समझ में आ सकती है । किन्तु केवल आलोचना तथा बहिष्कार समझ में नहीं आता । मेरे विरोधी सहयोगी किसी बात पर भी 'हां' कहना अथवा प्रसंशा करना भूल गये हैं । यह सभा के इस ओर हो, अथवा उस ओर मैं कहता हूं कि ऐसा रवैया नितान्त असंतुलित अवैज्ञानिक अन्यायपूर्ण तथा अहितकारी है ।

हम क्या चाहते हैं ? हम कुछ महान कार्य करना चाहते हैं, जिस से पुरातन रूढ़ियों, प्रथाओं तथा गली सड़ी अर्थ व्यवस्था में जकड़े हमारे देश का चित्र बदल जायें । यदि आप भारत की यात्रा करेंगे तो आप को विभिन्न प्रकार के लोग तथा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक विकासक्रम दिखाई देंगे, कभी कभी तो महान असमानतायें दिखाई पड़ेंगी । हम इसे पसन्द नहीं करते हैं । सभा में कोई भी इसे पसन्द नहीं करता है । हम इन असमानताओं तथा विभेदों का अन्तर करना चाहते हैं । हम जीवन-स्तर को उठाना तथा समाज को एक नई रूप रेखा में प्रस्तुत करना चाहते हैं । हो सकता है कि हमारी व्यवहारिक कार्य-पद्धति अथवा किसी पद में, हमारा मतैक्य न हो, किन्तु उस अन्तिम चित्र के लिये जो हमारे समक्ष है उस के लिये हमारे मत भिन्न होंगे इस में मुझे संदेह है । कुछ भी हो स्थिति का मूल्यांकन कर के हम प्रगति की एक योजना बना सकते हैं । हम केवल विद्यालयों की चर्चा के रूप में नहीं सोच सकते ।

यह एक कठिन समस्या है जो कि केवल संख्याओं के कारण ही नहीं बल्कि उलझनों के कारण भी कठिन है । लोग सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की बात करते हैं । क्या सभा यह बात समझती है कि भारत में सब से बड़ा और व्यापक निजी क्षेत्र किसानों का है ? देश का महान निजी क्षेत्र यही है, न कि ये कारखाने तथा अन्य चीजें । अब हम इसे बदलना चाहते हैं, किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि वांछनीय अनिवार्यता की एक सीमा होती है । अन्ततोगत्वा एक बड़े समाज में आप को सम्पूर्ण समुदाय की सहमति से चलना होता है । इस अनिवार्य पहलू के अलावा हम ने अपने राजनैतिक क्षेत्र में ऐसी नीति अपनाई है जो बड़ी विचित्र है । हम ने अपने राजनैतिक उपायों में शान्ति-पूर्ण तरीकों का अवलंबन किया है । निस्सन्देह हमारे आर्थिक दृष्टिकोणों में विरोध है । आर्थिक क्षेत्र में कई वर्ग हैं तथा हम वर्गों को समाप्त कर देना चाहते हैं । हमारा दृष्टिकोण व्यक्तियों को ये सब बातें समझाता रहा है । हम इस देश में जागीरदारी करना चाहते हैं । हम ने उस का मूल्य चुकाया समाप्त यह स्मरण रखिये कि जो कुछ हम ने उस के लिये चुकाया वह संघर्ष के मूल्य की तुलना में तुच्छ था ।

आज कल लोग अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों में संघर्ष की बात सोचते हैं । वह चाहे युद्ध हो, विरोध हो या वर्ग संघर्ष हो । मैं वर्ग संघर्ष को मानता हूं किन्तु मैं उसे बढ़ाना नहीं चाहता । मैं अपने हृदय को उस से चिन्तित नहीं करना चाहता । मैं बिना संघर्ष बढ़ाये हुए यथाशक्ति उस से छुटकारा चाहता हूं । मैं मानता हूं कि हमारे राजनैतिक तथा दूसरे दृष्टिकोणों का परिणाम अच्छा हुआ है । ये कई प्रकार से अच्छे हैं क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति के अलावा हम सहयोग

का वातावरण तथा पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। कुछ भी हो हम संघर्ष की कड़ुवाहट तो नहीं पैदा करते हम ने अन्य देशों की महान सामाजिक तथा राष्ट्रीय क्रान्तियों की घटनायें पढ़ी हैं और आज कल देख भी रहे हैं। हमारे मतों में अन्तर हो सकता है। तथा हम उस के कुछ अंश को पसन्द अथवा नापसन्द कर सकते हैं। किन्तु यह प्रश्न हमारे पसन्द करने का नहीं है। वे आंधियों के समान महान ऐतिहासिक क्रान्तियां हैं। मेरे या किसी अन्य सदस्य के यह कहने का कोई लाभ न होगा कि हम वैसी आंधी नहीं चाहते। यह होता रहता है तथा इस से देश के पहलू निर्मित होते रहते हैं। हमें अपने को इन पहलुओं के अनुरूप ढ़ालना पड़ता है। व्यक्ति गलती करता है और फिर उस का उपचार कर लेता है।

मैं अपने देश की दूसरे देशों से अपने लाभ अथवा हानि की दृष्टि से तुलना करना नापसन्द करता हूं क्योंकि मैं किसी देश की आलोचना नहीं करना चाहता। यद्यपि मैं उन की कुछ बातों को पसन्द अथवा नापसन्द करता हूं तथा मैं उन की मित्रता चाहता हूं किन्तु मैं सभा को यह बतलाना चाहता हूं कि ये क्रान्तियां इतिहास, हिंसा, पराजय तथा गृह युद्ध की उपज हैं। ये अनुवर्ती घटनाओं का संचालन करती हैं। कोई किसी उद्देश्य से, जान बूझ कर किसी क्रान्ति अथवा विनाश को संगठित नहीं करता। यह और बात है कि वह किसी के मार्ग पर आ जाये तथा उसे संगठन उन का सामना करना पड़े। कुछ माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि प्रगति के लिये हमें विनाश करना चाहिये तथा संघर्ष तथा कड़वाहट बढ़ानी चाहिये तभी हमें ठीक मार्ग मिलेगा। हम इन सभी बातों से छुटकारा नहीं पा सकते जो व्यक्तियों के विकास तथा स्थिति को संचालित करती हैं। कोई भी व्यक्ति किसी उपयोगी वस्तु का विनाश केवल इस कारण से नहीं करेगा कि उस से एक ऐसी वस्तु निर्मित होगी जो कुछ अर्थों में अच्छी होगी। पिछले कुछ वर्षों में भारत में जो कुछ किया गया उस की तुलना मैं किसी भी देश की प्रगति से करने को प्रस्तुत हूं। यह हो सकता है कि हम ने अधिक प्रगति नहीं की हो। मैं यह मानने को तैयार हूं कि हम ने कम प्राप्त किया किन्तु इस के पृष्ठभूमि में शांतिपूर्ण सहयोग की पद्धति दिखाई पड़ेगी। तुम कह सकते हो कि सहयोग की इस पद्धति से भी तुम अधिक तेजी से जा सकते थे। हमें यह मान लेना चाहिये और इसी प्रकार प्रारम्भ कर के अपनी गति बढ़ानी चाहिये। सभा को यह स्पष्ट होना चाहिये कि हम शांतिपूर्ण सहयोग की तथा प्रजातन्त्रात्मक पद्धति को अपनायें अथवा किसी दूसरी पद्धति को स्वीकार करें। जब मैं प्रजातन्त्र शब्द का प्रयोग करता हूं तो मैं जानता हूं कि इस के कई अर्थ हो सकते हैं, किन्तु मैं उस क्षेत्र में यह शब्द बोल रहा हूं जिसे लोग संसदीय प्रजातन्त्र कहते हैं। दूसरी पद्धति भी इतनी ही प्रजातन्त्रात्मक हो सकती हैं। किन्तु वे भिन्न हैं। हमें इस दृष्टि-कोण से इस पर विचार करना चाहिये। हमारे देश में संसदीय प्रजातन्त्र क्यों है? क्योंकि अनुमानतः हम यह सोचते हैं कि सुदूर भविष्य में इस के परिणाम सर्वोत्तम रहते हैं। यदि हम इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि इस के परिणाम सर्वोत्तम नहीं रहते तो हम इसे बदल सकते हैं। हमारे ध्येय में किस प्रकार के परिणाम हैं? राष्ट्रीय कल्याण, तथा अपनी करोड़ों जनता का सुख। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। जिन का विशिष्ट तात्पर्य हो। हम इस देश के व्यक्तियों का सुख चाहते हैं--राष्ट्रीय कल्याण तथा राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। हम इसे किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? इस समय हमारा देश औद्योगिक रूप से अविकसित है, यद्यपि वह जापान को छोड़ कर ऐशियाई देशों में सब से अधिक

[श्री जवाहरलाल नेहरु]

विकसित है । मैं रूस का भाग नहीं ले रहा हूं । इन दोनों अपवादों को छोड़ कर भारत ऐशिया के किसी भी देश से औद्योगिक दृष्टि से अधिक विकसित है, निस्सन्देह चीन से भी अधिक । भविष्य में क्या होगा यह दूसरी बात है । मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं । कुछ भी हो हमारा एक अविकसित देश है । हमारा जीवन-स्तर नीचे है । हमें उसे उठाना है तथा उस के उठाने में हमें अपनी सारी जनता के लिये काम ढूंढ़ना है ।

हमारे उद्देश्य क्या हैं ? हम उन की कई प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं, परन्तु एक ढ़ंग जो अन्य ढ़ंगों की अपेक्षा अधिक महत्व-पूर्ण है, यह है कि जब तक हम उत्पादन वृद्धि आदि द्वारा पूरा काम-धन्धा प्राप्त करें तब तक हमें प्रयोगात्मक रूप में अपेक्षाकृत और भी पूरे काम-धन्धे जुटाते रहें । आप उत्पादन वृद्धि, उत्तम वितरण का भी उल्लेख कर सकते हैं । हम वह सब कह सकते हैं और वे सारी बातें इसी मुख्य उद्देश्य का अंग हैं । मुझे आशा है कि यह अनिवार्य है कि इस समस्या पर अधिक काम-धन्धा जुटाने और उत्पादन में वद्धि तथा उत्तम वितरण करने की दृष्टि से विचार किया जायगा ।

यदि हमारा दृष्टिकोण यह है तो हमें इस जटिल परिस्थिति में जिस में हम हैं, यह सब कैसे करना है, जब कि अर्थ-व्यवस्था अल्प-विकसित है, जब कि और विनिमय के लिये बहुत ही थोड़ा अतिरेक है, आदि ? हम अपनी समस्याओं की तुलना उद्योगीकृत पश्चिम की समस्याओं से नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें उन्नति के लिये अनेकों शताब्दियां या कम-से-कम, कई पीढ़ियां मिली हैं । हम सोवियत रूस से भी तुलना नहीं कर सकते । कुछ मामलों में हम उन से सीख सकते हैं । वहां युद्ध, गृह युद्ध से परिस्थितियां पूर्णतया भिन्न थीं । निश्चय ही मैं सात वर्ष की स्वतन्त्रता के पश्चात् रूस की स्थिति से भारत की तुलना करने को तैयार हूं, परन्तु उन की ३० या ४० वर्ष की स्वतन्त्रता के पश्चात् नहीं : एकमात्र देश, जो हमारे देश के तुल्य है, चीन है । यह इस अर्थ में तुल्य है कि उस की जनसंख्या बहुत है, काम-धन्धा न होता तो अत्याधिक है, स्तर नीचे का है, अल्प विकसित है, और उद्योगीकृत नहीं है । वह एक तुल्य मामला है । अतः सम्भवतः यह विचारयोग्य है कि जैसे वे अपने ढ़ंगों से अपनी प्रगति करते हैं, हम उन से कुछ सीख सकते हैं । परन्तु पुनः चीन की पृष्ठभूमि को लीजिये । उन्हों ने अपनी आज की स्थिति वहां से बढ़ कर प्राप्त की है जहां वे ४० वर्ष के ह-युद्ध, अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध, राष्ट्रीय युद्ध के पश्चात् वे चौपट हो गये थे । सौभाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश, हमें—हमारे लिये सौभाग्यवश, जहां तक मेरा सम्बन्ध है, और सम्भवतः विपक्षी माननीय सदस्य इसे दुर्भाग्य समझें—इस देश में सत्ता शान्तिपूर्ण रूप में हस्तान्तरित हो गई थी और हमें उस की चालू व्यवस्था मिली । चालू व्यवस्था के गुण व अवगुण होते हैं । मैं गुणों को प्रधानता देता हूं । अवगुण यह हो सकता है कि आप कुछ ऐसी प्रक्रियाओं से बद्ध हैं जिन में परिवर्तन करने में कुछ समय लगता है । गुण प्रत्यक्ष हैं, आप विनाश कर के अव्यवस्थित परिस्थिति से आरम्भ नहीं करते, परन्तु हम ने एशिया के अधिकतर देशों की अपेक्षा उच्चतम मान पर देश में काम आरम्भ किया था, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं । मुझे तुलना पसन्द नहीं है । तुलनायें भद्दी हुआ करती हैं । परन्तु इतने पर भी मैं सभा से निवेदन करता हूं कि वह भारत की आज की राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक स्थितियों पर ऐशिया के किसी भी देश की स्थितियों के साथ विचार करे । पुनः एक शरण के लिये मैं चीन को छोड़ता हूं, क्योंकि बहुत से मामलों में चीन के प्रति

भिन्न व्यवहार की आवश्यकता है । यद्यपि आज कल भारत में उत्तम परिस्थिति है, अर्थात् औद्योगिक तथा साधारण परिस्थितियां, परन्तु मेरा ख्याल है कि यहां के स्तर चीन की अपेक्षा उत्तम हैं, तो इस का अभिप्राय यह नहीं है कि चीन अधिक उन्नति नहीं कर सकता । वह भिन्न बात है । पश्चिम के इन सारे देशों की दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों से तुलना करना भिन्न बात है । हम ने इस देश में जो स्थिरता—राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक—प्राप्त की हैं और हम जो प्रगति कर रहे हैं उस की अन्य देशों के साथ क्या कोई तुलना है ? हो सकता है कि इस की गति हमारे विचारानुसार मंद हो, परन्तु हम ने जो कुछ किया है वह निस्सन्देह प्रगतिपूर्ण है । विशाल संसार में भारत के बारे में जो धारणा बनाई गई है, वह निस्सन्देह है ।

यह एक असाधारण बात है कि हमारे अधिकतर आलोचक, कुछ हमारे देशवासी ही हैं, या—उन्हें उसी कोटि में रखना बुरी बात है—पश्चिम के कुछ अत्यन्त प्रतिक्रियावादी दलों के, जो भारत की प्रगति को पसंद नहीं करते, सदस्य हैं । परन्तु मैं इस सभा से इस ओर ध्यान देने के लिये निवेदन करता हूं कि हमारी पर्याप्त आलोचना हो, किन्तु हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिये कि इस मामले में यदि भारत आगे बढ़ रहा है, तो इस का कारण यह नहीं है कि भारत सरकार बहुत अच्छी है—इसमें सन्देह नहीं कि यदि ऐसा हो तो इस से सहायता मिलती है—अपितु इस का कारण यह है कि भारत के लोग कार्य करते हैं । हमारे लिये यह उचित नहीं है कि हम सदैव ही उस की निन्दा करते रहें जो भारत के लोग कर रहे हैं । हम किसी बात को बड़े रूप में लेते हैं । सामूहिक योजनाओं या राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं को लीजिये । मेरा विचार है कि यह उन सब से बड़ी बातों में से एक है जो किसी देश की हैं, और मैं यह समझता हूं—मैं यहन हीं कहता कि यह शत प्रति शत सफल हो गया है—परन्तु यह अधिकतर सफल हो रही है । यह आश्चर्यजनक बात है कि हम ने कितनी साधारण स्थिति से यह काम आरम्भ किया; हम ने देशवासियों पर ऊपर से कुछ भी नहीं लादा जैसा कि साधारणतया सरकारों ने किया है ।

विरोधी पक्ष की ओर से हमारे बहुत से मित्रों की क्या प्रतिक्रिया हुई है ? वे केवल इस की निन्दा ही नहीं करते अपितु इस में सहयोग देने से मना करते हैं । यह कोई सरकारी प्रयास नहीं है, यह लोगों का प्रयास है । वे अलग रहते हैं, वे दूसरों को अलग रखते हैं । वास्तविकता यह है कि वे उस प्रगति में बाधा डालते हैं, जो वहां की जा सकती है । में माननीय सदस्यों को सुझाव देना चाहता हूं कि क्या राष्ट्र के महान प्रश्नों पर विचार करने का यही ढ़ंग है ? अतः मेरा निवेदन है कि किसी सरकार की नीति या किसी बात की तथा उस ढ़ंग की, जिस प्रकार हमारा महान देश और हमारे ये महान व्यक्ति आज कार्य कर रहे हैं और नव भारत बना रहे हैं, आलोचना में कुछ भेद किया जा सकता है, परन्तु हमें ऐसी आलोचना का सदैव स्वागत करना चाहिये । मुझे इस में कोई सन्देह नहीं कि वह इस का निर्माण कर रहे हैं । मैं सर्वत्र देखता हूं और मुझे तनिक भी सन्देह नहीं कि आज हमारे भारत का वातावरण हमें जीवन तथा बल प्रदान कर रहा है ।

प्रोफैसर मेघनाद साहा ने कहा था कि वित्त मंत्री ने हमारी औद्योगिक तथा अन्य प्रगति के बारे में जो आंकड़े दिये हैं वे पूर्णतया अशुद्ध हैं । थोड़े से समय में इन विस्तृत आंकड़ों पर विचार करना मेरे लिये असम्भव

[श्री जवाहरलाल नहरु]

है । माननीय सदस्य जानते हैं कि उन में से अधिकतर योजना आयोग के प्रतिवेदन तथा अन्य पत्रों में अंकित हैं । परन्तु वास्तव में मझे इस बात पर आश्चर्य है कि प्रोफैसर साहा इन शुद्ध आंकड़ों को गलत बताते हैं । उन्हों ने अधिक उत्पादन के सम्पूर्ण प्रश्नको ही चुनौती दी है ।

औद्योगिक उत्पादन के देशनांक (१९४६ में १०० थे) १९५० में १०५ थे और बढ़ कर १९५१ में ११७, १९५२ में १२९ और १९५३ में १३५ हो गये थे । इस वर्ष जुलाई में ये १४९ थे । १०५ से १४९ होना बहुत बड़ी प्रगति है । श्री मेहता ने इन की विषमता के बारे में कहा था । सम्भव है कि ये भली प्रकार विषम हों । परन्तु हमें विषमता दूर करनी चाहिये । फिर यह भी सत्य है कि यदि इन्हें अपनी आवश्यकताओं और कर्तव्य की दृष्टि मे देखा जाय तो यह पर्याप्त नहीं है । हम यह स्वीकार करते हैं । परन्तु तथ्य यह है कि औद्योगिक उत्पादन में ध्यानाकर्षक वृद्धि हुई है । वह वृद्धि चाहे वस्त्र के उत्पादन में २५ प्रतिशत हुई है या सीमेंट में ५० प्रतिशत । सिंदरी का कारखाना क्षमता के उत्पादन तक पहुंच चुका है, और हम अब एक या दो और सिंदरी के जैसे कारखाने खोलने वाले हैं । विद्युत, शक्ति और बहुत सी अन्य बातों में वृद्धि हुई है । मैं वास्तव में इस बात से सहमत हूं कि सरकार या किसी अन्य के सन्तुष्ट होने का कोई प्रश्न नहीं है । समस्या गम्भीर है । मैं केवल यह कह सकता हूं कि बात यह नहीं है कि हम सन्तुष्ट हैं, परन्तु यह है कि हम इस समस्या से भयभीत नहीं हुए हैं । चाहे यह कितनी ही कठिन हो, हम इस का मुकाबला करेंगे और इसका समाधान करेंगे । हम ही नहीं, इस समय मैं सब व्यक्तियों और देश के लिये कह रहा हूं, क्योंकि तनिक सी ढील, सन्तोष की तनिक सी भावना हमारे मार्ग का रोड़ा बन जायेगी, और हमें घोर परिश्रम व विचार करना पड़ेगा—मैं कहता हूं कि गम्भीरता से इस पर विचारिये । आप इस का समाधान कैसे करते हैं ? आप को भारत जैसे विशाल देश में ये महान सामाजिक समस्यायें दिखाई देती हैं, । हम वर्गों की चर्चा करते हैं, परन्तु भारत में वर्गों की अपेक्षा कुछ अत्यन्त निकृष्ट बातें विद्यमान हैं; अर्थात जातियां, जातियों ने इसे सुदृढ़ बना दिया है । इस ओर या उस ओर से कोई भी व्यक्ति इस बात से मना कर सकता है कि इस देश में यह एक अभिशाप है, यह जातीयता, जो मार्ग में रोड़ा अटकाती है, अवश्य ही किसी भी प्रकार की प्रगति के मार्ग में, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक, आर्थिक हो, रोड़ा बनेगी ? आप को परिस्थिति का समाधान करना है । अपने मार्ग में आने वाली जातीयता का मुकाबला करना है । हम यह कैसे करेंगे ? यहां किसी संकल्प द्वारा नहीं, हम किसी संकल्प या किसी विधि द्वारा भारत का जातीय ढांचा नहीं बदलेंगे । हम अस्पृश्यता के नियम बना कर सहायता कर सकते हैं, वे उत्तम हैं, उन से मन परिवर्तन करने में सहायता मिलती है । मेरा अभिप्राय यह है कि आप भारत के इस विशाल ताने को, दूसरी जाति तथा वर्गों को अत्याधिक वर्गों को, प्रान्तीयता आदि को, जादू द्वारा नहीं बदल सकते ।

हां, यदि आप केवल आर्थिक आधार पर विचार करें—निश्चय ही, आप ऐसा नहीं कर सकते, परन्तु मान लीजिये कि हम आर्थिक आधार पर विचार करते हैं, उत्पादन सन्तुलित उत्पादन, रोजगार के प्रश्न पर—तो हमें इस पर कैसे आगे बढ़ना है ? लोग सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों की चर्चा करते हैं, और चर्चा आदि करने के लिये यह काफी महत्वपूर्ण भी है । परन्तु

सरकारी या गैर सरकारी या दोनों क्षेत्रों के बारे में चर्चा करने से प्रश्न का समाधान नहीं होता है। अन्ततोगत्वा, समस्या के अनेकों अंग हो सकते हैं और हमें प्रगति करनी है। कुछ बात शेष है, और जब तक आप आज से एक कार्यवाही के परिणामों का विचार नहीं करते और दूसरी कार्यवाही करने को तैयार नहीं होते, तब तक अभाव व रुकावटें रहेंगी। अतः इन समस्याओं पर विचार करना आवश्यक हो जाता है, शाब्दिक रूप में नहीं, अपितु वैज्ञानिक रूप में--प्रोफैसर साहा की भान्ति नहीं, अपितु मैं कहता हूं कि एक वैज्ञानिक की दृष्टि से।

श्री एस० एस मोरे (शोलापुर) : आप का विज्ञान क्या है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरा विज्ञान, यदि मैं यह कह सकूं, निश्चय ही सामाजिक सांख्यिकी पर आधारित है। यह ऐच्छिक विचारों पर नहीं--उद्देश्य की दृष्टि से ऐच्छिक विचारधारा के अतिरिक्त--अपितु अनिवार्य रूप से सामाजिक सांख्यिकी पर आधारित है ? हम कैसे कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हम कैसे सन्तुलित अर्थ-व्यवस्था, बड़े बड़े उद्योग, माध्यम उद्योग, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग बढ़ा सकते हैं। हम थोड़े समय से रोजगार कैसे दे सकते हैं। हम देश में साधारण रूप से मानवीय प्रसन्नता में और राष्ट्रीय शक्ति में कैसे वृद्धि कर सकते हैं।

यह पूर्णतया सम्भव है और मेरा विचार है कि श्री मेहता का यह कहना सर्वथा सत्य था कि देश में एक विषम विकास हुआ है। ऐसा ही हुआ है, और यदि मैं यह कह सकूं तो प्रायः अन्य देशों में भी विषम विकास हुआ है, यहां तक कि योजना की परीक्षा करने में भी ऐसा ही हुआ है।

मेरा विचार है कि यह देश--मैं इस की किसी अन्य देश से तुलना नहीं कर रहा हूं--परन्तु इस देश की पृष्ठभूमि को लेते हुये, ये सारी पृथककृत पृष्ठभूमियां, वर्ग तथा जाति आदि, और प्रान्तीयता मेरा विचार है कि इस ने अपने योजना आयोग द्वारा लोगों को समस्या का बोध कराने में बहुत अच्छा कार्य किया है। यह बड़ा आवश्यक है कि लोग साधारण रूप में समस्या की जटिलता से भिज्ञ हों और समूचे रूप में भारत के लिये योजना के रूप में विचार करना आरम्भ करें। उन्हों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं किन्हीं व्यक्ति विशेषों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, अपितु साधारण रूप में आप से कह रहा हूं। सभा को स्मरण होगा कि हम ने तीन या चार वर्ष पूर्व योजना बनानी आरम्भ की थी, और उस समय हमारे पास बहुत ही थोड़े आंकड़े थे। आंकड़ों के बिना योजना बनाना अत्यन्त कठिन है। संसद में या और कहीं कोई भी व्यक्ति यह संकल्प पारित कर सकता है कि लक्ष्य क्या है। शनैः शनैः हम ने आंकड़े एकत्रित कर लिये हैं। शनैः शनैः, हम ने राज्यों तथा राज्यों में लोगों को योजना-भिज्ञ बना दिया है। सारे समय में, इस देश में हमें खाद्य के अभाव की गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ा है। हम नें ठीक या गलत यह निश्चय किया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक महत्व-पूर्ण बात कृषि मोर्चा है। यह ठीक है कि हम नदी घाटी योजनायें कार्यान्वित कर रहे हैं, हम ने सिंदरी तथा चितरंजन के कारखाने बनाये हैं और प्रत्येक प्रकार के अन्य कार्य किये हैं। परन्तु, निश्चय ही, हम ने कहा था कि खाद्याभाव एक बड़ी समस्या है और हम ने उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया। इस बारे में मतभेद हो सकता है कि हम ने बड़े बड़े उद्योगों के बारे में कुछ किया है या नहीं। इस में भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं। परन्तु, हम ने ऐसा इसलिये किया था कि हम ने यह महसूस किया कि जब तक हमारी खाद्य स्थिति सुदृढ़ नहीं होती, तब तक हमारे औद्योगिक प्रयत्न यदि

[श्री जवाहरलाल नेहरु]

असफल न भी हों तो भी कुंठित हो सकते हैं। जिन माननीय सदस्यों ने अन्य देशों के इतिहास का अध्ययन किया है, उन्हें कदाचित यह विदित है कि बड़े बड़े उद्योगों को अत्याधिक महत्व देने से उन समाजवादी तथा ऐसे ही देशों में कठिन समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं। वास्तव में, शीघ्र उद्योगीकरण के लिये कुछ देशों ने जो लागत चुकाई है, उस में से हमें भयभीत होना पड़ता है।

मुझे इस बात में सन्देह है कि कोई भी देश जानबूझ कर इतना बड़ा मूल्य चुका सकता। जिन पर आ पड़ी उन्हों ने दिया। मैं कह-सकता हूं कि संसदीय प्रजातन्त्र वाले देश में इतना पैसा लगाना संभव नहीं है। हो सकता है कि जिन देशों में अधिनायक तंत्र हैं वहां लोग इसे चुका सकें। किन्तु मुझे इस में भी सन्देह है क्योंकि कोई भी अधिनायक अपनी जनता की सम्मति के बिना इतना आगे नहीं बढ़ सकता। आप को इस पर विचार करना होगा। यह बिल्कुल निश्चित है कि वास्तविक प्रगति अन्त में औद्योगीकरण पर ही निर्भर होगी। और वह औद्योगीकरण अन्त में भारी उद्योगों पर निर्भर है। और चीजें भी जरूरी हैं किन्तु भारी उद्योग बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर हम अपने राष्ट्र की स्वतन्त्रता बनाये रखना चाहते हैं और अपने जीवन-स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो भारी उद्योग अत्यावश्यक हैं। अगर मैं खाली भारी उद्योगों की ही उन्नति चाहूं और दूसरी बातों को छोड़ दूं तो संभव है कि हमारी समस्यायें और भी कठिन हो जायेंगी। हो सकता है कि बेरोजगारी बढ़ जाये। हमें भी उन्हीं समस्याओं का सामना करना है जिन का सामना चीन ने किया है। चीन के बारे में हमें बहुत सी बातें मालूम हुई हैं। वहां भी काफी मात्रा में बेरोजगारी है। वे इस का मुकाबला करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह समस्या हमारे सामने भी है। हमें उच्च टैकनीक की आवश्यकता है और उस के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते। किन्तु जैसे ही हम उच्च टैकनीक की बात सोचते हैं, इस का यह अर्थ निकलता है कि हमारे यहां बेरोजगारी बढ़ जायेगी। हम बेरोजगारी नहीं चाहते। हम तो अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देना चाहते हैं। वैज्ञानिकरण की भी एक कठिनाई है। हमें उन तरीकों को संतुलित करना है। और उन पर काबू पाना है।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के सम्बन्ध में यह आपत्ति की गई थी कि औद्योगिक क्षेत्र में उन्हों ने कोई लाभदायक काम नहीं किया है। मैं तो यह कहूंगा कि उन प्रयोगशालाओं में जो नवयुवक वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं उन से बढ़िया वैज्ञानिक भारतवर्ष में और नहीं है। अभी उस दिन अणुशक्ति के सिलसिले में एक छोटा सा सम्मेलन हुआ था जिस में वरिष्ठ तथा कनिष्ठ वैज्ञानिकों ने भाग लिया था। उस सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर मैं कह सकता हूं कि कनिष्ठ वैज्ञानिक वरिष्ठ वैज्ञानिकों से आगे बढ़ गये हैं।

मैं आंकड़ों के बारे में कह रहा था। हम इन समस्याओं को आंकड़ों के आधार पर हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में सांख्यिकी शाला के वरिष्ठ सांख्यिकों की हम ने सहायता ली है। जिन माननीय सदस्यों ने कलकत्ता की सांख्यिकी शाला देखी है वे अच्छी तरह जानते हैं कि वहां वृहत स्तर पर किस प्रकार इतना अच्छा कार्य हो रहा है वहां हजारों नौजवानों को प्रशिक्षा मिल रही है। एक प्रकार से वहां अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षा का केन्द्र बन गया है। मैं समझता हूं कि बीस राष्ट्रों के नवयुवक वहां प्रशिक्षा ले रहे हैं। विदेशों से बहुत ही योग्य अध्यापक वहां आये हैं। आजकल

वहां विभिन्न देशों, जैसे अमरीका, इंगलैंड, फ्रांस, बेलजियम, नार्वे, सोवियत संघ, जापान आदि के विश्व ख्याति-प्राप्त विशेषज्ञ सांख्यिक जमा हुए हैं। और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि वहां सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। जैसा कि मैं ने पहले भी कहा था, हमारी समस्या यह है कि आगामी १० वर्षों में हम किस प्रकार बेरोजगारी को समाप्त कर सकते हैं और चारों ओर अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं हमारे हां भारी उद्योगों और कुटीर उद्योगों में कितना धन लगाने की आवश्यकता है? इस समस्या का हल यथासंभव हमने आंकड़ों के आधार पर ही करने का निश्चय किया है। वित्त मंत्री ने भी इस बेरोजगारी को १० वर्षों में समाप्त करने के लिये कहा था। इसलिये यह स्पष्ट है कि बिना उद्योगों के हम यह कार्य नहीं कर सकते। कुटीर उद्योगों का विस्तार किये बिना हम यह कार्य नहीं कर सकते। इन दोनों उद्योगों में आपस में किसी विरोध की बात नहीं है। इतना उत्पादन करने के लिये दोनों का सन्तुलन करना होगा। इस के लिये बहुत पूंजी चाहिये। मैं इस समस्या को व्यवहारिक रूप से हल करना चाहता हूं। हमें बहुत से काम करने हैं, कई चीजों का उत्पादन करना है, इसके लिये हमें कारखानों की आवश्यकता होगी और कारखानों के लिये हमें भारतवर्ष में ही मशीनें तैयार करनी होंगी। हमें इस दृष्टि से कार्य करना होगा कि पांच वर्ष बाद हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। और उस की योजना आज बनानी होगी। यह कहा गया है कि इस्पात उत्पादन की हमारी गति बड़ी धीमी है। मैं यह चाहता हूं कि उत्पादन-गति धीमी है। हम और भी अधिक उत्पादन कर सकते थे किन्तु इस के बारे में कुछ दिन हुए तभी हमें आभास हुआ और अधिक उत्पादन करने का हम ने निश्चय किया। इस समय हमारा विचार दो और संयंत्र लगाने का है, और तीसरे संयंत्र के बारे हम विचार कर रहे हैं। और इस प्रकार आगामी कुछ वर्षों में इस्पात उत्पादन को हम चार गुना बढ़ाना चाहते हैं। इन मामलों पर हम तभी काबू पा सकते हैं जब हम यह सोचें कि किस प्रकार अधिक से अधिक उत्पादन अधिक से अधिक रोजगार, तथा अधिक से अधिक क्रय शक्ति बढ़ायी जाय।

सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं सरकारी क्षेत्रों को अधिक महत्व देता हूं, और देश में समाजवादी प्रणाली पर आधारित समाज की स्थापना चाहता हूं जो कि वर्गहीन और जाति हीन हो, और वह समाजवादी प्रणाली से ही स्थापित हो सकता है। और जहां तक कांग्रेस की बात है उस ने बहुत दिन हुए तभी से वर्गहीन और जातिहीन समाज की स्थापना करने का अपना उद्देश्य बना लिया है। किन्तु इस का यह मतलब नहीं है कि चूंकि समाजवाद का अन्तिम उद्देश्य यह है कि सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो इसलिये सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि राष्ट्रीयकरण धीरे धीरे हो। हमारा उद्देश्य तो अधिक उत्पादन और अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने का है। अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिस से उत्पादन की प्रगति हो सकती हो, जिस से अधिक व्यक्तियों का काम मिलने की प्रगति में बाधा पड़ती हो तो इस का अभिप्राय यह नहीं कि आप समाजवादी प्रणाली अपना रहे हैं। भारतवर्ष जैसे देश में जो अनेक प्रकार से अविकसित है, जहां रुपये की कमी है, जहां प्रशिक्षित व्यक्ति कम हैं, और जहां अनुभव भी नहीं है, हमें प्रशिक्षा अनुभव और धन का जो कुछ भी और जितना भी अपने देश में मिलता हो उस से लाभ उठाना चाहिये। हमें भारतवर्ष को समृद्ध बनाना है, लोगों

(श्री जवाहरलाल नेहरु की)

की सहकार्य की भावना से काम लेना है उन में से परस्पर विरोध की भावना को कम करना है। हमें उत्पादन और रोजगार के मामले में आगे बढ़ना है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। और उस तक पहुंचने के लिये हमारा यह कर्तव्य है कि हम ऐसा वातावरण पैदा करें और इस हेतु उन को प्रेरणा दें।

अब सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सम्बन्ध में, यह स्पष्ट है कि हमारे देश में राज्य के पास इतने सीमित साधन हैं कि इस समय हम जो कुछ करना चाहते हैं वह सब नहीं कर सकते हैं। हम यथासंभव अधिक से अधिक करने का प्रयत्न करेंगे। और सम्भव है कि हम बहुत कुछ कर भी सकें। किन्तु कुछ लोग सुझाव देते हैं कि उद्योगों के सम्बन्ध में निजी क्षेत्र को कार्य करने से अवश्य रोका जाना चाहिये। मैं यह नहीं समझ पाता हूं। मैं भारत में समाजवादी समाज चाहता हूं लेकिन केवल संकल्प पारित करने और नारे लगाने से वह प्राप्त नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि भारत अपनी विशाल जनसंख्या के साथ उस दिशा में आगे बढ़े। मैं शोषक समाज के उस ढ़ांचे से बाहर निकलना चाहता हूं।

यह स्पष्ट है कि जनता से सहमति मांगने का प्रश्न ही नहीं है और विशेषकर भूमि सम्बन्धी विधान बनाने के पूर्व हम ने जमींदारों से सहमति नहीं मांगी है। फिर भी हम ने यह विधान इस प्रकार नहीं बनाया है कि जमींदार कहीं के न रहें। हम ने भावी ढ़ांचे में उन्हें समाविष्ट करने का प्रयत्न किया है। वास्तव में, माननीय सदस्य जानते हैं कि जमींदारों को विशेषत: उत्तर प्रदेश के जमींदारों को, भूमि सम्बन्धी विधान से बहुत अधिक हानि हुई है, किन्तु वह सामाजिक परिवर्तन का एक परिणाम है। उस के लिये कोई कुछ नहीं कर सकता है और उन में से अनेक इस बात को समझते हैं और स्वीकार करते हैं। हम ने उन को शत्रु नहीं बनाया है। दूसरा तरीका यह है कि हम दूसरे लोगों को आप का शत्रु बनायें और उन से मदद लेने के बजाय रुकावट मोल लें। मेरे विचार से यह किसी भी दृष्टि से गलत है।

किसी पूंजीपति से या और किसी से अनुज्ञा मांगने का प्रश्न ही नहीं है। हमारी यह नीति है और जो भी नीति हम निर्धारित करते हैं उसी पर दृढ़ रहते हैं और हम सदा अपने विरोधियों को जिन्हें उस नीति से हानि होती है, अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति पर कोई विजय नहीं पा सकता है किन्तु इस प्रकार हम सहयोग का एक वातावरण निर्माण करेंगे। कम से कम यही हम ने गांधी जी से सीखा है। अत: मुझे इस पर प्रसन्नता होगी। यदि हम इस बात को पूर्णत: स्पष्ट कर दें कि हमारा क्या उद्देश्य है और समाज के समाजवादी ढ़ंग से हमारा क्या तात्पर्य है। किन्तु यह स्पष्ट करने के बाद हम भाषा के चक्कर में ही न रह जायें और यह न सोचें कि हम ने कुछ कर लिया है। यह कहीं अधिक अच्छा है कि इन सब बातों में उलझने के बजाय हम अपने उद्देश्य पर विचार करें। हम पूरा रोजगार चाहते हैं, हम उद्योग चाहते हैं। समाज का समाजवादी ढ़ंग प्राप्त करने के लिये हमें आर्थिक अथवा सामाजिक ढ़ांचे को बदलना होगा। सामाजिक ढ़ांचे में हम वे सभी चीजें जैसे जातिपात तथा अन्य बातें जो प्रगति में बाधा पहुंचती, हैं, जो पूर्ण विकास में रुकावट डालती हैं, सम्मिलित करते हैं। मैं चाहता हूं कि जनता की शक्ति काम में लायी जाय। यह सच है कि हिंसात्मक क्रान्ति में भी जनता की शक्ति लगायी जाती है किन्तु जब उस क्रान्ति का बहुत ऊंचा मूल्य भी हमें चुकाना पड़ता है और कम से कम एक या आधी पुश्त तक

हमें उस की भरपाई करनी पड़ती है पूंजी वादी ढांचे के आने पर पुराना सामन्तशाही ढ़ांचा तोड़ दिया गया और अब हमें पूंजीवादी ढ़ाचे से निकल कर समाजवादी दिशा की ओर आगे बढ़ना है । वास्तव में सारी दुनिया में यह क्रिया जारी है । किसी देश में कुछ व्यक्ति निजी उद्यम तथा यथेच्छाकारिता के बारे में बातें करते हैं किन्तु कोई उस में विश्वास नहीं करता है सभी जगह उद्योग आयात और निर्यात के सम्बन्ध में विनियमन और नियंत्रण है । उन देशों में भी जहां पूर्णतः विकसित पूंजीवादी व्यवस्था है, राज्य आज इस प्रकार कार्य करता है जिस की कल्पना पचास वर्ष पूर्व का समाजवादी भी नहीं कर सकता था । मैं यह नहीं कहता कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ें वरन् मैं तो यह कहता हूं कि हम समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की ओर और तीव्र गति से आगे बढ़ें किन्तु वह प्रगति सन्तुलित प्रकार से हो । मैं इस में कोई हानि नहीं देखता हूं वरन् बहुत लाभ देखता हूं यदि निजी क्षेत्र भी कार्य करे ।

मैं सभा को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि कृषक ही हमारा सब से बड़ा निजी क्षेत्र है और वह स्वभावतः रूढ़िवादी है । वह औद्योगिक कर्मचारी या अन्य किसी से कहीं अधिक रूढ़िवादी है । मैं भूमि समस्या की अभी चर्चा नहीं करना चाहता हूं किन्तु यह स्पष्ट है कि जमींदारी प्रथा के उठा देने से हम ने वह समस्या सुलझा नहीं ली है । अभी अनेक कार्यवाहियां करनी हैं । यहां वही कृषि प्रधान अर्थ व्यवस्था है जो निजी क्षेत्र पर आधारित है । हम उसे धीरे धीरे ही बदलेंगे ।

वित्त मंत्री ने ग्रामीण ऋण और ग्रामीण बैंकिंग के बारे में कुछ कहा था । मेरे विचार से इन ग्रामीणों की इतनी बड़ी शक्ति का उपयोग करना बहुत बड़ी बात होगी । इस विषय पर आप चर्चा कर सकते हैं और मुझे विश्वास है कि विरोधी दल के माननीय सदस्य अनेक विचार प्रस्तुत करेंगे । जो सहायक भी हो सकते हैं । अतः हम में से प्रत्येक को समाज के समाजवादी ढ़ंग के उद्देश्य को ध्यान में रख कर सोचना है । हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं और हमारा वास्तविक उद्देश्य अपनी सारी जनता को सुखी करना है । हम पूरा रोजगार और अधिक ऊंचे स्तर पर उत्पादन चाहते हैं । किन्तु वह सब शान्तिपूर्ण लोकतन्त्रात्मक ढ़ंग से चाहते हैं । वही सर्वोत्तम मार्ग है क्योंकि उस में संघर्ष नहीं होता है और अन्त में कोई द्वेष या कड़वाहट भी नहीं रह जाती है जो राज्य तथा व्यक्ति दोनों के लिये ही हानिकर है । राष्ट्र के अन्तर्गत हमें यथा संभव सहकारिता के साथ आगे बढ़ना है ।

वह किसी भी देश के लिये अच्छा हो सकता है किन्तु विशेषकर भारत के लिये यह अधिक आवश्यक है कि हम वही रास्ता अपनायें क्योंकि भारत में अनेक भेद भाव और विघटन कारी प्रवृत्तियां, चाहे वे प्रान्तीय, साम्प्रदायिक, धार्मिक और राज्य तथा जाति सम्बन्धी भेद भाव हों, वर्तमान है । हमें इस देश में अनेक बातों के विरुद्ध युद्ध करना है और यदि हम इस विस्तृत चित्र को दृष्टि से ओझल कर के केवल एक ही दिशा में बढ़ेंगे तो सारी बात उलट पुलट हो जायेगी ।

इस विशाल दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि भारत जैसे अविकसित देश में हम सरकारी क्षेत्र को बिना विस्तृत किये और अनेक महत्वपूर्ण बातों में निजी क्षेत्र पर बिना नियंत्रण रखे आगे उन्नति नहीं कर सकते हैं । मैं इस प्रश्न में नहीं जाता कि दोनों के बीच कहां रेखा खींची जाय किन्तु वह रेखा सदा परिवर्तनशील होगी क्योंकि सरकारी क्षेत्र का विकास होता रहेगा । अतः महत्वपूर्ण उद्योग और निजी क्षेत्र में महत्वपूर्ण विषयों का नियंत्रण अवश्य ही राज्य को करना होगा ।

[श्री जवाहरलाल नेहरु]

इतना कहने के बाद मैं यह भी कहना चाहता हूं कि श्री अशोक मेहता ने कल निजी क्षेत्र द्वारा अनुभव की जा रही परेशानी के बारे में कुछ कहा था। मैं उन से इस बात पर सहमत हूं कि हमें निजी क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर नियंत्रण रखना चाहिये। किन्तु उन्हें उन महत्वपूर्ण नियंत्रणों के अन्तर्गत कार्य करने की पूरी स्वतन्त्रता दी जाये। उन्हें प्रोत्साहन न दे कर, उन का कार्य क्षेत्र संकुचित कर के उस से काम करने के लिये कहना बिल्कुल अर्थहीन सी बात है। हम उसे इसलिये रखना चाहते हैं कि वह उत्पादन और बढ़ायेगा। किन्तु यदि उस का क्षेत्र ही बन्द कर दिया जाय, उस को प्रोत्साहन न दिया जाये तो वह बिल्कुल असहाय और निरर्थक हो जायेगा। तब तो यही अच्छा होगा कि सारी चीज सरकारी क्षेत्र के अधीन ले ली जायें।

हमारी नीति निश्चय ही यथासंभव शीघ्र उत्पादन बढ़ाने और रोजगार बढ़ाने की है। उसे कार्यान्वित करने के लिये यह आवश्यक है। कि सरकारी क्षेत्र में यथासंभव शीघ्र वृद्धि हो। मेरे विचार से भारत में आज की परिस्थिति में यह आवश्यक है कि निजी क्षेत्र कतिपय विस्तृत महत्वपूर्ण नियंत्रणों के अन्तर्गत किन्तु स्वतन्त्रता, प्रोत्साहन और उन सीमाओं में कार्य करे। नियंत्रण इसलिये कि है हमें सरकारी क्षेत्र के बारे में भी सोचना है और निजी क्षेत्र योजना का एक महतवपूर्ण अंग है। यही महत्वपूर्ण नियंत्रण लगाये जाते हैं। आप को पूरे उद्देश्य के बारे में, अर्थात् भारत को एक बड़े पैमाने के उद्यम अथवा सरकारी उद्यम के तौर पर बनाने के कार्य के बारे में सोचना है। भारत में कुछ लोग बुरे, स्वार्थी और भ्रष्ट हो सकते हैं। किन्तु आप को ऐसा वातावरण उत्पन्न करना है जिस से अधिक से अधिक लोग अपने तरीके से मदद करें। सीमा विभाजन करने वाली रेखा को बदलने के विषय में हमें सदा सावधान रहना होगा क्योंकि सरकारी क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है और उस के अन्तर्गत कोई भी चीज आ सकती है। मैं सरकारी क्षेत्र को कहीं भी बिल्कुल सीमित नहीं करना चाहता हूं। जो कुछ हम ले सकते हैं, ले लेते हैं। किन्तु राज्य के साधान सीमित हैं, जो कुछ मैं स्वयं नहीं कर सकता हूं उस के दूसरों के द्वारा किये जाने में रुकावट डालने से कोई लाभ नहीं है। क्योंकि उस प्रकार जो कुछ किया जा सकेगा उस से हम अन्यथा वंचित रहेंगे।

वित्त मंत्री इसे व्यवहारिक दृष्टिकोण कहते हैं। वह व्यवहारिक इस अर्थ में है कि उस दृष्टिकोण के अन्तर्गत हम एक निश्चित दिशा की ओर देखते, हैं हमारे समक्ष निश्चित उद्देश्य होते हैं कुछ निश्चित कल्पनायें होती हैं और हम किसी हद तक बराबर परिवर्तन कर सकते हैं।

१९४८ के औद्योगिक नीति सम्बन्धी विवरण का हवाला दिया गया है। श्री अशोक मेहता ने उस का हवाला देते हुए कहा है कि वह दीमक खाया हुआ है। मेरी समझ में नहीं आया कि उन का इस से तात्पर्य क्या है। मैं समझता हूं कि आधार रूप से यह विवरण बहुत अच्छा है। हमारे वर्तमान दृष्टिकोण से इस में कोई दोष भी नहीं है।

हो सकता है कि आगामी कुछ महीनों में हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर विचार करना पड़े, जिस में उद्योग पर बहुत जोर दिया गया है। उस में हमें सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक जोर देना होगा यद्यपि निजी क्षेत्र के लिये भी उस में स्थान रहेगा। विचार यह है कि वाद-विवाद के लिये पहले योजना का एक प्रारूप तैय्यार किया जाये जिस पर संसद के भीतर तथा बाहर देश में कुछ

महीने अच्छी तरह वाद-विवाद होने के बाद उस को अन्तिम रूप दिया जाये ।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : ६ अप्रैल, १९४८ को औद्योगिक नीति का प्रतिपादन किया गया था । उस समय से आज तक हम ने कितनी ही टिप्पणियां तथा बयान सुने हैं । अभी हम ने वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री के भाषण भी सुने । एक परिणाम जो सब से निकलता है यह है कि हम अब भी उसी नीति पर दृढ़ हैं जिस का प्रति पादन १९४८ में किया गया था । उस का वास्तविक आशय अनेक प्रकार के निर्वचनों का विषय रहा है । माननीय प्रधान मंत्री ने कुछ ही दिन पहले राष्ट्रीय विकास परिषद् के सामने बोलते हुए बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि इस देश का उद्देश्य निश्चय रूप से समाजवाद की स्थापना करना है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस की प्रक्रिया क्रमिक होगी तथा इस के लिये जनतन्त्रात्मक तरीकों का उपयोग किया जायेगा । जहां तक मैं समझता हूं जनतन्त्रात्मक समाजवाद का रूप समाजवादी होता है और उस का विषय अधिकतंत्रवादी होता है । इन बातों से मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैं तो केवल यह देखना चाहता हूं कि इस महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिये गत सात वर्षों में क्या उपाय किये गये हैं।

इस संबंध में दो बातें हमारे सामने प्रमुख रूप से आती हैं । एक तो यह है कि इन सात वर्षों में पूंजीपति वर्ग तथा धनिक वर्ग को प्रत्येक संभव छूट दी गई है । प्रत्यक्ष करारोपण में भारी कमी की गई है । दूसरी बात यह है कि पिछले तीन वर्षों में ही अप्रत्यक्ष करारोपण में ५० करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है । मैं जानता हूं कि यह हमारा देश है । उस की उन्नति में सभी का हित है । इसलिये सभी को इस कार्य में योग देना चाहिये । गरीबों को भी त्याग करना चाहिये । परन्तु त्याग के मामले में समता का होना बहुत आवश्यक है । जमींदारी उन्मूलन किया जा रहा है और जो कुछ शेष है उस का उन्मूलन भी काश्त की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दिये जाने पर किया जायेगा । परन्तु क्या वाणिज्यिक तथा औद्योगिक संसार के लिये भी कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है ? इस के स्थान पर लाभांश परिसीमन अधिनियम तथा पूंजी अधिमूल्यन अधिनियम भी निरसित कर दिये गये हैं, अधिलाभकर रद्द कर दिया गया है तथा अधिक आय वालों को आयकर में छूट दी गई है । रष्ट्रीयकरण का निर्वचन करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा है कि हम अपने वर्तमान संसाधनों का उपयोग नये उद्योग स्थापित करने के लिये करना चाहते हैं तथा सरकार पुराने उद्योगों की टूटी फूटी तथा घिसी पिटी मशीनों को क्रय करने में धन नष्ट नहीं करना चाहती है । परन्तु इस नीति के शब्दों में धीरे धीरे सरकार को वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, बीमा तथा बैंकिंग उद्योगों को अपने अधिकार में ले लेना चाहिये । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के सम्बन्ध में आप की एक योजना है उसी प्रकार १९४८ में प्रतिपादित नीति के शब्दों में औद्योगिक क्षेत्र के अन्य भागों के सम्बन्ध में आप की योजना क्या है । १९४८ के प्रस्ताव में तीन क्षेत्रों की बात कही गई थी एक तो वह जिस का नियत्रंण तथा स्वामित्व दोनों केवल सरकार के हाथ में होगा उस क्षेत्र के वर्तमान उद्योगों को सरकार अपने अधिकार में ले लेगी, दूसरा भाग वह जिस को सरकार अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करेगी, और तीसरा भाग वह जो गैर सरकारी उपक्रमों के स्वतन्त्र व्यवहार के लिये छोड़ दिया जायेगा । यदि आप २० वर्ष तक इन उद्योगों में हाथ नहीं लगायेंगे तो न केवल कुछ लोगों के हाथ में धन एकत्रित होता

[श्रीगाडगील]

रहेगा वरन जिन के पास धन तथा सत्ता है परिस्थिति उन के लिये और अनुकूल होती जायेगी ।

मेरा मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक वस्तु का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये । परन्तु उन का राष्ट्रीयकरण तो होना ही चाहिये जो देश के सार्वजनिक हित में है वित्त मंत्री के कथन के अनुसार करोड़ों व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये प्रति वर्ष लगभग एक हजार करोड़ रुपये का विनियोजन करना आवश्यक है । इतनी बड़ी धन राशि कहां से आयेगी ? पहले करारोपण से तथा उस के बाद ऋण से । इस के अतिरिक्त यदि हम वस्त्र उद्योग तथा बीमा जैसे कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करलें तो इस में कोई संदेह नहीं कि हमें धन की अतुल राशि मिल जायेगी । यह बात मैं वित्त के संभरण की दृष्टि से कह रहा हूं, सामाजिक समानता स्थापित करने की दृष्टि से नहीं । हाल ही में सरकार द्वारा किये गये उपाय, जैसे गैर सरकारी उपक्रमों के लिये ऋण की व्यवस्था करना, इस प्रकार के है जिस से कि उस महान उद्देश्य को जिस का माननीय प्रधान मंत्री ने उल्लेख किया भारी आघात पहुंचने वाला है । न केवल वर्तमान सरकार वरन भावी सरकार की ओर से गैर सरकारी उपक्रमों को लगभग १० से ले कर १५ करोड़ रुपये तक बिना किसी ब्याज के दीर्घकाल के लिये दिया जा रहा है ।

योजना उपमंत्री (श्री एस.एन.मिश्र) : साढ़े सात करोड़ ।

श्री गाडगील : क्या कोई ऐसा उपबन्ध बनाया गया है कि जब इन उद्योगों को लाभ होने लगे तो ४ या ५ प्रतिशत से अधिक जितना भी लाभ उन को हो वह करारोपण या किसी अन्य तरीके से राजकोष में चला आये ? इस के विपरीत भारत का पूंजीपति जानता है कि समान्य वातावरण बहुत कुछ उस के विरुद्ध है इसलिये वह बाहर से आने वाली निजी पूंजी से मिल कर अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है । मैं विदेशी सहायता के विरुद्ध नहीं हूं, परन्तु मैं चाहता हूं कि जो भी विदेशी सहायता हमारे देश के द्वारा ली जाये वह सरकारी स्तर पर ली जाये और उस के साथ ऐसी शर्तें न हों जिस से कि वर्गहीन तथा जातिहीन समाज स्थापित करने के हमारे महान आदर्श की प्राप्ति में कोई बाधा उत्पन्न हो ।

श्री देशमुख का यह कहना बहुत ठीक था कि किसी भी आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य सभी के लिये रोजगार की सुविधायें उपलब्ध करना होना चाहिये । अब समय आ गया है कि सरकार इस का अनुभव करे कि देश की बेरोजगारी किसी एक व्यक्ति का दोष नहीं है वरन देश के आर्थिक ढांचे का यह अनिवार्य रूप से होने वाला परिणाम है, इसलिये इस आर्थिक ढांचे को शीघ्र से शीघ्र बदलना आवश्यक है ।

अभी कोई अठारह मास पूर्व तो सरकारी पक्ष के सभी सदस्य यह मानने ही को तैयार नहीं थे कि बेरोजगारी फैली हुई है । आगरा में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया था । उस के बाद कुछ सर्वेक्षण किये गये । उन के परिणाम तो अभी उपलब्ध नहीं हैं परन्तु समाचार पत्रों से पता चलता है कि बेरोजगारी बहुत व्यापक रूप से फैल रही है । कलकत्ता में मध्य वर्ग के ४० प्रतिशत व्यक्ति बेरोजगार हैं तथा बिहार में १५ प्रतिशत । स्वयं वित्त मंत्री के कथनानुसार शहरी क्षेत्रों के १५ प्रतिशत व्यक्ति बेरोजगार हैं । केवल शहरी क्षेत्रों में ९० लाख व्यक्ति बेरोजगार हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग ३० प्रतिशत व्यक्ति सारे वर्ष भर में काम में नहीं लगे रहते

हैं । इस के अतिरिक्त लगभग ३० लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष काम करने योग्य हो जाते हैं ।

कंट्रोल तोड़ने के परिणाम को देखिये : २० हजार व्यक्ति काम से अलग कर दिये गये हैं, उन में से मुश्किल से दस प्रतिशत व्यक्ति को कुछ काम मिला है जिन में से केवल कुछ ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन को संतोषपूर्ण काम मिला है, अन्य व्यक्तियों के काम की कोई स्थिरता नहीं है । वे दो मास काम पर रहते हैं फिर अलग कर दिये जाते हैं । मैं मानता हूं कि सरकारी पक्ष के बहुत से सदस्यों ने वास्तविक सहानुभूति का प्रदर्शन किया है परन्तु आवश्यकता तो इस की है कि कुछ कार्य रूप में किया जाये । यहां प्रश्न यह नहीं है कि हमारी नीति का उद्देश्य क्या है प्रश्न तो यह है कि जो नीति सरकार अपनाती है उस में समय समय पर पूंजीपतियों के थोड़े दबाव से परिवर्तन कर दिये जाते हैं । इस लिये सर्वहारा तथा बेरोजगार कुछ दबाव डालें तो सरकार को उसे असंवैधानिक कार्य नहीं समझना चाहिये । अब तक इस समस्या को हल करने का जिस प्रकार प्रयत्न किया गया है उस से छंटनी किये गये व्यक्तियों को कोई लाभ नहीं हुआ है । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि बेकार आदमियों को बेकारी भत्ता देना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिये तभी सरकार इस भुगतान से बचने के लिये बेरोजगारी को दूर करने का प्रयत्न करेगी ।

वित्त मंत्री के ही शब्दों में आवश्यकता इस बात की है कि विनियोजन की रफ्तार बढ़ाई जाये । मेरा सुझाव है कि इस देश में किसी की आय ३०,००० रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो । मैं बेकारी की समस्या की कल्पना को कम कर के पेश नहीं करना चाहता हूं और न मैं सरकार द्वारा दिये किये गये उपायों पर ही पर्दा डालना चाहता हूं । मैं तो सरकार को केवल इतना बताना चाहता हूं कि स्थिति बहुत गंभीर है और भविष्य में कुछ भी हो सकता है ।

हम में से प्रत्येक इस देश को अपनी मातृभूमि समझता है । परन्तु क्या हम ने अपने देश को स्वतन्त्र कराने में जो कष्ट झेले हैं जो कुर्बानियां की हैं वह इस लिये की हैं कि मुट्ठी भर पूंजीपति फलते फूलते रहें ? स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष तो हम ने किया है न कि पूंजीपतियों ने । वे तो उस समय भी गुलामी करते थे जब यहां विदेशी सरकार थी । युद्धकाल में उन्हों ने टनों रुपया पैदा कर लिया । सरकार को इस विचार से पीछे नहीं हट जाना चाहिये कि कहीं कहीं कुछ संघर्ष होगा । यदि दो प्रतिशत जनता नहीं कहेगी तो कोई संघर्ष नहीं होगा । इस सभा के सामने प्रश्न यह है कि क्या देश की आर्थिक नीति का निर्णय वे करेंगे । जनता सरकार की पहचान इसी से करेगी कि आगामी २ १/२ वर्षों में आप कितनी बेकारी दूर करते हैं ।

आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया): कल मैं ने दो व्याख्यान सुने थे । एक तो सचिवालय के किसी व्यक्ति का था । जिस ने औद्योगिक नीति का ज्ञापन तैयार किया था । वह हमारी भूत काल की गाथा थी । उस के बाद हम ने वित्त मंत्री का भाषण सुना जिस में हमारे उज्जवल भविष्य की चर्चा की गई थी । परन्तु आज हम ने प्रधान मंत्री का भाषण सुना जिस में भूत, वर्तमान भविष्य तीनों वर्तमान हैं ।

प्रधान मंत्री ने कहा कि हम ने बहुत ही अच्छा काम किया है । परन्तु उन के भाषण के समाप्त होते ही एक कांग्रेस जन खड़ा हुआ । और उस ने जो चित्र हमारे सामने रखा वह बहुत अच्छा नहीं था । प्रधान मंत्री ने कहा कि हम पूंजीपतियों पर बहुत सख्ती नहीं करना चाहते हैं परन्तु एक कांग्रेस जन ने खड़े हो कर कहा कि हम को पूंजीपतियों से बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है ।

[आचार्य कृपलानी]

१९४८ में एक नीति सम्बन्धी वक्तव्य दिया गया था परन्तु वह वक्तव्य बहुत ही विचित्र है। उस में मिश्रित अर्थ व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। यह मिश्रित अर्थ व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति के लिये सभी कुछ है।

हमारे सामने एक नाटक सा दिखाया गया है कि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में संघर्ष हो रहा है जिस से कि हम यह जान सकें कि निजी क्षेत्र की सरकार सहायता नहीं कर रही है। परन्तु जैसा श्री अशोक मेहता ने कहा निजी क्षेत्र की सहायता अप्रत्यक्ष रूप से की जानी है, उस पर विश्वास किया जाता है। प्रबन्ध अभिकरण पद्धति के द्वारा कम्पनियां बना कर कुछ व्यक्तियों को अर्थ लाभ का अवसर दिया जाता है। इन कम्पनियों का प्रबन्ध ऐसे व्यक्ति नहीं करते हैं जिन को इस का अनुभव होता है बल्कि ये कम्पनियां ऐसे व्यक्तियों की होती हैं जिन के पूर्वज भी इन कम्पनियों के स्वामी थे तथा इन व्यक्तियों की एक नहीं अनेकों कम्पनियां होती हैं। इन प्रबन्ध अभिकरणों का विशेष ध्यान रखा जाता है तथा कहा यह जाता है कि हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं। पहले १९११ में एन्ड्यू यूल की ३२ कम्पनियां थीं अब ५० हैं। मैक्लियड की पहले ११ कम्पनियां थीं अब ४० हैं। इस के अतिरिक्त सरकार ने निगमों का निर्माण किया है। श्री अशोक मेहता के अनुसार इन निगमों के प्रबन्धक वही व्यक्ति हैं जिन्हों ने कर अपवंचन किया है तथा जिन के मामलों की जांच की जा रही है। तथा फिर भी प्रधान मंत्री का कथन है कि हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं। यह बड़ा ही अजीब समाजवाद है। इस के विपरीत वित्त मंत्री ने कुछ दिन पूर्व अजमेर में कहा था कि नवीन उद्योगों को सरकार प्रारम्भ कर के उन को निजी उपक्रमों को सौंप देगी। इस का अर्थ यह है कि सरकार कोई योजना प्रारम्भ करे, उस में करोड़ों रुपया लगाये, हानि उठाये और फिर लाभ उठाने के लिये उसे निजी क्षेत्र को सौंप दे। हमारे वित्त मंत्री ऐसी नीति की घोषणा करते हैं।

योजना आयोग का उद्देश्य देश के विकास तथा आर्थिक समस्याओं पर विचार करना था। इस में पहले प्रधान मंत्री के अतिरिक्त सभी गैर सरकारी सदस्य होते थे परन्तु अब इसमें इन की संख्या केवल दो है और अधिकतर मंत्रिगण हैं। इसलिये एक तरह से यह मंत्रि-मंडल की उप समिति है। कुछ दिन हुए वित्त मंत्री ने बताया था कि जिन समस्याओं को न तो भारत के अर्थशास्त्री और न योजना आयोग सुलझा सका है उन समस्याओं को मंत्रिमंडल सुलझा रहा है। आज मंत्रीमंडल तथा योजना आयोग में कोई अन्तर ही नहीं है।

स्वयं मंत्रिमंडल में ही औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में मतभेद है। यह सभी को ज्ञात है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने त्यागपत्र दे देने का विचार किया था केवल इसी मतभेद के कारण। यह बड़ी ही विचित्र बात है कि किसी मंत्री के त्यागपत्र देने से पहले उस का विज्ञापन किया जाता है और जब वह वापस ले लिया जाता है तो कहा जाता है कि प्रधान मंत्री के अनुरोध से ऐसा किया गया है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य इस आरोप को सिद्ध कर सकते हैं? मेरा विचार है कि उन का निर्देश मेरी ओर है? क्या माननीय सदस्य सिद्ध कर सकते हैं कि मैं ने त्यागपत्र देने का विज्ञापन किया था अथवा मैं ने इस के सम्बन्ध में उन्हें बताया था? उन की स्थिति के किसी भी माननीय सदस्य को सभा में ऐसे आरोप नहीं

लगाने चाहियें। जिन्हें वह सिद्ध न कर सकते हों। माननीय सदस्य ने कहा कि मैं ने उस का विज्ञापन कराया था। मेरे विचार से कार्यवाही के अभिलेखों को देखा जाये। मेरे विचार से सभा, विशेष तथा इस पक्ष के सदस्य उन से इस के सम्बन्ध में पूछने का अधिकार रखते हैं।

आचार्य कृपालानी : मैंने कहा कि समाचार-पत्रों में उस का विज्ञापन किया गया था तथा मंत्रिमंडल में मतभेद था। यदि मेरे मित्र को मेरे कोई वाक्य बुरे लगे हों तो उन को मैं वापस लेता हूं। मेरा विचार किसी पर आक्षेप करने का नहीं है।

कई निगमों का निर्माण किया गया है। ये औद्योगिक वित्त निगम औद्योगिक विकास निगम, तथा औद्योगिक विनियोजन निगम हैं। इस सभी निगमों का एक ही उद्देश्य है और वह है निजी क्षेत्र को सहायता देना। आर्थिक सहायता देना छोटी संस्थाओं को बड़ी बनाना अथवा यदि छोटा संस्थाओं की हालत नाजुक हो तो उन्हें सहायता देना। हमें ज्ञात है कि औद्योगिक वित्त निगम किस प्रकार कार्य करता रहा है। एक समिति नियुक्त की गई थी जिस ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। यदि प्रतिवेदन पर्याप्त नहीं था तो महालेखा परीक्षक आक्षेप हैं। मेरे विचार से यह नवीन निगम भी इसी प्रकार से कार्य कर रहे होंगे।

एक माननीय सदस्य : यह तो बड़ा निराशावादी दृष्टिकोण है।

आचार्य कृपालानी : यदि आप औद्योगिक विकास के प्रति आशावादी भावना रखते हैं तो देश का दौरा करिये। जब हमारे प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि देश का चतुर्मुखी विकास हो रहा है तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि क्या वह इस देश में रहते हैं अथवा देश का कभी कभी दौरा भी करते हैं। जनता इस से असंतुष्ट है। कुछ दिन पूर्व उन्होंने योजना के सम्बन्ध में कहा था कि :

> "ठीक प्रकार से योजनाओं के न बनाये जाने के कारण हमारा विकास धीरे धीरे हो रहा है। मुझे कुछ मामले ज्ञात हैं कि शिक्षित इंजीनियरों को नौकरियां नहीं मिलती हैं जबकि हमें हजारों इंजीनियरों की आवश्यकत है। उपयुक्त व्यक्ति नौकरियां चाहते हैं तथा हमें उसी स्तर के उपयुक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होते हुए भी उन का कोई उपयोग नहीं किया जाता है।"

प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय यन्त्रशालाओं के सम्बन्ध में कहा। वहां वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। परन्तु इन वैज्ञानिकों को कहीं भी नौकरियां नहीं मिलती हैं। इन राष्ट्रीय यन्त्रशालाओं में केवल एक चीज बनाई गई है। उस ने 'सोलर कुकर' बनाया तथा 'छापे की स्याही' बनाई है। शिक्षा सम्बन्धी नीति की आलोचना करते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा था :

"चीन के विश्वविद्यालय में इस समय पढ़ रहे प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष प्रकार के कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। तथा जैसे ही वह विश्वविद्यालय छोड़ता है उस को कार्य मिल जाता है। परन्तु हमारे देश में ठीक इस का उल्टा होता है। विश्वविद्यालयों से बहुत से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर के निकलते हैं परन्तु उन को कार्य नहीं मिलता है।" ये हमारे आशावादी प्रधान मंत्री के विचार हैं। उद्योगों के निर्माण के सम्बन्ध में हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं,

[आचार्य कृपालानी]

"हमें लगातार विदेशों से यंत्र मंगाते जाने के विचार को छोड़ देना चाहिये।" हमें इन यंत्रों को भारत में ही बनाना चाहिये। मैं इस को आवश्यक समझता हूं, परन्तु फिर भी हम कार्य करते हैं किसी अन्य प्रकार से हमारे सरकारी विभाग विदेशों से वस्तुयें मंगाने के पक्ष में हैं तथा मूल्यों की गणना इस प्रकार से करते हैं कि जिस से हमें प्रतीत होता है कि वह वस्तु सस्ती है। "यही उल्टी भावना है। कोई भी वस्तु जो विदेश से आयेगी वह उस वस्तु से जिस का उत्पादन भारतीय श्रम से हुआ हो चाहे वह उस से दस गुना लगा हो अधिक मूल्य की होगी। हमें दूसरे दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये यह सोचते हुए कि कोई वस्तु विदेश से कुछ कम मूल्य पर मिलेगी हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये बेकारी दूर करने के लिये हमें अपना उत्पादन बढ़ाना है।"

एक उदाहरण है। योजनानुसार डीजल इंजिन के उत्पादन में वृद्धि करना था, परन्तु तीन वर्षों में उत्पादन बढ़ने के स्थान पर बहुत घट गया है। इस के सम्बन्ध में कहा जाता है कि अधिक आयात के कारण ऐसा हुआ है। यह अधिक आयात कैसे हुआ केवल इसलिये कि कुछ व्यक्तियों ने अधिक कमीशन लिया। कम उत्पादन होने का कोई और कारण हो ही नहीं सकता है। सिन्दरी उर्वरकों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही हुआ था। हमारे देश की ऐसी अवस्था होते हुए भी हमारे मित्र स्वतन्त्र व्यापार में विश्वास करते हैं। उन का कथन है कि जब जनता सस्ती वस्तुयें चाहती है तो हमें उन वस्तुओं को क्यों नहीं मंगाना चाहिये। परन्तु वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री आयात के परिमाण को बढ़ाते ही जा रहे हैं। उन का कहना है कि यह उदार नीति है। हमारा धन विदेशों को दे दीजिये तथा कहिये कि हम उदार नीति का व्यवहार कर रहे हैं। जब कि हमारे प्रधान मंत्री चाहते हैं कि हमें प्रत्येक वस्तु भारत की बनी हुई ही खरीदनी चाहिये। बेकारी की ओर से भी आप ने आंखें बन्द कर ली हैं।

इस संबंध में श्री नन्दा ने यह कहा था कि भविष्य में श्रम को अधिक महत्व दिया जायेगा क्योंकि देहातों तथा नगरों दोनों स्थानों पर बेकारी फैलती जा रही है। जुलाई १९५४ में पंजीबद्ध बेकारों की संख्या पहले से दुगनी हो गई है। यह सभी ने मान लिया है कि वैज्ञानिकन से बेकारी अधिक फैलेगी तथा कपड़ा उद्योग में इस के द्वारा केवल तीन प्रतिशत उत्पादन ही बढ़ेगा। वैज्ञानिकन का समस्त लाभ मिल मालिकों को मिलेगा श्रमिकों को नहीं।

कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में बातें बहुत की जाती हैं। वह कहते हैं कि यह मिश्रित अर्थ व्यवस्था है। परन्तु मैं नहीं समझता कि मिश्रित अर्थव्यवस्था सीमा निर्धारण के बिना किस प्रकार कार्य कर सकती है। यदि आप निजी क्षेत्र को बनाये रखना चाहते हैं तो उस को एक निर्धारित स्थान दे दीजिये तथा उस के क्षेत्र को लगातार बढ़ाते रहने का प्रयत्न न करते रहिये। इस्पात उद्योग जिसे सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग माना गया था एक विदेशी कम्पनी को आधे साझे के आधार पर दे दिया गया है। आप गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं तथा इस गड़बड़ी को आप कहते हैं कि यह उद्योग के लिये लाभदायक है। इसलिये मैं कहता हूं कि आप पहले वह योजना बनाइये जिस के अनुसार कार्य करना है। यदि आप निजी क्षेत्र को भी कुछ उद्योग देना चाहते हैं तो उस का भाग निर्धारित कर दीजिये। हमारे मित्रों का मत है कि हम १० वर्ष में बेकारी दूर कर देंगे तथा एक करोड़ बीस लाख व्यक्तियों को रोजगार दे देंगे। परन्तु पिछले १०० अथवा ५० वर्षों से

हम औद्योगीकरण कर रहे हैं परन्तु केन्द्रीकृत कारखानों में केवल २५ अथवा ३० लाख व्यक्ति ही सेवायुक्त हैं तथा अन्य उद्योगों में लगभग १२५ लाख हैं। मान लीजिये कि दस वर्ष में आप उत्पादन दुगना कर देंगे तब भी आप ६० लाख व्यक्तियों को ही सेवायुक्त कर सकते हैं तथा उत्पादन बढ़ाने के लिये बड़े उद्योगपति वैज्ञानिकन की मांग करेंगे जिस के परिणामस्वरूप रोजगार से लगा हुआ एक तिहाई श्रम फिर से बेकार हो जायेगा। मशीनों से तो श्रम का बचाव किया जाता है और इस प्रकार मशीनों को बढ़ा कर श्रमिकों को, जनता को भूखा मारने का प्रबन्ध कर रहे हैं।

प्रधान मंत्री ने सामुदायिक परियोजनाओं का उल्लेख किया। क्या सामुदायिक परियोजनाओं में शिक्षा, कृषि आदि सभी के सम्बन्ध में कार्य करने के लिये है। क्या देश केवल कृषि पर ही रह सकता है? साम्यवादी मित्र श्री एच० एन० मुकर्जी ने भी कुटीर उद्योगों का पक्ष लिया है। उन का विचार कुटीर उद्योगों को भारत की दशा सुधारने के लिये प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

अंग्रेजों के आने से पूर्व हमारे गांव केवल कृषि प्रधान ही नहीं थे उन में उद्योग धंधे भी होते थे तथा इस की व्यवस्था प्रत्येक घर में थी। इसलिये जब तक प्रत्येक घर को, प्रत्येक गांव को आप कुटीर उद्योगों की फैक्टरियों का रूप नहीं दे देंगे तब तक औद्योगिक जागृति उत्पन्न नहीं होगी और गांव की उन्नति नहीं हो सकती है। आप समस्त ग्राम्य जनता को नगरों में नहीं बुला सकते हैं। नदी घाटी परियोजनायें भी मशीनों से ही पूरी हुई, परन्तु चीन में ऐसी परियोजनाओं में लाखों व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। चीन में प्रत्येक श्रमिक को एक रुपया चार आने मिलते हैं। चीन श्रमदान नहीं चाहता है परन्तु इस देश में श्रमदान होता है जब कि सहस्रों व्यक्ति बेकार हैं। आप जनता का सहयोग चाहते हैं। चीन में इस के लिये पैसा दिया जाता है यहां आप वह सहयोग दान के रूप में चाहते हैं। प्रत्येक योजना में आप गांधी जी का नाम लेते हैं परन्तु उन की एक भी योजना को आप कार्यान्वित करना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार आप अपने को और संसार को धोखा देते हैं।

ग्राम्य उद्योगो तथा कुटीर उद्योगों के द्वारा ही आप देश में फैली बेकारी को दूर कर सकते हैं और किसी उपाय से नहीं। सभी गांवों में विद्युत् शक्ति उपलब्ध होनी चाहिये। इस समय यह सुविधा केवल नगरो में ही प्राप्त है गांवों में नहीं। छोटे छोटे यंत्र बनाये जायें और वह देहातों में उपलब्ध होने चाहियें। जिस से कि उन के जीवन की कटुता कुछ कम हो सके।

मैं ने सुना है कि कपड़ा उद्योग में कोई १५ लाख व्यक्ति सेवायुक्त हैं परन्तु इस के द्वारा कम से कम ३० लाख बुनकरों को कार्य-विहीन कर दिया गया है। १५ लाख व्यक्ति इस उद्योग में लगे हुए हैं तथा फिर भी एक तिहाई उत्पादन हाथ करघों के द्वारा होता है तथा इस एक तिहाई के उत्पादन में भी २० लाख व्यक्ति लगे हुए हैं;

इसलिये मैं कहता हूं कि आप देश से खिलवाड़ कर रहे हैं। यदि आप देश की उन्नति चाहते हैं तो देश को औद्योगिक अर्थ व्यवस्था को तीन भागों में बांट दीजिये। एक राज्याधीन हो जिस में निजी पूंजी इत्यादि का कोई हाथ न हो। दूसरा पूर्णतया निजी क्षेत्र हो जिससे कि उसे अपनी स्थिति ज्ञात रहे। तीसरे क्षेत्र ग्राम्य उद्योग का हो जो हमारी दिन प्रति दिन की आवश्यकताओं को पूरा करे। इस प्रकार हमें एक सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था रखनी चाहिये। वर्तमान नीति से बेकारी दूर नहीं

[आचार्य कृपालानी]

हो सकती है। गांधी जी ने कहा था कि चारित्रिक अर्थ व्यवस्था वह है जिस में वस्तुओं का नहीं अपितु व्यक्ति का ध्यान रखा गया हो। अभी तक आप वस्तुओं के सम्बन्ध में ही सोचते रहे व्यक्तियों को नहीं। जब आप व्यक्तियों के सम्बन्ध में सोचेंगे तो आप को अपनी सम्पूर्ण नीति को परिवर्तित करना होगा। चाहे आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसे देखें अथवा अन्य किसी दृष्टिकोण से। परन्तु लक्ष्य सदैव सामने होना चाहिये। प्रधान मंत्री के शब्दों में जनता, परिणामों को देखती है। जनता स्वतन्त्रता की इतनी इच्छुक नहीं है जितनी कि सुरक्षा की इच्छुक होती है। इस समय जनता सुरक्षा ही चाहती है क्योंकि वह भूखी है। यदि आप उसे सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो मैं कहूंगा कि कोई भी सत्तारूढ़ शासन की बागडोर संभाल कर उस की इच्छित वस्तु उसे दे देगा।

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद-पश्चिम) : सभापति जी, इधर हमारे राज्य गवर्नमेंट की ओर से पर्याप्त साहित्य इस बात का रखा गया है कि जो पंच-वर्षीय योजना उन्हों ने चलाई, उस का क्या नतीजा वास्तविक कार्य हुआ है। गवर्नमेंट के विचार में जो उन्नति हुई है उस का चित्र उन्हों ने हमारे सामने खींच कर रखा है। परन्तु तो भी उन को यह स्वीकार करना पड़ा है कि हमारे देश में बेकारी घटी नहीं, बढ़ गई है। एक ओर उन्नति का चित्र है, हम ने यह किया, वह किया, उस को दोहराने की आवश्यकता नहीं, कल से हम उस की कथा सुन रहे हैं। जो साहित्य उन्होंने छापा है, जो अंक दिये हैं उन में वह चित्र खिचा हुआ है। परन्तु इस एक वाक्य में कि बेकारी घटी नहीं परन्तु बढ़ गई है, वह कुल चित्र का चित्र एक कालिमा से पुत जाता है। क्या नतीजा इस का कि हम ने विशाल भवन बनाये ?

आचार्य कृपालानी : उन महलात में भूखे भरे हैं।

श्री टंडन : विशाल नहरें खोदी हैं, परन्तु बेकारी बढ़ गई है और बेकारी का अर्थ है भुखमरी। वह बढ़ गई है। यह एक बड़ा विचित्र दिग्दर्शन हमारे प्रयत्नों का है। मेरे विचार में तो गवर्नमेंट को गहरी दृष्टि से सोचने की आवश्यकता थी। क्या यह सब कुछ जो हम कर रहे हैं, यह धूम धाम जिस की सूचना पत्रों में हर रोज आती है, जिस के विज्ञापन आते हैं पुस्तकों में जो हमारे सामने बराबर यह चित्र आते हैं क्या इन सब का यह नतीजा हुआ है कि बेकारी बढ़ गई है, और यदि यह सब है तो यह सब कुछ हम किस मतलब के लिये कर रहे हैं। आखिर मतलब तो यही है कि हमारे समाज का दुःख दूर हो। बार बार मेरे सामने शब्द आते हैं, समाजवादी समाज। समाजवादी शब्द तो समझ में आता है लेकिन 'समाजवादी समाज' यह समझ में नहीं आता है समाज उचित बने यह तो मैं समझता हूं, समाज नैतिक बने यह भी मैं समझता हूं, समाज से दरिद्रता उठे यह भी समझ में आता है, मगर यह 'समाजवादी समाज' से मेरे मस्तिष्क में कोई विशेष चित्र नहीं खड़ा होता है।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) उसे सर्वोदयवाद कहिये, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री टंडन : उस समाज की तस्वीर मैं अपने मस्तिष्क में रखता हूं जिस की कल्पना गांधी जी ने एक शब्द राम राज्य में की थी। मैं तो उस शब्द से यह समझता था कि गांधी जी के सामने वह चित्र था जिसमें कोई बेतहाशा धनी न हो, कोई बहुत दीन न हो जिस में दरिद्रता न हो, मूर्खता न हो, पाप न हो, शराब न हो व्यभिचार न हो। मेरे सामने तो यही राम राज्य का चित्र था। गांधी जी के नाम से और राम राज्य के नाम से

मुझे एक श्लोक याद आ गया है। रामचन्द्रजी ने अयोध्या की बात कहते हुए कहा था :

न मे स्तेनो जनपदे न कदर्य : न मद्यप:
नानाहुताग्नि : नाविद्वान् न स्वैरी
स्वैरिणी कुत : ॥

इस का अर्थ यह है कि मेरे राज्य में कोई स्तेन या चोर नहीं रहता, न सूम ही कोई रहता है जो अच्छे कामों में पैसा न दे, कोई मदिरा पान करने वाला नहीं रहता है, कोई ऐसा नहीं रहता है जिसके घर में बराबर अग्नि न जलती हो। लोग जानते हैं कि प्राचीन समय में बराबर २४ घंटे अग्नि रखना घर में अच्छा माना जाता था। कोई मूर्ख नहीं बसता है, कोई व्यभिचारी नहीं रहता है। और जब व्यभिचारी नहीं रहता तो व्यभिचारिणी कहां से आयेगी। न तो कोई व्यभिचारी है और न ही व्यभिचारिणी इसी को गांधी जी राम राज्य २ कहा करते थे। इस श्लोक में कोई आर्थिक चित्रण नहीं है परन्तु यह स्पष्ट है कि दरिद्रता, मूर्खता और चोरी इत्यादि का न होना आवश्यक है। मैं इस सरकारी योजना की कथा सुन रहा हूं, कभी वित्त मंत्री को करते हुए और कभी दूसरे मंत्रियों को करते हुए। लेकिन नैतिकता की कहीं भी चर्चा नहीं आई। 'समाजवादी समाज' का शब्द तो आया परन्तु उस का अर्थ आर्थिक है, उस का ध्यान आर्थिक है, उस समाज में कहीं नैतिकता भी बसती है, इस की कोई कहीं चर्चा नहीं करता। मेरा निवेदन है कि यह हम यूरोप के देशों की नकल कर रहे हैं। हम ने कुछ शब्द विलायत के लोगों से सीख लिये हैं और उन में से एक शब्द 'समाजवादी समाज' भी है। यह एक इस प्रकार का शब्द है जो हमारे भाई इधर उधर एक दूसरे के ऊपर फेंका करते हैं। इन शब्दों का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक कोई समाज सांस्कृतिक आधार पर न हो।

मेरे सामने अपने देश की जो तस्वीर है वह यह है कि हमारे यहां चारों ओर समाज का आधार नैतिकता हो। वह व्यापार, उद्योग, वह रोटी और वह भूमि और महल किस काम के जहां मदिरा उछलती है, जहां अनैतिकता है, जहां व्यभिचार है, मेरा निवेदन है कि हमारी गवर्नमेंट भावी समाज की तस्वीर सामने रखते समय केवल विदेशी शब्दों के जाल में न फंसे। एक शब्द को सामने रखें जो गांधी जी ने हमें बताया था। वह शब्द है राम राज्य। बहुत से भाई शायद यह कहें कि यह तो पौराणिक शब्द हो गया है परन्तु सच बात यह है कि इस शब्द के भीतर ऊंचे अच्छे आदर्श हैं। यह शब्द प्रगतिवादी है। मेरे सामने यह सवाल है कि यह सरकारी उद्योग का कार्य है या इसे कोई एक व्यक्ति करता है इतने महत्व का नहीं है जितना यह कि हम समाज को किस आधार पर बना रहे हैं और साथ ही यह कि समाज के व्यवसाय में कोई बेकार तो नहीं रह जाता है। गवर्नमेंट के साहित्य में जो यह एक वाक्य है कि बेकारी घटी नहीं बल्कि बढ़ी है, उस से मेरे हृदय में उन सब कामों के बारे में जो हो रहे हैं एक निराशा सी उत्पन्न कर दी है। मेरा निवेदन है कि अब भी आप गहरी दृष्टि से यह समझिये कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह सही रास्ता नहीं है। अरबों रुपया हम ने खर्च कर दिया है परन्तु सफलता अभी तक हम प्राप्त नहीं कर पाये हैं। हमें तुरन्त ही इस रास्ते को बदलने की आवश्यकता है। ठीक रास्ता हम इन बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर ही तै कर सकेंगे। हमें देहातों में सीधे दीन के पास जाना चाहिये और उस की बेकारी दूर करनी चाहिये। आज गवर्नमेंट का यह कर्तव्य है, तुरन्त कर्तव्य है, दस बरस बाद नहीं। यह बेकारी हमारे सामने और हमारे शासन के सामने एक बड़ा प्रश्न धर रही है। उस का एक ही जवाब है, और वह यह कि हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम देश में एक आदमी को भी बेकार नहीं रहने देंगे। इस

[श्री टंडन]

की आवश्यकता है। कोई आवे, कशो बाशद, और कहे कि हम काम करेंगे तो हम कहें कि लो हम ... देते हैं। मेरा निवेदन है कि यह हमारे शासन को करना चाहिये। यह जो हमारा रुपया चारों ओर लग रहा है यह उचित प्रकार से नहीं लग रहा है। अगर इस पये को देहातों में बेकारी को सीधे हटाने में लगाया जाये तो बेकारी हटना सम्भव है, असम्भव नहीं है।

प्राईवेट और पबलिक सैक्टरस की बात हुई। मेरा निवेदन है कि यह बड़े बड़े व्यवसाय जहां मशीनों से काम होते हैं, सम्भव है हम उन को आज बिल्कुल रोक न सकें, किन्तु उन की संख्या और उन का क्षेत्र जहां तक सीमित हो, वहां तक हम देश को सुख पहुंचा सकेंगे।

मैं ने निवेदन किया कि समाज के जीवन का आधार नैतिकता हो। मेरा कुछ थोड़ा सा अनुभव है कि यह मिलें और यह बड़े बड़े कारखाने नैतिकता की ओर जाने वाले नहीं होते, बल्कि उल्टे इन का प्रभाव दूसरी ओर होता है। मुझ को एक बड़ा पुराना अनुभव इस समय याद आता है। बहुत पुरानी बात है। मैं युवक था। वकालत पास कर चुका था। १९०६ की बात है। हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी के मन में यह बात आयी कि इलाहाबाद में कोई मिल खोली जाये। उन्हों ने मुझ से कहा कि तुम इस का थोड़ा पता लगाओ। मुझ को उन्हों ने कई परिचय-पत्र दिये और बाहर भेजा। मैं नागपुर की मिल देखने गया और फिर बम्बई अध्ययन करने के लिये गया। मैं नागपुर कई दिन रहा। वहां से बम्बई गया और मिलों का भ्रमण किया। आज भी मेरे दिमाग पर एक अनुभव जमा हुआ है। मैं एक मिल में गया जिस के मालिक कुछ धर्मात्मा कहे जाते थे। प्रसिद्ध था कि वह धर्मप्रिय पुरुष हैं। इस समय नाम तो लेना नहीं है। उन की मिल में मैं गया। मैं घूमता फिरा। मैं वहां पहुंचा जहां बहुत सी स्त्रियां छोटे छोटे काठ के टुकड़ों पर सूत चढ़ा कर लाती थीं। उन को वह एक टब में फेंकती जाती थीं। यह कत्तिनें थीं, सूत कातने वाली। वह सूत एक तराजू पर रखा जाता था वह तोला जाता था और तोल कर उन कत्तिनों से कहा जाता था कि तुम्हारा सूत इतना हुआ। मैं ने उस तराजू को जिसको अंग्रेजी में स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं देखा। मैं उस के पास खड़ा हो गया और मैं ने तोलने वाले से पूछा कि तुम किस तरह तोलते हो। उस ने बताया कि हम ऐसे तोलते हैं, इस निशान पर कांटा आता है तो इतना होता है इस निशान पर आता है तो इतना होता है। मैं खड़ा देखता रहा। दो तीन स्त्रियां आईं, उन्हों ने सूत डाला, और उस ने तोला और आवाज दी कि इतना हुआ। मुझ को कुछ भ्रम हुआ कि कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं समझा। मैं ने उस से पूछा कि तुम ने तो हम को ऐसा समझाया था कि यहां पर आता है तो इतने पौंड होते हैं, लेकिन जो तुम ने आवाज लगाई वह कम की थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलत समझे हों। वह मुसकराया और उस ने कहा कि हम अभी बताते हैं, और वह एक आध आवाज और दे कर मुझे अलग ले गया। उस ने कहा कि आप ने ठीक समझा है, लेकिन यह हमारे मालिकों का हुक्म है कि जब तोलो तो हर तोल में कुछ कम बताओ, नहीं तो इनकी मजदूरी इतनी बढ़ जायेगी कि उस से हम को घाटा होगा। यह सुन कर मैं दंग रह गया। मैं आशा नहीं करता था कि ऐसी मिल में इस तरह से मिल मालिकों की तरफ से खुली धोखेबाजी और चोरी होती होगी। यह तस्वीर मेरे दिमाग से कभी हटी नहीं। मुझ को बड़ा खेद हुआ कि एक ऐसे पुरुष के बारे में जिन को

मैं ने धर्मात्मा समझ रखा था मुझ को अपना विचार पलटना पड़ा । उन के यहां से छोटे छोटे क्लर्कों को इस प्रकार की आज्ञायें दी जाती हैं कि तुम हर तोल में धोखा करो । यहां सरकार सेर और छंटाक के स्टैण्डर्ड बनाती है कि कोई धोखा न करे । इंडियन पीनल कोड में एक बार धोखा करने के लिये सजा है, और वहां यह धोखा एक योजना की तरह से चल रहा था । मैं जो कह रहा हूं वह अपने अनुभव की और आंख की देखी बात कह रहा हूं । मैं हर एक मिल मालिक के ऊपर कोई बौछार नहीं करता । लेकिन उस के बाद से मेरे मन में ऐसी छाप पड़ गई कि यह मिल का व्यवसाय धर्म से अलग हो कर के ही प्रायः चलता है, अर्थात् कोई धर्मात्मा, शब्द तो बहुत बड़ा है, परन्तु कोई जो सचमुच अपने को संभाल कर रखना चाहता है, सत्य के ऊपर चलना चाहता है, झूठ नहीं बोलना चाहता है, सचाई पर जिनका जीवन स्थिर है, उस के लिये यह राह चलनी कठिन है । तब ऐसी योजना और ऐसे सिस्टम को, चाहे वह, प्राइवेट हो या पबलिक, जो इस प्रकार से खुली रीति से अनैतिकता की ओर ले जाने वाला है, मैं कहता हूं कि आग लगा दो । यह सिस्टम हमारे देश में चलने के योग्य नहीं है । जितनी जल्दी हो सके इस को हटाना चाहिये । यदि हम मालिक को सत्य के रास्ते पर रख सकें तो मजदूर भी उस रास्ते पर आवेंगे । जहां मालिक के दिल में, जो काम लेने वाले हैं उन के दिल में, प्रारम्भ से ही अनैतिकता हो तो वहां मजदूर क्या करेंगे ? मेरे सामने तस्वीर केवल रोटी और पैसे की नहीं है । मेरे सामने तस्वीर नैतिक जीवन की है । वह नैतिक जीवन यदि हम देहातियों को मजदूरों को उन के घर पर रखें, गाव में रखें तो उन को अधिक दे सकेंगे इस की अपेक्षा कि हम उन को मिलों में ला कर दो, दो और चार, चार हजार की भीड़ में रख कर उन से काम लें । मेरे ऊपर यह असर है कि यह नैतिकता से दूर हटाने वाली चीज है । इसलिये मैं इस बात का पक्षपाती हूं और मेरा यह निवेदन है कि गवर्नमेंट गांवों की तरफ जाये और यह यत्न करे कि मजदूर को उस के घर पर ही कुछ व्यवसाय मिले जो वह कर सकता हो । जो काम वह आज भी जानता है वह उसे करे और उस काम के किये हुए परिणाम को हम जनता के व्यवहार में लायें ।

अब कै मिनट में समझूं कि आप मुझे ोर दे रहे हैं ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य पहले ही बीस मिनट ले चुके हैं । यदि वह चाहें ो पांच मिनट और ले सकते हैं ।

श्री टंडन : बहुत धन्यवाद । मेरे सामने मुख्य प्रश्न यह है कि यहां से बेकारी दूर हो और वह बेकारी दूर हो नैतिकता के साथ । वेश्या बना कर किसी को रोटी नहीं देनी है, चोर बना कर, झूठा बना कर रोटी नहीं देना है । हमारा क्रम यह चाहिये कि जीवनयुद्ध हो । वेश्या का शब्द मेरे मुंह से निकला । यह बात याद आ गई कि हमारे देश में तीस लाख से अधिक वेश्यायें हैं । ये क्यों हैं और इस तरह अनैतिकता का जीवन क्यों बिता रही हैं ? यह आर्थिक प्रश्न है, यह अनैतिक इसलिये हुई हैं कि उन की आर्थिक सम्हाल नहीं हुई । मैं चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट इस प्रश्न को देखे कि कोई औरत और कोई मर्द यदि कहीं पर काम मांगे तो उस के लिये वहां काम मौजूद हो ? भले ही इसलिये चाहे हमें अन्य जगहों से रुपयों का बन्दोबस्त करना पड़े, हमें उस को तुरन्त जुटा कर यह यत्न करना चाहिये कि जिन कामों में हम हर एक को लगा सकें, यही काम हमें मुख्यकर उठाना चाहिये ।

मैं ने कुछ भाइयों से सुना जो चीन से आये थे और हाल ही में हमारे प्रधान मंत्री

[श्री टंडन]

जो भी चीन गये थे, उन्हों ने देखा, मैं तो गया नहीं, लेकिन कुछ वहां का हाल सुना और मुझे यह सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि वहां पर उन्हों ने वेश्याओं का रोजगार उड़ा दिया है, वहां पर अब वेश्यायें नहीं हैं। मैं ने सुना है कि वहां पर भिखमंगे नहीं हैं। इस से जान पड़ता है कि उन्हों ने अपनी आर्थिक योजना ऐसी बनायी है जिस में हर एक को वह काम देने को तैयार हैं ....

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : चीन में बेरोजगारी ज्यादा है ।

श्री टंडन : मैं ज्यादा तो जानता नहीं । मैं ने सुना है कि वहां पर वेश्यायें नहीं हैं और उन्हों ने वेश्याओं का रोजगार अपने यहां से हटा दिया है यदि यह सही है तो जाहिर है कि उन्हों ने उन के लिये कोई और रोजगार दिया होगा । मैं ने कोई वचन नहीं दिया है कि चीन के बारे में जो बातें कहीं गयीं वह सही हैं । मैं तो वहां गया नहीं, जो मैं ने सुना वही आप को बतला रहा हूं । मेरे एक भाई ने अभी कहा कि चीन में बेरोजगारी है । अगर वहां पर बेरोजगारी है तो उन को उसे हल करना पड़ेगा । मैं अपने देश की बात कह रहा हूं कि हमारे देश में बेरोजगारी को दूर करने का रास्ता यह है कि हम गांव में जा कर इस बात की जिम्मेदारी लें कि जो काम करने आयेगा उस को हम वहीं पर काम देंगे, मगर ऐसा तभी हो सकेगा जब हम यह तय कर लें, और यह सिद्धान्त जरा समझने की चीज है, कि हम केवल उसी चीज का व्यवहार करेंगे जो हमारे देश में बनती है । जो चीजें हमारे देश में बनती हैं, हम जहां तक सम्भव होगा, अपनी आवश्यकतायें उन्हीं में सीमित रखेंगे और हमारी आवश्यकतायें वही होंगी जो हमारे देश में बनती हैं । यह काम थोड़ा तपस्या का है और इस चीज को ऊंचे स्तर पर जो लोग हैं उन को चलाना पड़ेगा । मैं यह कोई नई बात आप से नहीं कहता हूं । मुझे याद है कि इंगलैंड में जब लेबर मिनिस्ट्री थी तब वहां के एक मंत्री ने भी इसी प्रकार कहा था । कुछ अनएम्पलायमेंट, बेकारी, वहां पर भी थी, तब उन्हों ने भी कहा था कि इस को बन्द करने का एक ही रास्ता है कि हम अपने देश में वह सब सामान बनायें जिस की हमें जरूरत है और बाहर से हम सामान न मंगायें । आज हम अपने यहां देखते हैं कि कितना बड़ा-धड़ सामान विलायत से चला आता है, मोटर-गाड़ी से ले कर छोटी से छोटी चीज तक यहां तक कि चहरे पर लगाने का सफेद पाउडर तक भी विलायत से दौड़ा चला आता है । मेरा सुझाव है कि हम इस विषय में सख्ती करें और इस बात को देखें कि जो चीज हमें देहात में मिलती है उस का व्यवहार बढ़ायें । जैसे देहात में कुम्हारी का काम होता है तो हम इस बात का यत्न करें कि कुम्हार को वहां पर वह काम मिले, हम उस से काम लेने के मार्ग निकालें, जब हम ऐसा करेंगे तभी हमारा रास्ता स्पष्ट होगा ।

खादी के ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ पहले की अपेक्षा अधिक खर्च किया है । खादी के सम्बन्ध में उन्हों ने अनुमान लगाया कि इस वर्ष दो करोड़ रुपये की लागत की बनायी जायेगी । पहले कम बनती थी । आगे का अनुमान है कि चार करोड़ रुपये से भी ज्यादा की बनेगी । और इस तरह से बढ़ती जायेगी । यह मेरे लिये एक सुखमय सन्देश है । यदि खादी के ऊपर बल दिया जाय और अन्य ग्राम उद्योगों के ऊपर बल दिया जाय तो मेरा अपना विश्वास है कि यह बेकारी की समस्या बहुत कुछ दूर हो सकती है और साथ ही साथ हमारे जीवन में कुछ अधिक नैतिकता आ सकेगी और जीवन अधिक सुखमय हो सकेगा ।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरौंग) : मुझे यह स्वीकार करना पड़ता है कि कल के भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने यह नहीं कहा कि हम किस प्रकार के समाज की रचना कर रहे हैं। आज प्रधान मंत्री ने जब यह कहा कि हमारा ध्येय समाजवाद की ओर है तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हमें यह जान कर भी हर्ष हुआ कि इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जायगा और किसानों को ऋण देने की सुविधायें दी जायेंगी, किन्तु सरकार को ज्ञात होना चाहिये कि अधिकांश किसान इतने निर्धन हैं कि वे प्रतिभूति देने योग्य नहीं हैं। उन के लिये भी प्रबन्ध किया जाना चाहिये। जिस प्रकार अमरीका में विस्तार सेवायें चलायी जा रही हैं उसी प्रकार हमारे यहां भी होनी चाहियें।

इसी प्रकार सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्यों को अच्छे स्तर पर बनाये रखा जाये। औद्योगिक उत्पादन को कृषि उत्पादन के साथ संतुलित करना पड़ेगा। सरकार ने ज्वार, बाजरा और मक्का के मूल्यों में योग देने की जो घोषणा की है वह प्रशंसनीय है।

अब मैं औद्योगिक क्षेत्र को लेता हूं। कुछ समय से मैं यह देख रहा हूं कि निजी उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय वित्त का मुंह ताक रहा है। इस का कारण यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों से जो पूंजी मिलती है उस के लिये सरकार गारंटी देती है जब कि आन्तरिक क्षेत्र से प्राप्त होने वाली पूंजी के लिये ऐसा नहीं होता है। अतः उद्योगपति बाह्य पूंजी पर आश्रित हो गये हैं। सरकार को पूर्णरूपेण इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि विदेशी पूंजी और विदेशी औपनिवेशिकता इस प्रकार हमारे देश में प्रभुत्व न जमा सके क्योंकि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है।

कुछ समय से ब्रिटिश प्रेस में यह चर्चा हो रही है कि हमारी नीति राष्ट्रीयता की ओर है। वास्तव में यदि विचार किया जाये तो ब्रिटिश नीति हमारी अपेक्षा कहीं अधिक राष्ट्रीय है। वह जो कुछ करते हैं उस के लिये कोई कुछ नहीं कहता है और हमें उंगली दिखाई जाती है। १९४८ में हमने जो औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प पारित किया था मैं उसी समय से उस के विरोध में हूं। विदेशी पूंजी हमें दबाती चली जा रही है। लाभ के रूप में ३० करोड़ रुपया प्रति वर्ष भारत से बाहर जा रहा है। कहीं हमारी दशा फारस की सी न हो जाये जहां विदेशी पूंजी से इतनी बड़ी मुसीबत पैदा हो गई थी। हमें अपनी स्वतंत्रता को किसी प्रकार संकट में नहीं डालना है। यदि पूंजी इस प्रकार सदैव बाहर जाती रही तो हमारे देश में पूंजी निर्माण कभी नहीं हो सकेगा। उदाहरण के लिये ब्रिटेन की भारत में ८० करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है।

यदि हम ने पौंड पावने में फंसी अपनी रकम में से इस पूंजी का विनिमय किया होता तो कितने लाभ की बात होती। यदि हम दृढ़तापूर्वक इस काम में आगे बढ़ें तो यह कार्य अवश्य हो सकता है। चीन ने ऐसा ही किया था और अब अंग्रेजों ने ३० लाख पौन्ड के साथ व्यापार पुनः आरम्भ कर दिया है।

दूसरी हानिकारक बात यह हो रही है कि पहले विदेशों से हम ऋण के रूप में पूंजी ले कर स्वयं अपने उद्योग चलाते थे। उस के स्थान पर अब विदेशियों को ही यहां आ कर पूंजीविनियोग के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है जिस से वे लोग पूरा पूरा लाभ उठा रहे हैं और वे राजनैतिक दृष्टि से भी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भय है कि समाजवादी अथवा साम्यवादी देश अपनी पूंजी यहां लगा देंगे और प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे।

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

अन्त में मैं एक बात और कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा । वह यह है कि हमारे प्रजातन्त्र में बड़ा परिवर्तन होता जा रहा है । बड़े बड़े औद्योगिक निगम बन चुके हैं और अपनी मांगें प्रस्तुत कर रहे हैं । इस का परिणाम यह हो रहा है कि धनिकों की स्थिति तो सुधरती जा रही है और निर्धनों की स्थिति बिगड़ती जा रही है । अतः हमें निर्धनों की आमदनी को बढ़ाने की ओर अधिक ध्यान देना है । हमें गरीबों और अमीरों के अन्तर को दूर करने का प्रयत्न करना है । मुझे आशा है कि योजना बनाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जायेगा ।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौर-बाली) :

हमारी आर्थिक नीति पर माननीय वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री ने बड़े महत्वपूर्ण भाषण दिये हैं । मैं तो इस समय यह कहने के लिये भाषण दे रहा हूं कि सरकारी उद्योग का चाहे कितना ही विकास क्यों न हो, देश में अनुभवी व्यक्तियों के जो वर्ग उद्योग में लगे हुए हैं उन्हें सदैव प्रोत्साहन मिलता रहना चाहिये क्योंकि यह सर्व विदित है कि सरकार के पास प्रशासनिक और प्रविधिक क्षमता बहुत कम है । इस को मैं एक दो उदाहरणों से स्पष्ट करता हूं । उत्तर प्रदेश सरकार ने साढ़े चार करोड़ रुपये की लागत का एक सीमेंट का कारखाना खोला है जो दो लाख टन सीमेंट प्रति वर्ष तैयार करेगा । इस काम में वहां की सरकार को छः वर्ष लग गये । मैं सत्य कहता हूं कि यदि सरकार ४ १/२ करोड़ रुपया मुझे प्रदान करे तो मैं इस से आधे समय में, एक नहीं दो कारखाने बना कर दिखा सकता हूं । खेद की बात तो यह है कि सीमेंट उद्योग के भारत में बीस वर्ष से विद्यमान होने पर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका प्रबन्ध एक विदेशी फर्म को सौंपा है मानो भारतीय तो सीमेंट उद्योग के सम्बन्ध में कुछ समझते ही नहीं हैं । यह काम कितना मंहगा पड़ा है ।

इसी प्रकार मध्य प्रदेश में नेपा परियोजना है जहां अखबारी कागज (न्यूजप्रिन्ट) बनाने का प्रस्ताव है । इस परियोजना में करोड़ों रुपया व्यय हो चुका है और समझ में नहीं आता कि यह कब सफल हो सकेगी ।

जहां एक ओर सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाने पर इतना जोर दिया जा रहा है वहां निजी क्षेत्र को कोई पूछता भी नहीं है । उसे एक कोने में धकेल दिया गया है । श्री जे० आर० डी० टाटा के भाषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि निजी क्षेत्र के गैर सरकारी उद्योग देश के लिये कितने महत्वपूर्ण हैं । मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि कम से कम अगले पांच वर्षों तक गैर सरकारी उद्योग को कोई आघात न पहुंचाया जाय । क्योंकि वह देश की उन्नति में सब से अधिक सहायक होगा ।

इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से हमारी आर्थिक प्रगति ठीक तरह से चल रही है किन्तु मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि सरकार की नयी नीति से उद्योगपति चौंक पड़े हैं । शक्ति अथवा धन का केन्द्रीकरण तो बाद में भी हो सकता है । अभी तो गैर सरकारी उद्योग को खूब बढ़ाना चाहिये । और १९४८ का जो भारत सरकार का औद्योगिक संकल्प है इसी का पालन करना चाहिये । जब कि जनता की आर्थिक स्थिति सुधारने का इतना प्रयत्न किया जा रहा है तब गैर सरकारी उद्योग पर क्रूर दृष्टि डालना अनुचित है । उत्पादन के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि जो कुछ वृद्धि हुई है उस में निजी क्षेत्र के गैर सरकारी उद्योगों का पूर्ण सहयोग है । आचार्य कृपलानी ने औद्योगि-

करण द्वारा रोजगार देने के लिये कहा है किन्तु अमरीका में किये गये एक पर्यवेक्षण से ज्ञात हुआ है कि उद्योग में नियुक्त प्रति १५० व्यक्तियों के पीछे १,५०० या १,८०० व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें अन्य व्यवसाय करने पड़ते हैं। फिर हमारे देश में तो १०० व्यक्तियों के पीछे दो तीन हजार लोगों को ऐसा करना पड़ेगा ।

अन्त में मैं फिर एक बार यह निवेदन करता हूं कि यदि हमें काम करने का अवसर दिया जाये तो हम काम कर के बेकारी को दूर करने का प्रयत्न करेंगे । हमारी गति को अगले पांच वर्षों में किसी प्रकार से भी कुंठित नहीं किया जाना चाहिये ।

सभापति महोदय : अब मैं श्री मेघनाद साहा को अपना व्यक्तिगत वक्तव्य देने की अनुमति देता हूं ।

श्री मेघनाद साहा : माननीय प्रधान मंत्री ने सभा में मेरे विषय में यह कहा है कि अब मैं एक वैज्ञानिक नहीं रहा हूं । मुझे इस विषय में कुछ निवेदन करना है ।

सभापति महोदय : सभा में सभी प्रस्तुत विषयों पर तर्क किया जाता है और प्रधान मंत्री के वक्तव्य पर विरोधी दल सदैव आक्षेप करता ही है । अतः यदि आप के व्यक्तित्व के विषय में कुछ कहा गया हो तो आप को अनुमति दी जा सकती है ।

श्री मेघनाद साहा : अभी एक महीने पहले मेरे पास प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के सचिव की ट्रंक काल आई थी कि प्रधान मंत्री ने मुझे भारत की ओर से मास्को के कास्मोजीनिक सम्मेलन के लिये प्रतिनिधि बनाया है और दूसरे ही दिन मुझे रूस के लिये प्रस्थान करना चाहिये । यह भी कहा गया कि रूस की विज्ञान अकादमी भी चाहती है कि मैं सम्मेलन में भाग लूं इसलिये मुझे अवश्य ही जाना चाहिये । इतनी अल्पसूचना होने पर भी मैं ने अपना कर्तव्य समझ कर इस आदेश का पालन किया । आज एक ही महीने बाद प्रधान मंत्री यह कहते हैं कि अब मैं वैज्ञानिक नहीं रहा हूं । क्या मेरी काया इतनी जल्दी पलट गई है ?

मैं यह बता देना चाहता हूं कि आज के राजनैतिक नेता आज से कुछ वर्ष बाद भुला दिये जायेंगे किन्तु मेरा नाम आज क्या, आज से सैंकड़ों वर्ष बाद भी वैज्ञानिकों की श्रेणी में सम्मिलित किया जायगा ।

श्री बी० दास (जाजपुर-क्योंझर) : वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री भाषण दे चुके हैं । मैं वित्त मंत्री से इस बात में सहमत हूं कि हमारी आर्थिक नीति अल्पकालीन होनी चाहिये और मिश्रित अर्थ व्यवस्था होनी चाहिये । उन्हों ने समाजवाद को लक्ष्य माना है अतः मैं उन की इस दीर्घकालीन नीति से भी सहमत हूं । इम्पीरियल बैंक को सरकारी बैंक बनाने की घोषणा एक प्रसन्नता का विषय है ।

१९३४ से हम रिजर्व बैंक से ग्रामीण प्रत्यय की प्रणाली पर कुछ काम की आशा रखते थे । ग्रामीण प्रत्यय का विकास कुछ बाद में हुआ । बैंक आफ इंगलैंड के अनुसार रिजर्व बैंक सरकारी स्वामित्व वाला बैंक तो बन गया, किन्तु राष्ट्रीय बैंक न बन सका । श्री षणमुखम चेट्टी ने हमें आश्वासन दिलाया था कि इम्पीरियल बैंक राष्ट्रीय बैंक बन जायेगा, परन्तु कई झंझटों और कठिनाइयों के कारण ऐसा न हो सका । अब मैं वित्त मंत्री से आशा करता हूं कि वह फरवरी या मार्च में सरकारी बैंक विधेयक पारित करवा सकेंगे और यह बैंक कृषि सम्बन्धी ऋण के द्वारा भारतीयों की सेवा कर सकेगा ।

[श्री बी० दास]

हमारे छोटे निजी क्षेत्रों ने पूंजी निर्माण में सहयोग दिया है । श्री त्रिपाठी ने मजदूरों को वर्तमान वेतन दिलवाने के लिये अवश्य प्रयास किया है, किन्तु मजदूर लोग पहले की अपेक्षा अब बहुत कम काम करते हैं । वास्तव में मजदूरों के नेताओं को यह भी मालूम नहीं है कि पूंजी निर्माण का क्या अर्थ है । हम निजी क्षेत्र वाले भी उतनी ही गम्भीरता से काम करते हैं, जितनी कि कांग्रेस दल के सदस्य । क्या संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक में प्रधान मंत्री सब उद्योगों को जप्त कर के निजी क्षेत्र के लिये अधिक उद्योग पैदा करना चाहते हैं । यदि ऐसी बात है तो यह गलत नीति है और यह गांधी जी की नीति नहीं है । १९४६ में कांग्रेस के संकल्प में इस नीति का समर्थन नहीं किया गया था । केवल कुछ राज्य सरकारें ही सभी बड़े उद्योगों को जप्त कर लेना चाहती हैं और उन्हें प्रतिकर भी देना नहीं चाहतीं । अतः पूंजी निर्माण की समस्या पर कांग्रेस और वित्त मंत्री को भी उतनी गम्भीरता से विचार करना पड़ता है जितना समाजवादी और साम्यवादी दलों के नेताओं को ।

मैं आशा करता हूं कि अब कोई मजदूर नेता यह बात स्पष्ट करने का प्रयत्न करेगा कि मजदूर किस प्रकार पूंजी निर्माण में सहायक हो सकते हैं । और वे सरकारी उद्योगों में किस प्रकार उत्पादन बढ़ा रहे हैं । यदि मजदूर अपने वेतन वृद्धि के लिये ही आन्दोलन करते रहे और उन्हों ने काम कुछ न किया तो कांग्रेस या समाजवादी दल कैसे पूंजीपति निर्माण कर सकते हैं । और गैर सरकारी क्षेत्र का विकास कर सकते हैं ? ये समस्यायें हैं जिन का हमें सामना करना है । परस्पर आलोचना या खण्डन करने का कोई उपयोग नहीं है ।

श्री वी० पी नायर (चिरयिन्कील) : कल वित्त मंत्री यह बता रहे थे कि इस सरकार की चालू औद्योगिक नीति ने एक प्रकार का स्थायित्व उत्पन्न कर दिया है, जिस के फलस्वरूप विदेशी यहां पर अधिक धन लगाने को प्रेरित हो रहे हैं । प्रधान मंत्री ने कुछ दूसरे मामलों का उल्लेख करते हुए इसी बात का समर्थन किया है ।

हमें देखना यह चाहिये कि १९४८ की औद्योगिक नीति का क्या परिणाम हुआ है । क्या सरकार इस बात से इन्कार कर सकती है कि औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में विभिन्न उद्योग विदेशियों के पंजे में नहीं है । वित्त मंत्री भी स्वीकार करते हैं कि पिछले पांच वर्षों में विदेशियों को ३० करोड़ रुपये का लाभ हुआ है । कोयला, पटसन, जहाज निर्माण, बागान रसायन, खानों, बैंकों और बीमा आदि उद्योगों पर विदेशियों का अधिकार है । केवल पांच या छः विनिमय बैंकों ने समस्त अनुसूचित बैंकों के समस्त लाभ का आधा लाभ प्राप्त किया है । दुःख की बात यह है कि विदेशियों को बिना अधिक धन लगाये इतना अधिक लाभ कमाने दिया जाता है । प्रबन्ध अभिकरण की प्रणाली अभी तक चल रही है और गैर सरकारी क्षेत्रों पर विदेशी अधिकाधिक छा रहे हैं । यह बात भारत सरकार और विदेशी साथों के बीच हाल में किये गये करारों से सिद्ध होती है ।

क्राप्स-उद्योग के साथ जो करार किया गया है वह दासता का बंधन मात्र है । मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या औद्योगिक नीति का यही परिणाम है । इन करारों के अधीन हमें केवल सलाह या परामर्श प्राप्त करने के लिये ही बड़ा भारी शुल्क देना पड़ता है । क्राप्स वालों को इस प्रीयोजन के लिये ४५ लाख डालर की राशि देनी की गई है ।

एक और करार को देखिये । भारतीय टेलीफोन उद्योग के सम्बन्ध में कहा गया है कि निदेशकों को २,१०० रुपये के लगभग ६,६६७ भाग कम्पनी में दिये जायेंगे १० प्रतिशत कम्पनी की पूंजी और १० प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी नगद या जिन्स के रूप में दी जायेगी । मुझे समझ में नहीं आता कि यह कम्पनी जिन्स के रूप में पूंजी भाग कैसे दे सकेगी । हमारी सरकार द्वारा इस प्रकार के करार किये जा रहे हैं ।

एक और विचित्र करार स्टैंडर्ड टेलीफोन तथा केबल लिमिटेड के साथ किया गया है, जिस के अनुसार बर्मा, श्रीलंका और नेपाल को निर्यात क्षेत्र माना जायगा । मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार इस कम्पनी से क्रय सम्बन्धी परामर्श लेगी और इस कम्पनी को सुर्मे वाले सीसे की आवश्यकता है । इस धातु को खरीदने के लिये टेंडर मंगवाये गये थे परन्तु फाइलें उत्पादन मंत्रालय में ही कहीं अदृश्य हो गई हैं । भारत में यह धातु तैयार की जाती है और भारत इसे बेचना भी चाहता है, परन्तु क्योंकि करार के अनुसार हम स्टैंडर्ड टेलीफोन कम्पनी से परामर्श लेने को बाध्य हैं । इसलिये हम यह सीसा नहीं बेच सके । इस प्रकार के करार हमारे ही विपरीत जाते हैं ।

लोहा तथा इस्पात उद्योग के मामले में न केवल सरकार क्राप्स एंड डेमाग के साथ सहकार्य की अनुमति देती है अपितु विश्व बैंक से, ऋण ले कर इतने महत्वपूर्ण उद्योग को विश्व बैंक के पंजे में फंसा रही है जिस पर अमरीका आच्छादित है । विश्व बैंक तब तक ऋण नहीं देता जब तक वह इस बात से संतुष्ट न हो जाये कि उस ऋण का उचित उपयोग किया जायेगा और यह बैंक अपने अधिकारियों द्वारा ऋण लेने वाले समवाय के लेखाओं की पड़ताल करता है । इस प्रकार इस उद्योग सम्बन्धी पूर्ण जानकारी अमरीका वालों को प्राप्त हो जायगी । गैर सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले तथा कथित अमरीकी विशेषज्ञों की यह अवस्था है कि एक अमरीकी विशेषज्ञ श्री सलोकम को भारत में चार महीने काम करने के लिये २ १/२ लाख रुपये दिये गये थे और उस से भाखड़ा नांगल परियोजना का निरीक्षण अपेक्षित था । यह करार दस वर्ष के लिये था और उस व्यक्ति के लिये इस करार काल के दौरान भारत में रहना अनिवार्य था । परन्तु वह अमरीका में ही बैठा रहा और मंत्रियों आदि को प्रति दिन तारों द्वारा सूचित करता रहा कि उस का प्रत्येक मिनट भाखड़ा-नांगल परियोजना के लिये व्यय हो रहा है । यह विदेशी प्रभाव है, जिस का हमारे मामलों में इतना निर्णायक हाथ है ।

माननीय मंत्री ने देश में औद्योगिक स्थायित्व का बड़ा सुन्दर चित्र खींचा है । वस्त्र निर्माण उद्योग को लीजिये । यदि मंत्री महोदय कहते हैं कि औद्योगिक उत्पादन का देशनांक १३० है तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं । हो सकता है कि वस्त्र निर्माण आदि कुछ उद्योगों के उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई हो, परन्तु फिर भी जितनी देश को आवश्यकता है, हम उतना उत्पादन नहीं कर सके हैं । कहा जाता है कि वस्त्र का उत्पादन इतना है कि हमें वस्त्र का निर्यात करना पड़ता है । वास्तव में बात यह है कि लोग इतना वस्त्र खरीद नहीं सकते इसलिये इस का निर्यात करना पड़ता है । सूत की भी यही अवस्था है वस्त्र निर्माण मिलों के मजदूरों को एक पाई का भी लाभ नहीं हुआ है ।

पटसन उद्योग के सम्बन्ध में एकाधिकारवादी शिकायत करते हैं कि विदेशी बाजारों में हमारे पटसन के भाव घटा दिये हैं । इस के परिणामस्वरूप पटसन उत्पादकों में बेकारी

[श्री वी० पी० नायर]

फैल रही है। और पटसन के मिलों में छंटनी हो रही है। ऐसी दशा को वित्त मंत्री स्थायित्व की अवस्था कहते हैं, यह कितने आश्चर्य की बात है।

चाय के सम्बन्ध में श्री एटकिन्सन ने कहा है कि कुछ समवाय १०० प्रतिशत लाभांश घोषित कर रहे हैं। हमें इस में कोई रुचि नहीं है। हम तो यह चाहते हैं कि चाय उपभोक्ताओं को चाय उसी मूल्य पर मिले, जिस मूल्य पर वह कुछ समय पहले मिलती थी। दूसरे हम यह चाहते हैं कि चाय बागानों के मजदूरों को अधिक सुविधायें मिलें और उन्हें अच्छा पारिश्रमिक मिले।

योजना आयोग के प्रतिवेदन से पता चलता है कि चीनी का उत्पादन भी कम हो रहा है। यह हमारी औद्योगिक नीति का फल है। १९४४ की अपेक्षा १९४५ में लाभ २२ प्रतिशत के स्थान पर ६०·५ प्रतिशत हो गया और १९५१ में १९४५ की अपेक्षा आठ गुना बढ़ गया था। इतना लाभ होते हुए भी गन्ना उत्पादकों को कम से कम मूल्य मिलता है और पहले की अपेक्षा कम क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन होता है। परन्तु तो भी श्री देशमुख यह कहने में गर्व अनुभव करते हैं कि देश में औद्योगिक स्थायित्व है।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक—मध्य) : माननीय वित्त मंत्री द्वारा इस अर्थ नीति के विषय में दिये गये वक्तव्य का मैं स्वागत करता हूं। हमारे विपक्षी सदस्य, श्री एच० एन० मुकर्जी ने इसे एक 'बहुरंगी नीति' कहा है। परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं, यह शुद्ध रूपेण भारतीय रंग में रंगी हुई नीति है।

१९४८ के संकल्प पर आधारित हमारी इस अर्थ नीति के अनुसरण में, गत तीन चार वर्षों में देश की कृषि तथा उद्योग ने महान उन्नति की है। इस से कोई इन्कार नहीं कर सकता। परन्तु गत सात आठ मासों से फिर से पासा पलट रहा है, और कृषि की दशा बिगड़ रही है।

उदाहरणार्थ चीनी के आयात को रोकने तथा यहीं पर चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिये, सरकार ने, चीनी के कारखानों को संरक्षण प्रदान किया है। अब गन्ना उत्पादकों को अपनी सहकारी संस्थाओं के द्वारा अपने कारखाने स्थापित करने के बारे में पूर्ण रूपेण प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिस से चारों ओर उत्साह की एक लहर दौड़ गई है। परन्तु गत कुछ समय से भाव गिर जाने के कारण अब कृषिकारों के पास इतनी पूंजी नहीं कि वे अपने निजी कारखाने स्थापित कर सकें।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अतः कृषि को इस दुर्दशा से बचाने के लिये यह अत्यावश्यक है कि सरकार शीघ्रातिशीघ्र कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के भाव निश्चित करे, ताकि कृषक पूर्ण उत्साहपूर्वक तथा पूर्ण संतोष पूर्वक उत्पादन की ओर ध्यान दे सकें।

इस के अतिरिक्त मैं ग्रामीण उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों के विषय में भी कुछ कहना चाहता हूं। पिछले दो वर्षों से सरकार कुटीर उद्योगों के लिये भरसक प्रयत्न कर रही है, परन्तु अभी तक हम ने इस दिशा में विशेष उन्नति नहीं की। सामुदायिक परियोजना के कार्य से मेरा घनिष्ट सम्बन्ध है, और मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि यद्यपि हम इस ओर भरसक प्रयत्न कर रहे हैं तथापि कुछ भी उन्नति होती नहीं दीख पड़ती।

हम देश की बेकारी दूर करना चाहते हैं, परन्तु बिना ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों को

उन्नत किये, हम इस समस्या को हल नहीं कर सकते। इस के लिये मध्यम-पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देना होगा। उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करना होगा। गत महायुद्ध के समय कपड़े के उद्योग में विद्युत करघों ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया था उस संकट काल में ये भी जनता को सस्ते दामों पर कपड़ा संभरित करते रहे हैं। परन्तु आज उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। आज उन्हें धागा प्राप्त करने में भी अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः उन्हें पूर्ण रूपेण प्रोत्साहन देना चाहिये।

इस प्रकार मैं आप के सम्मुख केवल दो ही बातें प्रस्तुत करना चाहता हूं। प्रथम यह कि कृषि सम्बन्धी वस्तुओं की गिरती हुई कीमतों की रक्षा होनी चाहिये। और द्वितीय यह कि कुटीर उद्योगों छोटे पैमाने के उद्योगों तथा मध्यम पैमाने के उद्योगों के विकास पर अधिक बल देना चाहिये, इन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन देना चाहिये।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : अभी उस दिन ही, फील्ड मार्शल हार्डिंग ने भारत में छात्र सैनिकों के सम्मुख भाषण देते हुए कहा था कि आप को सदैव दो आदर्श अपने सामने रखने चाहियें प्रथम "महान लक्ष्य" और द्वितीय "अपने कर्तव्य को सर्वोच्च स्थान प्रदान करना"। हमारे प्रधान मंत्री का लक्ष्य तो, वास्तव में, महानतम है परन्तु अन्य पदाधिकारियों की क्या दशा है? उन में इतनी क्षमता नहीं कि वे देश के हित के लिये अपने लघु स्वार्थों का त्याग कर सकें।

इस देश में विदेशी सार्थ अपना अधिकार जमाये बैठे हैं। उन्हों ने हमारी राष्ट्रीय अर्थ-नीति का रक्त चूस लिया है। फिर भी हम इस ओर ध्यान नहीं देते। ब्रिटेन के नौवहन विभाग में किसी गैर अंग्रेज को घसने की भी अनुमति नहीं, और अन्तर्साम्राज्य व्यापार में भी केवल अंग्रेजों को ही अनुमति दी गई है। परन्तु भारत में हम विदेशियों को अत्याधिक प्रोत्साहन दे रहे हैं।

उदाहरणार्थ, भारत में विदेशी सार्थ "लीवर ब्रादर्ज" को ही लीजिये। यह भारत के धन को चूसे जा रहे हैं परन्तु किसी व्यक्ति, किसी पत्र, किसी पदाधिकारी का इतना साहस नहीं कि इस के विरुद्ध एक शब्द भी कह सकें। यह हमारे साबुन के उद्योग को हड़पता जा रहा है। सन् १९५२ में भारत में साबुन का कुल उत्पादन ८६,४०० टन था जिस में से २६,००० टन भारतीय कम्पनियों के द्वारा उत्पादित किया जाता था। सन १९५३ में इस का उत्पादन ८०,००० टन था जिस में से ६०,००० टन का उत्पादन 'लीवर ब्रादर्ज' ने किया था, और केवल २०,००० टन का उत्पादन भारतीय सार्थों न किया था। इस प्रकार से इस उद्योग के ७५ प्रतिशत पर 'लीवर ब्रादर्ज' ने ही अपना अधिकार जमा रखा है, और इस के परिणामस्वरूप भारतीय सार्थों को अत्याधिक क्षति उठानी पड़ी है। इस प्रकार से देश की अर्थ नीति नष्ट नष्ट हो रही है।

इसी प्रकार से, विदेशी तैल-समुदायों का भी स्वागत किया जा रहा है। वे २५ वर्षों तक भारत में कार्य करेंगे, और उन द्वारा लगाये गये धन पर उन्हें १७ रुपये प्रतिशत के हिसाब से ब्याज दिया जायगा, जब कि वे अपने देश में लगाये गए धन पर १० प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लेते हैं।

उद्योग के विकास के लिये तीन महान नियम स्थापित किये गये हैं, जो कि वास्तव में देश का नहीं, अपितु विदेशों के स्वार्थ सिद्ध करने में सहायक होंगे। औद्योगिक धन-विनियोग नियम के प्रबन्ध निदेशक के

[श्री जोकीम आल्वा]

रूप में भारत सरकार ने बील जैसे व्यक्ति को नियुक्त किया, जो कि बैंक आफ इंगलैंड का कोषाध्यक्ष था । वह सदा भारत के हितों पर ब्रिटेन के हित को अधिकार देगा । तो मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे विदेशी और अराष्ट्रीय व्यक्तियों को किस लिये ऊंचे ऊंचे स्थानों पर नियुक्त किया जाता है ।

भारत में स्थित विदेशी बैंकों को ही लीजिये वे भारत की सम्पूर्ण अर्थ नीति का गला घोंट रहे हैं । भारत स्थित कोई भी ब्रिटिश बैंक, किसी भी भारतीय सार्थ के लिये धन नहीं देगा, वह केवल अपने देश का हित चाहता है । तो मैं पूछता हूं कि ऐसे विदेशी बैंकों को हमारे राष्ट्रीय धन से खिलवाड़ करने के लिये रहने की अनुमति ही क्यों दी जा रही है ? मुझे भय है कि इतने महान बलिदानों के उपरान्त प्राप्त की हुई इस स्वतन्त्रता को हम फिर से दूसरों के हाथ में बेच न बैठें ।

हमारे चाय बागान की भी यही स्थिति है । तीन चौथाई भाग के स्वामी तो अंग्रेज हैं और इस से उन्हें १०० करोड़ रुपये की वार्षिक आय हो रही है । परन्तु वहां काम करने वाले बेचारे श्रमिकों को क्या प्राप्त होता है ?

तम्बाकू की भी यही दशा है । हम विदेशी तम्बाकू और विदेशी सिगरेट का प्रयोग करने में गर्व का अनुभव करते हैं ।

अतः हमें भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहना देना चाहिये, और इस के लिये आवश्यकता है शिल्प-वैज्ञानिकों की । चीन, अमेरीका, तथा रूस क्रमशः २,३०,०००, एक लाख तथा १½ लाख अपने अपने छात्रों को शिल्प विज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं, परन्तु भारत में केवल ८५,००० छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जा रही है । हमें इस प्रकार की शिक्षा को पूर्ण प्रोत्साहन देना चाहिये, तभी हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं ।

पूंजीपति कोई न कोई ढंग निकाल ही लेते हैं, जिस से वे अपनी स्वार्थ सिद्धि कर सकें । मेरे मित्र श्री सोमानी का कथन है कि मुझे ४½ करोड़ रुपया दो और मैं दो सीमेंट के कारखाने खोल दूंगा । परन्तु अब प्रश्न यह है कि यह धन एक पूंजी पति के हाथ में क्यों दिया जाये ? क्यों न सरकार यह रुपया लगा कर अपने दो कारखाने स्थापित कर के वहां निर्धन मजदूरों को लगा कर उन को शोषण से मुक्ति दिलाये, और इस प्रकार से उन्हें विकास और उन्नति के लिये एक अवसर प्रदान करे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री के अतिरिक्त, २० सदस्य बोल चुके हैं किन्तु मुझे खेद से कहना पड़ता है कि इन भाषणों के सुनने से सरकार के ज्ञान में कुछ वृद्धि नहीं हुई । जिस वाद-विवाद से श्री अशोक मेहता बहुत लाभ होने की आशा करते थे वह अधिकतर निरर्थक ही सिद्ध हुआ है ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इस वाद विवाद के दौरान में कोई मूल्यवान सुझाव नहीं दिये गये और न ही इस से सदस्यों में यथार्थता की भावना उत्पन्न हुई है ।

मेरे माननीय सहयोगी, वित्त मंत्री ने कल अपने भाषण में एक ऐसी बात का उल्लेख किया था, जिस से सारे सदन में हल चल मच जाने की आशा थी । उन दिनों जब उपाध्यक्ष महोदय हमारे पास बैठा करते थे और हम लोगों के बीच उन का बहुत प्रमुख स्थान था, हम यह आंदोलन कर रहे थे कि इम्पीरियल बैंक को सरकार के

नियंत्रण के अधीन लाया जाय । यह आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है । १९४८ में उपाध्यक्ष महोदय, श्री मोहन लाल सक्सेना और मैं ने एक संकल्प प्रस्तुत किया था जिस में यह मांग की गई थी कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाये और इम्पीरियल बैंक की सरकार के नियंत्रण के अधीन लाया जाये । उस समय हमें सरकार को पूरा सहयोग देने का सौभाग्य प्राप्त था । फरवरी १९४८ में तत्कालीन वित्त मंत्री ने अपने उत्तर में यह वचन दिया था कि रिजर्व बैंक का तुरन्त राष्ट्रीयकरण कर दिया जायेगा और इम्पीरियल बैंक को निकट भविष्य में सरकार के नियंत्रण के अधीन लाया जायेगा अब ६½ वर्षों के बाद वित्त मंत्री ने यह घोषणा की है कि एक समिति की सिफारिश पर सरकार ने यह निर्णय किया है कि इम्पीरियल बैंक को न केवल सरकार के नियंत्रण के अधीन लाया जाये, बल्कि इसे सरकार की ऋण नीति का प्रभाव शाली साधन भी बनाया जाये, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लिये धन दिया जा सके । श्री दास को छोड़ कर और किसी ने इस बात को अनुभव नहीं किया कि सरकार की इस कार्यवाही से देश के ऋण ढांचे पर और न केवल ऋण ढांचे पर अपितु सारे आर्थिक ढांचे पर कितना प्रभाव पड़ेगा । यदि इस बात की सराहना नहीं की जा सकती, तो सरकार की आर्थिक नीति की चर्चा करने से क्या लाभ ?

कल प्रधान मंत्री ने संविधान में संशोधन करने वाला एक विधेयक भी पुरः स्थापित किया था । यह विधेयक भी बहुत प्रभावोत्पादक है । इस में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भविष्य में सरकार की आर्थिक नीति क्या होगी और सरकार का यह इरादा प्रकट किया गया है कि जन साधारण के हित के लिये वह सब प्रकार की आर्थिक कार्यवाही को नियंत्रित और विनियमित करेगी । मैं केवल यह बात इसलिये कह रहा हूं कि कई बार सरकार की आर्थिक नीति की परीक्षा करते समय गलत आंकड़ों से इन बातों की पुष्टि कर के कि अमुक समवाय यह कर रहा है, और अमुक यह नहीं कर रहा है, इन छोटी छोटी बातों में जो काम किया गया है उस को आंकने या हमारी भविष्य की आशाओं और महत्वकांक्षाओं को चित्रित करने की महत्वपूर्ण बातें छूट जाती हैं । मुझे खेद है कि इस अवसर पर सदन और विशेषतया विरोधी पक्ष हमारा मार्ग दर्शन नहीं कर सका । इस से प्रकट होता है कि वास्तव में उन्हें इस विषय में कोई रुचि नहीं है और वह केवल अपनी वाद विवाद करने की योग्यता दिखाना चाहते हैं ।

मेरे माननीय सहयोगी वित्त मंत्री ने हमारी आर्थिक नीति के मुख्य सिद्धान्तों की चर्चा की है, और आज प्रधान मंत्री ने इस के आधार बताये हैं । किन्तु मैं उस त्रुटि की ओर निर्देश करना चाहता हूं जिसकी ओर बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन ने हमारा ध्यान दिलाया है । विनियोग को ग्रामों में ले जाने के बारे में उन्हों ने जो कुछ कहा था, उस का उत्तर मैं बाद में दूंगा । उन्हें यह देख कर दुःख हुआ है कि आर्थिक प्रगति के नैतिक पहलू पर कोई जोर नहीं दिया जा रहा । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस बात की ओर सदा हमारा ध्यान रहता है । वास्तव में आर्थिक प्रगति का उद्देश्य ही यही है कि जन साधारण का नैतिक स्तर ऊंचा किया जाये, क्योंकि आर्थिक या भौतिक सहायता के बिना नैतिकता नहीं ठहर सकती । कुछ दिनों पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारियों के सामने भाषण करते हुए मैं ने कहा था कि हमारे सामने समाजवाद का जो ध्येय है, उस में उस के भौतिक महत्व की अपेक्षा नैतिक महत्व पर अधिक बल दिया गया है । वास्तव में सरकार की आर्थिक नीति का उद्देश्य यह है कि धन का

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

समान वितरण हो । हम यह समझते हैं कि बहुत धनी होना या स्वयं तो महलों में रहना और दूसरों को भूखे मरते देखना अनैतिक है । सरकार यह बात नहीं होने देगी और मैं बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम चाहे कुछ कहें या करें, हम आर्थिक उन्नति के नैतिक महत्व की उपेक्षा नहीं करेंगे ।

अब मैं कुछ वक्ताओं को उत्तर दूंगा । दो भाषण मैं बहुत अच्छे समझता हूं । उन में से एक साम्यवादी दल के उपनेता का था । उन्हों ने जो कुछ कहा है, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उन के सिद्धान्त और हैं, लक्ष्य और हैं किन्तु उन्हों ने जो तथ्य या आंकड़े दिये हैं, वे सही नहीं हैं । उदाहरण-तया उन्हों ने सीमेंट के उत्पादन के बारे में कहा है कि ए० सी० सी० ने सरकार से मूल्य बढ़ाने के लिये आग्रह किया है और कहा है कि यदि ऐसा न किया गया तो वह हड़ताल कर देगी । यह मेरे लिये नई बात है । वास्तव में १९५३–५४ में स्थापित क्षमता ४३·३ लाख टन थी और उत्पादन ४०·४ लाख टन था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है । जहां तक सीमेंट का सम्बन्ध है, उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई और न ही ए० सी० सी० ने हड़ताल की धमकी दी है, क्योंकि मेरे विचार में सीमेंट के कारखानों में इकी दुकी हड़ताल के सवाय और कुछ नहीं हुआ ।

उन्हों ने कहा है कि ब्रिटिश पूंजी का राष्ट्रीयकरण अवश्य करना चाहिये और इस के लिये कोई प्रतिकर नहीं देना चाहिये ।

श्री एच० एन० मुकर्जी को यह ज्ञात नहीं कि प्रत्येक शुक्रवार को समाचार पत्रों में रिजर्व बैंक आफ इंडिया की आस्तियों और दायित्वों का एक विवरण छपा करत है । इस से उन्हें पता चलेगा कि हम जो नोट जारी करते हैं उन की पुष्टि के लिये ७३० से ७३५ करोड़ तक के अवशेष विद्यमान रहते हैं । उन्हें यह ज्ञात होगा कि जहां हमारी यू० के० के पास ७३० करोड़ की राशि शेष है हमारे पास इस देश में इतनी ब्रिटिश पूंजी अथवा ब्रिटिश आस्तियां नहीं हैं । यदि मैं इस का राष्ट्रीय करण कर देता हूं तो इस से हमारे देश के नोटों को तो पुष्टि इस समय प्राप्त है वह नहीं रहेगी । यह तथ्य है किन्तु साम्यवादी दल के विचार से तथ्य एक निरर्थक वस्तु के समान है ।

अब मैं श्री अशोक मेहता द्वारा की गई आलोचना को लेता हूं । मैं उन्हें इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन के भाषण में सब से अधिक रचनात्मक सुझाव दिये गये हैं, यद्यपि अन्त में उन्हों ने यह कहा है कि इस सरकार को सतारूढ़ रहने का कोई अधिकार नहीं है । किन्तु उन्हों ने एक प्रलेख के विषय में कहा है कि वह एक शिशु-गीत की भांति अरुचिकर है । मैं आज पहली बार सुन रहा हूं कि शिशु-गति अरुचिकर होता है । जान पड़ता है कि मेरे माननीय मित्र की बालावस्था ठीक ढंग से नहीं बीती ।

उन्हों ने इस बात पर भी आपत्ति की कि हम प्रायः कहते रहते हैं कि हमारा ढंग सिद्धांतवादी नहीं है । मैं अपनी भूल को मानता हूं और आगे से इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया करूंगा ।

उन्होंने सरकारी बैंचों पर आसीन व्यक्तियों अर्थात् कुछ एक मंत्रियों और प्रधान मंत्री में विभेद का प्रयत्न भी किया है । किन्तु यह तो विपक्ष दल की एक पुरानी और जानी हुई चाल है । यह 'भेदम्' की बात राज-नीति में प्रायः देखने में आती है । कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति तो अच्छा है किन्तु अमुक व्यक्ति बुरे हैं । किन्तु हमारी शासन

प्रणाली के अनुसार कैबिनेट का उत्तरदायित्व सामूहिक प्रकार का होता है ।

इसलिये श्री अशोक मेहता अथवा साम्यवादी दल के इस तर्क में कोई सार नहीं है कि एक मंत्री बड़ा है और दूसरा छोटा है । हम तो यह चाहते हैं कि हमारी सब की इकट्ठी ही निन्दा या सराहना की जाये व्यक्तिगत रूप में नहीं । खैर, अशोक मेहता ने कहा है कि हमारी औद्योगिक नीति उन वचनों को क्रियान्वित करने वाली नहीं है जो कि प्रधान मंत्री ने अपने भाषणों में दिये हैं । किन्तु मैं तो यह समझता हूं कि माननीय मित्र के समझने में ही गलती है । यदि एक अन्य व्यक्ति कुछ और शब्दों में एक भाषण दे दे और उस का सार वही हो तो क्या अन्तर पड़ता है और जब सरकार का प्रधान यह कहे कि "मेरा यह कहने का विचार है और यह काम मैं कराऊंगा" । मैं इस प्रकार के तर्क को नहीं समझ सकता ।

फिर माननीय मित्र श्री अशोक मेहता ने अपने आप यह अनुमान लगाया है कि सरकार की नीतियों में बहुत भेद है । मेरे विचार में माननीय प्रधान मंत्री ने आज इस सम्बन्ध में बहुत ठीक कहा है कि इस बात में कोई सार प्रतीत नहीं होता कि जहां पर कोई विरोध भेद अथवा विवाद हो ही न, और जहां ऐसा कभी हो भी नहीं सकता हो वहां भी हम विरोधाभास देखने का प्रयास करें । उन्हों ने कहा है कि गैर सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र में आपसी विवाद है और प्रत्येक देश में विवाद विद्यमान हैं और मंत्रिमंडल के अन्दर भी संघर्ष है । यदि ऐसा कहने से ही उन्हें कोई लाभ हो सकता है तो वह यह भी कहें कि मनुष्य मनुष्य में भी संघर्ष होता है ।

कोई भी दो व्यक्ति एक प्रकार से विचार नहीं कर सकते ।

जहां तक गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्र में संघर्ष का प्रश्न है, मैं इस सम्बन्ध में कुछ थोड़ा कहना चाहता हूं । मेरे साथी माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह बात कही थी कि एक योजना-बद्ध अर्थ व्यवस्था में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में कोई बुनियादी मत-वैषम्य नहीं हो सकता, और उन्हों ने इस बात पर भी जोर दिया था, जिसे आज प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि एक शीघ्रता से फैलने वाली अर्थ-व्यवस्था में सरकारी क्षेत्र की प्रगति की गति गैर-सरकारी क्षेत्र की गति से पर्याप्त अधिक होगी, और यदि उस प्रगति को प्रतिशत के हिसाब से रखा जाये, तो सरकारी क्षेत्र की प्रगति का प्रतिशत गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिशत से कहीं अधिक होना चाहिये । किन्तु बार बार यह कहा जाता है कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में संघर्ष है । इसी बात को सरकार भी दूर कर रही है । यदि कोई संघर्ष है तो सरकार अपने अधिकार से, अपनी विधियों तथा विनियमन करने की शक्तियों से उस संघर्ष को दूर करना चाहती है । वास्तव में संविधान के इस संशोधन का जिसे प्रधान मंत्री ने रखा है अभिप्राय यही है कि सरकार की विनियमन शक्तियां बढ़ जायें जिन से ये संघर्ष दूर हो जायें और एक वर्ग तथा दूसरे वर्ग की असमानतायें कम हो जायें ।

इस संशोधन से हम राज्य का स्वामित्व बढ़ाना नहीं चाहते, किन्तु एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र में और एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच मतभेद कम करना चाहते हैं, और इसी प्रकार जमींदार और किसान, प्रबन्धक अभिकरणों और अंशधारियों बीमा समवायों के अंशधारियों और पालिसी वालों के मतभेदों को कम करना चाहते हैं—और मेरे विचार में सरकार का यह कर्तव्य भी है और हम इसे करना चाहते हैं । हम अनुभव करते हैं कि मतभेद हैं—और सरकार का यह

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

कर्तव्य है कि उन मतभेदों को दूर करे और उन का समन्वय करे ।

जहां तक सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि उस ओर अथवा उन लोगों की ओर से जो गैर सरकारी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस प्रश्न पर इतना ज़ोर क्यों दिया जाता है । मैं उस ओर के माननीय सदस्यों को इस प्रश्न को बार बार दुहराने के लिये दोष नहीं दूंगा । गैर-सरकारी क्षेत्र के नेता लोग प्राय: सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में संघर्ष की बात पर जोर देते हैं । वास्तव में श्री अशोक मेहता ने एक अच्छे विख्यात उद्योगपति के भाषणों में से कुछ भाग पढ़े जो कि प्रकटत: यह दर्शाते थे कि गैर सरकारी क्षेत्र और सरकार में संघर्ष है । जैसा कि आज प्रधान मंत्री ने कहा है कि गैर-सरकारी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बहुत अधिक लोग करते हैं । उन्होंने भूमि के स्वामी छोटे कृषक का उल्लेख किया था । किन्तु केवल औद्योगिक दृष्टिकोण से, मैं एक और वर्ग का नाम बताऊंगा जो कि थोड़ा पैसा बचाते है और उन्हें उत्पादन के लिये समवायों में लगाते हैं, वह भी छोटे आदमी हैं, कोई बड़े नहीं हैं ।

वास्तव में यदि माननीय मित्र इम्पीरियल बैंक के अंशधारियों को देखें तो उन्हें पता लगेगा कि इतने बड़े बैंक में अधिकतर अंशधारी १० अंशों वाले हैं अथवा उस से कम वाले । यह छोटा आदमी है, और यदि हम अपने देश का भविष्य में औद्योगीकरण चाहते हैं तो हमें इस छोटे व्यक्ति का बचाया हुआ धन चाहिये और चाहे वह अंश पूंजी हो, चाहे वह राष्ट्रीय सुरक्षा बन्धकों के रूप में आए अथवा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों के रूप में, किन्तु वह भी तो गैर-सरकारी क्षेत्र से ही सम्बन्धित है । अत: जब हम गैर सरकारी क्षेत्रों को संरक्षण दे रहे हैं, तो मेरे विचार में हमारे सामने यह कोई कठिनाई न होनी चाहिये कि हम छोटे आदमी को विश्वास दिला दें कि उस की बचत की प्रत्याभूति ही जायेगी और चाहे उस ने सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थाओं अथवा सरकारी बन्धकों में जहां भी रूपया लगाया हो, उसे वापस दिया जायेगा । अभी तक हमारा विचार है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी छोटा व्यक्ति ही है क्योंकि कोई भी उद्योगपति अथवा प्रबन्ध अभिकर्ता वास्तव में किसी उद्योग में अपना पूरा धन नहीं लगाता, और वह विनियोजक पर निर्भर करता है । यदि इस बात को समझ लिया जाये तो माननीय सदस्य इस बात को अनुभव करेंगे कि गैर-सरकारी क्षेत्र का संरक्षण कर के सरकार उस जनसाधारण का संरक्षण करना चाहती है, ताकि वह बचत करे और पूंजी लगाता रहे । हां, यदि गैर-सरकारी क्षेत्र का अभिप्राय: किसी ऐसे व्यक्ति से है जो बड़ा धनवान है तो मैं माननीय सदस्यों के साथ हूं और हम ऐसा कभी नहीं करेंगे । वास्तव में इस बात का कोई अर्थ नहीं कि हम गरीबी का बाना पहन कर के अमीरों को और भी अमीर बना दें । किस के लाभ के लिये ? हमारे फायदे के लिये नहीं । **(अन्तर्बाधायें)** ।

अत: गैर-सरकारी अथवा सरकारी-क्षेत्र को सीमित करने के लिये हमारा जो प्रयास है उस को धृष्ट कहा जाता है । इस बात में कोई विवाद नहीं कर सकता--क्योंकि मैं अपने पूरे अनुभव से यह बात कह रहा हूं--और मैं ३० महीने से चाहे अच्छाई के लिये अथवा बुराई के लिये इस देश के वाणिज्यिक तथा औद्योगिक भाग्य का विधाता हूं । एक योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था में यह अन्तर करना कठिन

है कि अमुक गैर-सरकारी क्षेत्र की वस्तु है अथवा सरकारी क्षेत्र की । यदि कोई ऐसा करने का प्रयत्न करेगा तो वह मूर्खता करेगा, क्योंकि एक पिछड़े देश में, जब हमारे संसाधन सीमित हों और अपर्याप्त हों और जब जो भी वस्तु हमारे पास हो हमें उसे किसी न किसी उपयोग में लगाना ही हो जिस से कि उत्पादन बढ़े और धन अधिक हो तो हम इन बातों में समय व्यर्थ नहीं गवां सकते और यह नहीं कह सकते कि "मैं इन में से किसी को भी न लूंगा अथवा मैं ऐसा न करूंगा ।" आखिरकार, ऐसा हो जायेगा, और ज्योंही योजना प्रगति करेगी और उद्योग बढ़ेंगे तो उस समय गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र एक बन्धन में बन्ध जायेंगे और अलग अलग नहीं रहेंगे । सरकार का कर्तव्य रिक्त स्थान पूरा करना होगा । ऐसा हो सकता है कि गैरसरकारी व्यक्तियों के नियंत्रण में होने के कारण जिन्हें निस्सन्देह लाभ का बहुत महत्व होता है, वह व्यक्ति उस रिक्त स्थान को पूरा करने की ओर ध्यान न दें और उससे उन्हें कोई लाभ भी नहीं हो सकता । हम वहां पर रिक्त स्थान नहीं छोड़ सकते । यदि स्थान अधिक खाली है तो इस से सारे क्षेत्र के खोखला होने का भय है और यदि खाली स्थान ज्यादा नहीं है, और सरकार को इस से कोई घबराहट न हो, तो वह उस की सहायता करती है । इसलिये सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिये अपने अपने कर्तव्य निश्चित करने के हेतु कोई कठोर नियम नहीं बनाये जा सकते । और ऐसा होता है कि जिन उद्योगों में पूंजी अधिक होती हैं उन में स्वाभाविक रूप से सरकारी क्षेत्र आ जाता है ।

अब मैं सरकार के विरुद्ध लगाये गये एक आरोप का उल्लेख करना चाहता हूं, जो श्री मेघनाद साहा जैसे विख्यात वैज्ञानिक ने लगाया है । उन्हों ने कहा है कि सरकार ने एक विशेष उद्योग को साढ़े तीन करोड़ रुपया उधार देने का उपबन्ध किया है । उन्हें इस बात में सन्देह था कि क्या मंत्रिमंडल न इस की मंजूरी दी है । जो भी कोई इतनी बड़ी बात होती है, वह कभी भी बिना मंत्रिमंडल की मंजूरी के नहीं होती । और यदि मंत्रिमंडल के सारे सदस्य इस की मंजूरी न दें तो वे उस के लिये उत्तरदायित्व संभालते हैं । यदि सभा में आने पर सभा यह निर्णय करे कि वह रुपया देना मंजूर नहीं करती, तो मंत्रिमंडल संकट में पड़ जायेगा ।

श्री मेघनाथ साहा : मैं ने केवल यह कहा था कि मैसर्स अतुल प्राडक्ट्स को तीन करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है । इसे एक बहुत बड़ा उद्योगपति चलाता है । और यह रुपया औद्योगिक वित्त निगम के द्वारा नहीं दिया गया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि उचित मार्ग से यह रुपया क्यों नहीं दिया गया और क्या इस के लिये मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रत्येक निर्णय पर मंत्रिमंडल की मंजूरी दी जाती है : जहां तक इस का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को उत्तर देने ही वाला था । जिस रकम की मंजूरी दी गई थी वह तीन करोड़ है और अभी तक वह रकम निकाली नहीं गई है । दूसरे कोई भी निगम इतनी राशि नहीं दे सकता था । क्योंकि राशि ज्यादा थी । जिस उद्योग की सहायता के लिये यह राशि दी जा रही है, वह उद्योग एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है । यह आशा की जाती है कि कुछ समय बाद एक विशेष एकक समस्त देश की रंगों की आवश्यकता का २० प्रतिशत तैयार करने लग जाये । ये शर्तें रखी गई हैं, कि वे उतनी ही गैर सरकारी पूंजी एकत्र करें । और वास्तव में सरकार के प्रस्ताव से बाजार में लोगों को यह पता लग गया कि

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

उद्योग उन्नति करेगा और इस प्रकार तुरन्त ही वैयक्तिक अंशदान से रुपया आने लगा। मैं समझता हूं कि वैयक्तिक अंशदान से और भी धन इकट्ठे होने की संभावना है, जिस से सरकार द्वारा दिये जाने वाले सारे धन की उस समय तक आवश्यकता न होगी जब तक कि वे उद्योग का और विस्तार न करना चाहें। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि इस में रुपया लगाने वाले और भी व्यक्ति हैं, जिस से कि आखिरकार यह एक और बड़ा बन जाये और देश की आवश्यकता के लिये २० प्रतिशत से भी अधिक रंग का निर्माण करे। यह योजना का ही एक भाग है कि हम रंगों के बारे में आत्म निर्भर हो जावें। सरकार ने यह काम सोच विचार कर तथा ध्यान से ही किया है। इस का अभिप्राय किसी एक व्यक्ति को सहायता देना नहीं है किन्तु एक ऐसे उद्योग के निर्माण से है जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है। गत बीस वर्षों से हम रंगों की बातें करते आ रहे हैं। इस के उत्पादन की सारी योजनायें असफल रही हैं। यही एक अवसर इस के उत्पादन के लिये था और अभी सरकार ने धन देने का प्रस्ताव किया है। मैं सभा के माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इस उद्योग में ली गई अभिरुचि के कारण, दो अन्य संस्थाओं ने पर्याप्त पूंजी के साथ काम आरम्भ कर दिया है और मैं समझता हूं कि दो वर्ष के समय में यह उद्योग इस देश में पक्की तरह से स्थापित हो जायेगा मैं जो भी कुछ सरकार ने किया है उस के लिये क्षमा नहीं चाहता। (अन्तर्बाधायें) मेरे पास समय नहीं है, मुझे समाप्त करना है।

इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं अपितु अपने माननीय सहयोगी वित्त मंत्री, के द्वारा व्यक्त की गई आशाओं को दोहराना चाहता हूं–कि हम चाहते हैं कि अगली योजना अवधि में १ करोड़ २० लाख लोगों को काम मिल जाये। किन्तु जहां तक विरोधी पक्ष का सम्बन्ध है, मैं उन को चेतावनी देता हूं कि यह तभी सम्भव होगा जब सभी दल आवश्यक त्याग करने को अग्रसर हों। सब को काम देने की संभावनाओं तथा उस के परिणामों के सम्बन्ध में एक अर्थशास्त्री द्वारा की गई गवेषणा का अध्ययन करते समय, हाल ही में मैं ने यह देखा है। अपने निर्धारित लक्ष्य तक सब को काम देना सर्वदा सम्भव नहीं होता है, यदि उस के साथ साथ रहन सहन का स्तर भी बढ़ता जाय सब को काम देने के लिये कभी कभी हमें रहन सहन का स्तर भी गिराना पड़ सकता है और हम जहां तक अपना जीवन-स्तर गिराने को तैयार होंगे, उतना ही हमारा सब को काम देने का लक्ष्य पूरा होगा। इन दोनों भागों का कहीं संश्लेषण करना होगा। किन्तु यह कहना बेकार है कि उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जितना वस्तुतः देना चाहिये, मंजूरी में वृद्धि होनी ही चाहिये, अन्यथा रोजगार से कोई लाभ नहीं है। यदि यही प्रवृत्ति है, तो आप सब को काम नहीं दे सकते।

आचार्य कृपालानी : मैं ने सोचा था कि यह योजना रहन-सहन का स्तर उठाने के लिये है। अब हम से कहा जाता है कि ऐसी बात नहीं है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्यों ने रहन सहन का स्तर उठाने के बारे में हमारे उद्देश्यों को देखा अथवा सुना है। हम कुछ धीमी गति से चल रहे हैं। केवल इसीलिये कि हम प्रत्येक बेरोजगार को काम दे सकें। यह एक ऐसी बात है जिसे सब को समझना तथा महसूस करना है। यदि आप वस्तुतः सब को काम देना चाहते हैं और वह भी दस साल में तो कुछ समझौते

अनिवार्य हैं और दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं। मेरे माननीय मित्र का मुझ से यह पूछना बिल्कुल ठीक है कि यदि हम सारे क्षेत्रों में रहन सहन का स्तर क्रमबद्ध करना चाहते हैं, तो हम अन्य क्षेत्रों के सम्बध में क्या करना चाहते हैं। यह सरकार का काम है कि वह इस बात को देखे कि सब को समान त्याग करना पड़े। जहां तक वस्त्र उद्योग का सम्बन्ध है, हम कल ही अधिक लोगों को काम दे सकते हैं, यदि छः घंटे की पाली कर दी जाये। मुझे यह समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों न किया जाये। मेरे विचार में छः घंटे की पाली करने से उत्पादन बढ़ेगा और थकान भी कम होगी। किन्तु हम यह त्याग करने को तैयार नहीं हैं। किसी भी हालत में नेतागण ऐसा नहीं करेंगे; सम्भवतः श्री अशोक मेहता ऐसा करें, किन्तु श्री हीरेन मुकर्जी ऐसा नहीं करेंगे।

एक माननीय सदस्य : यह तो फूट डाल कर अपना काम सिद्ध करना है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में फूट डाल कर काम सिद्ध करने की नीति दोहरी नीति से अच्छी है।

श्री अशोक मेहता ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो बिल्कुल युक्तिसंगत नहीं थीं। मेरे विचार में उन्होंने दो साल में चीन के १२ लाख आदमियों के बारे में कुछ कहा था। किन्तु उस से पूर्ण बात का पता नहीं चल सकता। हम नहीं जानते कि वे लोग पहले काम में लगे हुए थे या नहीं। और पूरी तरह काम पर लगे हुए थे अथवा कुछ समय के लिये। इस बात से हम को संतोष नहीं हो सकता।

दूसरी बात जो उन्हों ने कही वह भी कुछ कुछ भ्रमात्मक थी। उन्हों ने कहा कि समवाय अपने लाभ के काफी अंश को पुनः लगा नहीं रहे हैं, और उन्होंने रिजर्व बैंक के विश्लेषण का तथा उस पर 'ईस्टर्न इकोनामिस्ट' द्वारा की गई आलोचना का भी निर्देश किया था। रिजर्व बैंक का विश्लेषण ७५७ समवायों के सम्बन्ध में था, जिन की चुकता पूंजी ३३७ करोड़ रुपये अथवा १९५१ के सभी संयुक्त स्कन्ध (जायन्ट स्टाक) समवायों की कुल चुकता पूंजी की ४४ प्रतिशत और वह इस प्रकार है :

१९५१ में जिन समवायों का विश्लेषण किया गया था उन का कुल लाभ १०९ करोड़ रुपया था, जिस में अवक्षयण व्यय २६ करोड़, कर भुगतान २० करोड़ और लाभांश २६ करोड़ था, और समवाय के पास ३७ करोड़ रुपया शेष रह जाता था। इस के विपरीत नियत आस्तियों पर ७ करोड़ और लगाये गये थे और चल सम्पत्ति की सूची में ५६ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। इस प्रकार मैं नहीं समझता कि इस विशिष्ट मामले में 'ईस्टर्न इकोनामिस्ट' द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है, उस से कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। फिर भी मैं यह स्वीकार करता हूं कि श्री अशोक मेहता ने चर्चा में काफी अच्छा अंशदान किया है और जो कुछ उन्हों ने कहा है जिस का मैं ने कोई निर्देश नहीं किया, उस के बारे में मैं उन को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार उस की ओर समुचित ध्यान देगी।

मैं अपने माननीय मित्र श्री डाभी से एक बात कहना चाहता हूं। वस्तुतः श्री डाभी ने एक बहुत बड़ी गुत्थी को सुलझाया तथा यह चाहा कि उन की परेशानियों का समाधान हो। उन्होंने एक उपाय बताया कि कुटीर उद्योगों के उत्तरदायित्व से मंत्री को मुक्त हो जाना चाहिये। किन्तु खेद है, कि मैं उन के इस कथन से सहमत नहीं हूं। किन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि मेरे माननीय मित्र मुझ से भी अधिक उत्साह से राष्ट्रपति द्वारा बताये गये मार्ग का अनु-

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

सरण करते हैं । और इसीलिये मैं उन से किसी प्रकार की हानि की आशा नहीं कर सकता । उन्हों ने स्थिति को समझा भी नहीं है । इस मंत्रालय के बनने से पूर्व, हम अखिल भारतीय चर्खा संघ को खादी के लिये दो लाख रुपये का अनुदान देते थे । १९५३-५४ में केवल खादी पर एक करोड़ से अधिक रुपया व्यय किया गया है और चालू वर्ष में ३ करोड़ रुपया नियत किया गया है । इतना होने पर भी वह इस दायित्व विशेष को मुझ से हटाना चाहते हैं । स्पष्टतः अपराध यह है कि १९५३–५४ को मैं ने उन्हें १·८ करोड़ रुपया दिया है और कुछ लाख रुपया जो उन्हें पहले मिलता था उस की तुलना में चालू वर्ष में ३ करोड़ रुपया देना स्वीकार किया है

आचार्य कृपालानी : बड़े बड़े उद्योगों को आप कितने करोड़ रुपये देते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : बड़े उद्योगों को हम कुछ भी धन नहीं देते हैं । ग्राम उद्योगों पर पिछले वर्ष ५२ लाख रुपया व्यय किया गया था और इस वर्ष १ करोड़ रुपये से भी अधिक व्यय हो चुका है । शिकायत इस बात की की जाती है कि बोर्ड ने जितनी राशि मांगी थी सरकार ने उतनी नहीं दी । पिछले वर्ष जितनी उन की मांग थी उतनी राशि हम ने उन्हें दी थी, जिस का परिणाम यह निकला कि उस सारी राशि को वे व्यय नहीं कर सके । बोर्ड के लिये यह श्रेय की बात है कि उस ने धन को नष्ट नहीं किया । कुटीर उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के साथ जहां तक हमारा सम्बन्ध है कठिनाई यह है कि हमारे पास धन की कमी नहीं, वरन् ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो धन का सुचारु रूप से व्यय कर सके । यदि हम इस कार्य के लिये अपनी ओर से कोई संगठन बनाते भी हैं तो जितना भी धन होगा उस में से काफी यह संगठन खा जायेगा । अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड ने अनुदान का बहुत बड़ा अश संगठन पर व्यय किया । धन व्यय करने के लिये हमें बहुत कुछ राज्यों पर निर्भर करना पड़ता है ।

जिन एक दो बातों का उन्हों ने उल्लेख किया है वे बड़ी साधारण सी हैं । मुझे खेद है कि बोर्ड के किसी व्यक्ति ने उन्हें सारी बात के सम्बन्ध में पट्टी पढ़ा दी है । किन्तु जैसा कि श्री डाभी को ज्ञात होगा कि निस्सन्देह यह सत्य है कि मद्रास में एक संस्था खादी सहकारी समिति नाम की थी जो १९४७ से कार्य कर रही थी इसके विषय में बताया यह गया था कि इस को मान्यता नहीं दी जायगी और उन्हें तीन आना प्रति रुपया छूट नहीं दी जायेगी । उन का दोष यह बताया गया था कि वे पर्याप्त मजदूरी नहीं दे रहे थे । यहां अनुदान मांगने का एक मामला सम्मुख है किन्तु पर्याप्त मजदूरी का भुगतान किये बिना उन्हें सम्पूर्ण राशि नहीं मिलेगी । उन का कहना यह है "यदि आप छूट नहीं देते तो हम पर्याप्त मजदूरी नहीं दे सकते ।" मद्रास सरकार ने इस को बड़ा गम्भीर मामला समझा ।

श्री डाभी ने कुछ और बातें कहीं हैं और यह मंत्री का भाग्य है कि वह उन्हें सुनने के लिये तैयार रहे किन्तु मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि ऐसा करना उचित नहीं है ।

दूसरी बात मैं अपने तथा अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग संघ के बीच मतभेद के विषय में बताना चाहूंगा । मैं उस के बम्बई के प्रदर्शनालय को देखने गया था । वहां १३ या १४ रु० प्रति गज का रेशम क्रय करने पर किसी व्यक्ति को १५ प्रतिशत की छूट दी गई थी । मैं इस से पूर्णतया

सहमत हूं कि खादी पर छूट दी जानी चाहिये। घटिया किस्म के रेशम पर भी छूट दी जानी चाहिये, किन्तु एक अमीर व्यक्ति को, जो १५ रु० प्रति गज के भाव से अपनी पत्नी के लिये ५½ गज कपड़े के मूल्य का भुगतान कर सकता है, उस को छूट देने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं समझता हूं कि कर दाता से १५ प्रतिशत छूट मांगना न्यायोचित नहीं होगा। बोर्ड ने इस बात को पसन्द नहीं किया। ये मतभेद हैं और करदाता के धन की सुरक्षा के लिये हैं जिस से धन अमीरों की बजाय उन लोगों के हाथ में पहुंच सके जो वास्तव में इस के लिये उपयुक्त हैं।

श्री ढाभी (कैरा—उत्तर) : क्या बोर्ड ने त्यागपत्र देने के लिये कहा था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह मामला मुझ तक तथा बोर्ड तक ही सीमित रहना चाहिये।

श्री गाडगील के सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि वह मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्य रह चुके हैं। इस कारण वह सरकार की कमियों तथा उस की शक्ति दोनों से भली भांति परिचित होंगे। सरकार से कुछ चीजों को करने के लिये कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे माननीय साथी वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री ने जो बातें कहीं थीं, वह उन बातों को छोड़ गये हैं। वह यह चाहते हैं कि वस्त्र तथा पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाये। प्रधान मंत्री ने कई बार कहा है कि हम उन एककों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार नहीं कर रहे हैं। यदि हम इन में से किसी का राष्ट्रीयकरण करेंगे तो ये नये एकक होंगे। बहुत से सदस्यों ने विभिन्न राज्य संगठनों की लापरवाही के सम्बन्ध में बताया है। श्री अशोक मेहता ने प्रबन्धक वर्ग के अभाव की भी बात कही है। वस्त्र उद्योग को लेने से क्या लाभ होगा जब कि ४०० एककों में से ३० की दशा तो बहुत ही खराब है, दूसरे ३० की भी उतनी ही खराब है और अन्य ३० की विशेष रूप से अच्छी नहीं है। वह यह तथ्य भूल गये कि राष्ट्रीयकरण से नये साधनों का विकास नहीं होता। यदि किसी के वस्त्र उद्योग को अपने अधिकार में ले लेते हैं तो इस से नये साधनों का विकास कहां हुआ ? माननीय सदस्य का यह कहना बिल्कुल सत्य होगा कि उपबन्ध धन को एकत्रित करने के लिये राजकोषीय ढंग को अपनाना चाहिये। यदि वह यह कहते हैं कि "उन्हें बचत के लिये कुछ प्रेरणा दीजिये किन्तु इस बात का ध्यान रखिये कि इस धन को व्यय न किया जाय, और इस का उपयोग केवल नये उपक्रमों के लिये ही किया जाना चाहिये जिस से लाभांश में इस का वितरण किये बिना नई पूंजी पैदा की जा सके", तो मैं इस की सराहना करता।

आचार्य कृपालानी ने डीजल इंजनों के प्रश्न का उल्लेख किया था। आयात के कारण डीजल इंजनों के उत्पादन में कुछ कमी हो गई थी। उन का आयात क्यों किया गया ? इस कारण नहीं कि आयात की स्वतन्त्र नीति थी; वरन् इन का आयात भारत सरकार के अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन को सफल बनाने के प्रयोजन से किया गया था, जिस में डीजल इंजनों की आवश्यकता थी। यह प्रश्न देश के उत्पादन से इतना सम्बन्धित नहीं था जितना कि ग्रामीणों को अधिक अन्न उपजाने में सहायता देने से था। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इंजनों का आयात कर उन्हें कृषकों को देने का निश्चय किया गया था। बहुत बड़ी संख्या में इंजन आयात कर कृषकों को दिये गये थे जिस के परिणामस्वरूप अब स्थिति सन्तोषजनक है। दो वर्ष के लिये हम ने ३० अश्व शक्ति से कम शक्ति वाले डीजल इंजनों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और जब तक इस प्रतिबन्ध को हटाने की

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

आवश्यकता नहीं समझी जायगी, यह प्रतिबन्ध चलता रहेगा ।

श्री वी० पी० नायर ने सदैव की भांति आंकड़े प्रस्तुत किये जो लगभग हर प्रकार से गलत थे । उन्हों ने राज्य द्वारा संचालित औद्योगिक समवायों के क्रुप-डेमाग करार का उल्लेख किया था । हम राज्य द्वारा संचालित औद्योगिक समवायों के लिये जब विदेशी कम्पनियों की पूंजी में सहयोग मांगते हैं तो उस का मूल उद्देश्य उन से कुछ धन राशि प्राप्त करना ही नहीं होता वरन् उस का तात्पर्य होता है कि अच्छे व्यवहार के लिये कुछ प्रतिभूति ली जाये । निश्चय ही श्री नायर यह समझते हैं कि चूंकि क्रुप-डेमाग इस में सम्मिलित हो रहे हैं । इसलिये सरकार को कुछ राशि मिल जायेगी । यह इसलिये नहीं हो रहा है कि हमारे पास धन नहीं है, किन्तु अच्छा यह होगा कि यह कार्य समुचित रूप से हो इस कारण उन का कुछ धन लगा लेना अच्छा होगा ।

सेवाओं तथा टैक्नीकल शुल्कों के सम्बन्ध में सम्भव है श्री नायर का यह विचार हो कि दो करोड़ रुपये का शुल्क अधिक है, किन्तु सरकार ने उन आंकड़ों को मिला लिया है और इस बात से सन्तुष्ट है कि यह शुल्क उचित है ।

स्टैण्डर्ड टेलीफोन के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था कि उत्पादन मंत्रालय और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में कुछ होड़ लगी हुई है । उन का यह कथन आपत्तिजनक है ।

उन्हों ने सुरमे के सीसे के सम्बन्ध में भी कहा था । वास्तविकता यह है कि इस देश में सुरमे का सीसा बोलीविया से आयात की गई कच्ची धातु से तैयार किया जाता है । पहले हमें यह पाकिस्तान से मिला करता था । सीसा बहुत बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है । यहां सुरमे के सीसे के उपलब्ध होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । हो सकता है किसी के पास बहुत स्टाक इस का हो । एक मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय से कोई गम्भीर संघर्ष चल रहा है, मैं ऐसा नहीं समझता । संभरण विभाग में दो पदाधिकारियों में मतभेद हो सकता है किन्तु जहां तक देश का सम्बन्ध है जो कुछ बहुमत से किया गया है वही ठीक और उचित है ।

मुझे प्रधान मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया है कि भाखड़ा-नांगल परियोजना को शीघ्र पूरा करने में श्री स्लोकम्ब की सेवा का विशेष महत्व है और जो कुछ उन पर व्यय किया जा रहा है वह उन के जैसे व्यक्ति के लिये अधिक नहीं है ।

श्री देशपांडे को मैं आश्वासन देता हूं कि सरकार मूल्यों के रुख पर बराबर ध्यान दे रही है और श्री अजीत प्रसाद जैन कृषकों के हित के संरक्षण के किसी भी अवसर को हाथ से न जाने देंगे ।

श्री आल्वा ने जो कुछ भी कहा है वह तथ्यों पर बहुत कम आधारित है ।

अन्त में मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि सरकार के कार्यों पर बड़ी सूक्ष्म दृष्टि रखी गई है और माननीय सदस्यों ने जन बातों पर ध्यान देने के लिये कहा है उन पर ध्यान दिया जायगा और आयव्ययक प्रस्तुत करते समय हमारे कार्यों की तत्परता अथवा कमी जो कुछ भी होगी सम्मुख आ जायेगी । अन्त में मैं श्री वी० बी० गांधी, श्री ए० एम० थामस तथा श्री भागवत झा आजाद के प्रति अपनी कृतज्ञता विशेष रूप से प्रकट करना चाहूंगा जिन्हों ने सरकार की आर्थिक नीति का समर्थन किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्न रख दिया जाये :

"भारत की आर्थिक स्थिति पर और उस के सम्बन्ध में सरकार की नीति पर विचार करने के बाद इस सभा की यह राय है कि--

(१) सरकार की नीति ६ अप्रैल, १९४८ को दिये गये नीति सम्बन्धी वक्तव्य के अनुरूप है,

(२) हमारी आर्थिक नीति का लक्ष्य यह होना चाहिये कि देश में समाजवादी व्यवस्था हो, और

(३) इस की प्राप्ति के लिये सामान्य रूप से आर्थिक कार्यों की ओर विशेष रूप से औद्योगिक विकास की गति अधिकतम सीमा तक बढ़ा देनी चाहिये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने से अन्य संशोधन अवरुद्ध हो गये ।

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : श्रीमान्, मुझे सूचना देनी है कि राज्य सभा के सचिव से निम्न संदेश प्राप्त हुए हैं :

(१) "कि लोक-सभा द्वारा १३ दिसम्बर, १९५४ को पारित किये गये निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक, १९५४ से राज्य सभा अपनी १८ दिसम्बर, १९५४ की बैठक में, बिना किसी शोधन के सहमत हो गई है ।"

(२) "कि १४ दिसम्बर, १९५४ को लोक-सभा द्वारा पारित किये गये चाय (संशोधन) विधेयक, १९५४ के सम्बन्ध में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।"

(३) "कि १४ दिसम्बर, १९५४ को लोक-सभा द्वारा पारित किये गये भारतीय प्रशुल्क (तीसरा संशोधन) विधेयक, १९५४ के सम्बन्ध में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।"

(४) "मुझे लोक-सभा को यह सूचना देने का आदेश मिला है कि राज्य सभा ने अपनी २० दिसम्बर, १९५४ की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया है :--

प्रस्ताव

'कि यह सभा लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि हिन्दुओं में अवयस्कता तथा संरक्षता सम्बन्धी विधि के कुछ भागों को संशोधित और संहिताबद्ध करने वाले विधेयक के बारे में सदनों की संयुक्त समिति से ३१ मार्च, १९५५ तक या उस से पहले अपना प्रतिवेदन देने को कहा जाये' ।"

इस के पश्चात् लोक सभा बुधवार, २२ दिसम्बर, १९५४ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPD—HS—5921 D— 13.7.54—240